

अष्टादश स्मृतियों में पाराशरस्मृति एक है, यह सब किसी को ज्ञात है । ब्रह्मप्रेस इटावा में अष्टादश स्मृतियों की एक जिल्द छप चुकी है, उस जिल्द में पाराशरस्मृति भी आ चुकी है । यह पाराशरस्मृति दो प्रकार की है एक बृहत् द्वितीय लघु, इन दो भेदों का कारण यही प्रतीत होता है कि जिस में धर्मशास्त्र के वक्तव्य विषय का विशद रूप से वर्णन किया गया उसका नाम बृहत् वा बृद्ध पाराशर हुआ और जिसमें वही धर्म विषय संक्षेप से वर्णित हुआ उसका नाम लघु पाराशरस्मृति रखा गया, सो विचार और संक्षेप भेद से ऐसा नाम भेद अन्य भी कई स्मृतियों में हुआ है, हमने यह लघु पाराशरस्मृति यहां पृथक् इस लिये छपाई है कि-

**सद्युगेमानवाधर्माः-स्त्रेतायांगीतमामताः ।**

**द्वापरेशंखलिखिताः कलौपाराशराःस्मृताः ॥१॥**

यह श्लोक पाराशरस्मृति का सर्वत्र प्रसिद्ध है कि मनुस्मृति में कहे धर्म विशेष कर सत्ययुग में-गीतम स्मृति के धर्म त्रेता में, शंख लिखित स्मृति के धर्म द्वापर युग में और महर्षि पाराशर के कहे धर्म कलियुग में विशेष कर मान्य हैं । यद्यपि सब युगों में सब स्मृतियों के जानने पढ़ने और तदनुसार आचरण करके अपने सुधार की आवश्यकता मनुष्य मात्र को है तथापि अब वर्तमान कलियुग में जिन लोगों को विस्तृत धर्म शास्त्र पढ़ने देखने का अवकाश नहीं, उन को कम से कम विशेष कर कलियुग के लिये बने इस छोट्टे से धर्म शास्त्र को अवश्य देखना जानना चाहिये । अष्टादश स्मृतियों का मूल्य २॥) वा ३) सब लोग व्यय नहीं कर सकते परन्तु इस अल्प मूल्य वाले पुस्तक को सब कोई लेसकता है । इत्यादि विचार से इस को पृथक् छपाया है । पाठकों को यह भी ध्यान रहे कि "पाराशरीय धर्म शास्त्र उत्तर खण्ड" इस नाम से एक तीसरी भी पाराशरस्मृति छपी है, उस में केवल वैष्णव सम्प्रदाय के पञ्च संस्कारों का वर्णन है, किसी सम्प्रदाय विशेष के आचरणों का आग्रह करना स्मृतियों का विषय नहीं है, इसी कारण मन्वादि अधिक स्मृतियों में साम्प्रदायिक

विचारों का नाम मात्र भी नहीं पाया जाता, इसी कारण सर्व साधारण वर्णाश्रम धर्म प्रेमी हिन्दु समुदाय के लिये पाराशरीय धर्म शास्त्र उत्तर खण्ड की आवश्यकता हम नहीं समझते। प्रायः सभी स्मृतियों में धर्म शास्त्र का विषय एकसा है और सभी में कुछ २ विषय विशेष रूप से वर्णित है, इस पराशरस्मृति में कृषि तथा गोरक्षा का विशेष विचार है। मन्वादि स्मृतियों के मन्तव्यानुसार कृषि गोरक्षा कर्म वैश्य वर्ण के हैं, परन्तु आपत्काल में वैश्य कर्म द्वारा ब्राह्मण भी अपना निर्वाह करसकता है, ऐसा भी लेख धर्म शास्त्रों में विद्यमान है ॥

यह भी विदित है कि अब कलियुग है, और इस कलियुग में विशेष कर ब्राह्मणों के लिये आपत्काल है, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण की अपने धर्मानुकूल वेद के अध्यायनादि पद कर्मों द्वारा जैसी जीविका प्राचीन काल में थी, इस वर्ण का जैसा आदर होता था वैसे आदर ब्राह्मण का अब नहीं रहा, पहिले राजाओं की ओर से ब्राह्मणों का आदर होता था, तब जीविका के बिना ब्राह्मण दुःखी नहीं होते थे। अब यदि कोई ब्राह्मण ठीक २ शास्त्रानुसार अपना कर्त्तव्य पालन करे तो भी जीविका द्वारा उद्धार का निर्वाह नहीं चल सकता यद्यपि ब्राह्मण लोग भी अपने कर्त्तव्य से भ्रष्ट शास्त्रों से अनभिज्ञ होगये हैं, तथापि समयानुसार अच्छे धर्म प्रेमी ब्राह्मणों का भी अब वैसे आदर नहीं होता जैसा होना चाहिये इसी लिये इन पाठनादि छोड़ के भारत के लाखों ब्राह्मण खेती करने लगे हैं। आपत्काल में खेती करता हुआ भी ब्राह्मण अपने सन्ध्या तर्पण पञ्चमहायज्ञादि धर्म का पालन कैसे कर सकता और कृषि कर्म के दोष से कैसे बच सकता है यह सब विचार महर्षि पराशर ने इस स्मृति में स्पष्ट दिखाया है। तदनुसार आचरण करने से कृषि करता हुआ भी ब्राह्मण धार्मिक रहसकता है।

## अथ पाराशरस्मृतिप्रारम्भ



अथातोहिमशैलाग्रे देवदारुवनालये ।  
व्यासमेकाग्रमासीनमपृच्छन्नृषयःपुरा ॥ १ ॥  
मानुपाणांहितंधर्मं वर्त्तमानेकलौयुगे ।  
शौचाचारंयथावच्च वदसत्यवतीसुत ! ॥ २ ॥  
तत्श्रुत्वाऋषिवाक्यंतु सशिष्योऽग्न्यर्कसन्निभः ।  
प्रत्युवाचमहातेजाः श्रुतिस्मृतिविशारदः ॥ ३ ॥  
नचाहंसर्वतत्त्वज्ञः कथंधर्मंवदाम्यहम् ।  
अस्मत्पितैवप्रष्टव्य इतिव्यासःसुतोऽवदत् ॥ ४ ॥  
ततस्तेऋषयःसर्वे धर्मतत्त्वार्थकाङ्क्षिणः ।  
ऋषिंव्यासंपुरस्कृत्य गतावदरिकाश्रमम् ॥ ५ ॥  
नानापुष्पलताकीर्णं फलपुष्पैरलङ्कृतम् ।  
नदीप्रस्रवणोपेतं पुण्यतीर्थोपशोभितम् ॥ ६ ॥

देवदारु वृक्षों के वन में हिमालय पर्वत के ऊपर एकाग्र चित्त से बैठे हुए व्यास जी से पूर्वकाल में ऋषियों ने पूछा ॥ १ ॥ हे सत्यवती के पुत्र व्यासजी! वर्तमान कलियुग में मनुष्यों का हितकारी धर्म शौच और आचार हम से कहो ॥ २ ॥ उक्त ऋषियोंके वाक्य को सुनकर शिष्यों सहित अग्नि और सूर्यके तुल्य बड़े तेज वाले श्रुति और स्मृतिमें चतुर व्यासजी ऋषियोंके प्रति बोले ॥३॥ कि हम सब तत्त्वोंको नहीं जानते [यह कथन पिता पराशर की प्रशंसारथ्य है] तब कैसे धर्म को कहें। हमारे पिता को ही यह किप्रिय पूछो यह पराशर के पुत्र व्यास ने कहा ॥४॥ तिसके अनन्तर धर्म के तत्त्व को जानना चाहते हुए वे सब ऋषि लोग व्यास ऋषि को आगे लेकर वदरिकाश्रम ( बद्रीनारायण ) को गये ॥ ५ ॥ जो अनेक प्रकार के पुष्प लताओं से युक्त फल-फूलों से शोभायमान, नदियों तथा झरनों से युक्त, पवित्र तीर्थों से जिसकी शोभा

मृगपक्षिनिनादाढ्यं देवतायतनावृतम् ।  
 यक्षगन्धर्वसिद्धैश्च नृत्यगीतैरलङ्कृतम् ॥ ७ ॥  
 तस्मिन्नृषिसभामध्ये शक्तिपुत्रंपराशरम् ।  
 सुखासीनंमहातेजा मुनिमुख्यगणावृतम् ॥ ८ ॥  
 कृताञ्जलिपुटोभूत्वा व्यासस्तु ऋषिभिःसह ।  
 प्रदक्षिणाभिवादैश्च स्तुतिभिःसमपूजयत् ॥ ९ ॥  
 अथसन्तुष्टहृदयः पराशरमहामुनिः ।  
 आहसुखागतं ब्रूहीत्यासीनोमुनिपुंगवः ॥ १० ॥  
 कुशलं सम्यगित्युक्त्वा व्यासः पृच्छत्यनन्तरम् ।  
 यदिजानासिमेभक्तिं स्नेहाद्वाभक्तवत्सल ! ॥ ११ ॥  
 धर्मकथयमेतात ! अनुग्राह्योह्यहंतव ।  
 श्रुतामेमानवाधर्मा वासिष्ठाः काश्यपास्तथा ॥ १२ ॥  
 गार्गीयागौतमीयाश्च तथाचौशनसाः स्मृताः ।  
 अत्रेर्विष्णोश्च संवर्ता दाक्षा आङ्गिरसास्तथा ॥ १३ ॥

है ॥ ६ ॥ मृग तथा पक्षियों के सुहावने शब्दों से युक्त, जिस में देवालय विद्यमान हैं, और जो यक्ष, गन्धर्व सिद्ध, तथा अंप्सरादि के नृत्य और गीतों से शोभा युक्त है ॥ ७ ॥ ऐसे बदरिकाश्रम में ऋषियों की सभा के बीच सुखपूर्वक बैठे तथा बड़े २ नामी अनेक मुनीश्वर जिन के चारों ओर बैठे हैं ऐसे शक्ति के पुत्र पराशर का ॥ ८ ॥ ऋषियों सहित बड़े तेजस्वी व्यास जी ने हाथ जोड़ कर परिक्रमा अभिवादन और स्तुतियों से पूजन किया ॥ ९ ॥ इसके अनन्तर मन से संतुष्ट हुए मुनियों में उत्तम पराशर महामुनि व्यास जी से बोले कि तुम भली प्रकार अपना स्वागत ( आनन्द से आना ) कहो ॥ १० ॥ तब व्यास जी ने कुशल पूर्वक स्वागमन कह कर पीछे यह पूछा कि हे भक्तवत्सल ! जो आप मेरी भक्तिको जानते हो तिससे वा स्नेह से ॥ ११ ॥ हे पितः मुझसे धर्म कहिये क्योंकि मैं आपके अनुग्रह करने योग्य हूँ—मैंने मनु, वसिष्ठ, कश्यप, ॥ १२ ॥ नर्य, गौतम, उशना, अत्रि, विष्णु, संवर्त, दक्ष, अंगिरा, ॥ १३ ॥

शातातपाश्र्वहारीता याज्ञवल्क्यकृताश्र्वये ।  
 आपस्तम्बकृताधर्माः शंखस्यलिखितस्यच ॥ १४ ॥  
 कात्यायनकृताश्र्वैव तथाप्राचेतसान्मुनेः ।  
 श्रुताह्येतेभवत्प्रोक्ताः श्रौतार्थामेनविस्मृतोः ॥ १५ ॥  
 अस्मिन्मन्वन्तरेधर्माः कृतत्रेतादिकेयुगे ।  
 सर्वधर्माःकृतेजाताः सर्वेनष्टाःकलयुगे ॥ १६ ॥  
 चातुर्वर्ण्यसमाचारं किञ्चित्साधारणंवद ।  
 चतुर्णामपिवर्णाजां कर्त्तव्यंधर्मकोविदैः ॥ १७ ॥  
 ब्रूहिधर्मस्वरूपज्ञ सूक्ष्मंस्थूलञ्चविस्तरात् ।  
 व्यासवाक्यावसानेतु मुनिमुख्यःपराशरः ॥ १८ ॥  
 धर्मस्यनिर्णयंप्राह सूक्ष्मंस्थूलञ्चविस्तरात् ।  
 शृणुपुत्रप्रवक्ष्यामि शृण्वन्तुमुनयस्तथा ॥ १९ ॥  
 कल्पेकल्पे क्षयोत्पत्तौ ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ।  
 श्रुतिस्मृतिसदाचार-निर्णेतारश्चसर्वदा ॥ २० ॥

शातातप, हारीत, याज्ञवल्क्य आपस्तम्ब शंख, लिखित, ॥ १४ ॥ कात्यायन  
 प्राचेता इन सब ऋषि मुनियों के कहे बनाये धर्मशास्त्र मैंने सुने हैं तथा  
 आप के कहे वेद के अर्थ भी हम ने सुने और उन को हम भूले भी नहीं  
 हैं ॥ १५ ॥ इस मन्वन्तर तथा कृत त्रेता आदि युगों में जो धर्म किये गये  
 थे वे सब कलियुग में नष्ट हो गये ॥ १६ ॥ धर्मका मर्म जानने वालों के लिये जो  
 चारों वर्णों को कर्त्तव्य है वह चारों वर्णों का किञ्चित्साधारण आचार कहिये ॥ १७ ॥  
 हे धर्म के स्वरूप को जानने वाले ! सूक्ष्म और स्थूल आचार को विस्तार से कहिये ।  
 इस प्रकार व्यास जी के वचनों के पूर्ण होने पर मुनियों में मुख्य पराशरजी ने ॥ १८ ॥  
 सूक्ष्म और स्थूल धर्म का निर्णय विस्तार से कहा हे पुत्र ! व्यास जी । तथा अन्य  
 मुनियों ! तुम सुनो ॥ १९ ॥ कल्प २ में प्रलय तथा सृष्टि होने पर ब्रह्मा विष्णु और शिव  
 ये तीनों श्रुति, स्मृति, और सदाचार के निर्णय करने वाले हैं । ॥ २० ॥ परन्तु

नकश्चिद्वेदकर्त्ता च वेदस्मर्त्ता चतुर्मुखः ।  
 तथैव धर्मान्स्मरति मनुः कल्पान्तरान्तरे ॥ २१ ॥  
 अन्ये कृतयुगे धर्मा स्त्रेतायां द्वापरपरे ।  
 अन्ये कलियुगे नृणां युगरूपाऽनुसारतः ॥ २२ ॥  
 तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ।  
 द्वापरयज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे ॥ २३ ॥  
 कृते तु मानवा धर्मा स्त्रेतायां गौतमाः स्मृताः ।  
 द्वापरेशं खलिखिताः कलौ पाराशराः स्मृताः ॥ २४ ॥  
 त्यजेद्वेशं कृतयुगे त्रेतायां ग्राममुत्सृजेत् ।  
 द्वापरकुलमेकन्तु कर्त्तारंतु कलौ युगे ॥ २५ ॥  
 कृते संभाषणादेव त्रेतायां स्पर्शनेन च ।  
 द्वापरैस्त्वन्नमादाय कलौ पततिकर्मणा ॥ २६ ॥

वेद का बनाने वाला कोई नहीं है ( इसी से वेद अपौरुषेय कहा जाता है ) किन्तु चतु-  
 र्मुख ब्रह्मा जी पूर्व कल्प के अभ्यास किये वेद का सर्गारम्भ में स्मरण करने वाले  
 हैं उसी प्रकार मनु जी कल्प २ में तथा प्रत्येक मन्वन्तर में धर्मों का स्मरण करते हैं ।  
 ॥ २१ ॥ सत्ययुग, त्रेता, और द्वापर तथा कलियुग में देशकाल और पात्रों में शक्ति  
 भेदानुसार मनुष्य का धर्म भिन्न २ हो जाता बदलता रहता है ॥ २२ ॥ सत्ययुग में  
 तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलियुग में एक दान को ही मुख्य  
 कहते हैं ( इसी बात को चाहें यों कहो वा मानो कि तप ज्ञान यज्ञ और दान ये धर्म  
 के चार पग हैं उन में से सत्ययुगी तप को, त्रेतायुगी ज्ञान को, द्वापरयुगी यज्ञ को  
 और कलियुगी धर्मात्मा दानको मुख्य कर्त्तव्य मानते हैं ) ॥ २३ ॥ सत्ययुगमें मनु के कहे  
 त्रेता में गौतम के कहे धर्म विशेष कर चल सकते हैं द्वापर में शंख और लिखित  
 के तथा कलियुग में पराशर के कहे धर्म मानने उचित हैं ॥ २४ ॥ सत्ययुग में धर्म  
 हीन देश को और त्रेता में धर्म विरोधी ग्राम को द्वापर में धर्म विरोधी कुल को और  
 कलियुग में अधर्म करने वाले मनुष्य को त्याग दे ॥ २५ ॥ सत्ययुग में अधर्मों के साथ  
 संभाषण करनेसे, त्रेतामें उसके स्पर्श करनेसे द्वापर में अन्न लेकर और कलियुग में  
 कर्म करने से पतित होता है ॥ २६ ॥ सत्ययुग में उसी समय और त्रेता में दशदिन

कृतेतात्क्षणिकःशापस्त्रेतायांदशभिर्द्विनैः ।  
 द्वापरैचैकमासेन कलौसंत्रत्सरेणतु ॥ २७ ॥  
 अभिगम्यकृतेदानं त्रेतास्वाहूयदीयते ।  
 द्वापरैयाचमानाय सेवयादीयतेकलौ ॥ २८ ॥  
 अभिगम्योत्तमंदानमाहूयैवतुमध्यमम् ।  
 अधमंयाच्यमानंस्यात् सेवादानन्तुनिष्फलम् ॥ २९ ॥  
 जितोधर्मोह्यधर्मेण सत्यंचैवानृतेनच ।  
 जिताश्रौरैश्चराजानः स्त्रीभिश्चपुरुषाजिताः ॥ ३० ॥  
 सीदन्तिचाग्निहोत्राणि गुरुपूजाप्रणश्यति ।  
 कुमार्यश्चप्रसूयन्ते तस्मिन्कलियुगेसदा ॥ ३१ ॥  
 कृतेत्वस्थिगताःप्राणास्त्रेतायांमांसमाश्रिताः ।  
 द्वापरैरुधिरंयावत् कलौत्वन्नादिषुस्थिताः ॥ ३२ ॥  
 युगेयुगेचयेधर्मास्तत्रतत्रचयेद्विजाः ।  
 तेषांनिन्दानकर्त्तव्या युगरूपाहितेद्विजाः ॥ ३३ ॥

में शाप लगता द्वापर में एक महीने में और कलियुग में एक वर्ष में शाप लगता है  
 ॥ २७ ॥ सतयुग में ब्राह्मण के समीप जाकर त्रेता में ब्राह्मण को अपने घर पर बुला-  
 कर द्वापर में मांगने पर और कलियुग में जो सेवा करे उसे दान देते हैं अर्थात्  
 दान के ये चार दर्जे हैं ॥ २८ ॥ [श्लोक ३२ तक सब कथन अनुवाद हैं विधि नहीं]  
 ब्राह्मण के समीप जाकर दान देना सद्युगी सर्वोत्तम है और बुलाकर जो दिया वह  
 मध्यम मांगने वाले को जो दिया वह अधम और सेवक को जो दिया वह निष्फल  
 है ॥ २९ ॥ कलियुग में अधर्म से धर्म, भूठ से सत्य औरों से राजा और स्त्रियों से  
 पुरुष जीत लिये जाते अर्थात् दब जाते हैं ॥ ३० ॥ अग्निहोत्र बन्द हो जाते गुरु  
 पूजा नष्ट हो जाती है कुमारी कन्याओं के सन्तान होते ये काम सदैव प्रत्येक  
 कलियुग में होते हैं ॥ ३१ ॥ सत्युग में प्राण हाड़ों में रहते त्रेता में मांस में द्वापर में  
 रुधिर में और कलियुग में अन्न आदि में रहते हैं ॥ ३२ ॥ जिस २ युग में जो २ धर्म  
 होते हैं और उस २ युग में जो ब्राह्मण हैं उनकी निन्दा न करनी चाहिये क्योंकि



युगेयुगेतुसामर्थ्यं शेषंमुनिविभाषितम् ।  
 पराशरेणचाप्युक्तं प्रायश्चित्तंविधीयते ॥ ३४ ॥  
 अहमद्यैवतत्सर्वमनुस्मृत्यब्रवीमिवः ।  
 चातुर्वर्ण्यसमाचारं शृण्वन्तुऋषिपुङ्गवाः ॥ ३५ ॥  
 पराशरमतंपुण्यं पवित्रं पापनाशनम् ।  
 चिन्तितं ब्राह्मणार्थाय धर्मसंस्थापनाय च ॥ ३६ ॥  
 चतुर्णामपि वर्णानां-माचारो धर्मपालकः ।  
 आचारभ्रष्टदेहानां भवेद्दुर्मः पराङ्मुखः ॥ ३७ ॥  
 षट्कर्माभिरतो नित्यं देवतातिथिपूजकः ।  
 हुतशेषन्तु भुञ्जानो ब्राह्मणो नात्र सीदति ॥ ३८ ॥  
 स्नानं सन्ध्याजपो होमो स्वाध्यायो देवतार्चनम् ।  
 आतिथ्यं वैश्वदेवं च षट्कर्माणि दिने दिने ॥ ३९ ॥  
 प्रियो वायदिवा द्वेष्यो मूर्खः पण्डित एव वा ।  
 संप्राप्तो वैश्वदेवान्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥ ४० ॥

वे.युग के अनुसारी हैं ॥३३॥ भिन्न २ युगों में जो सामर्थ्य मुनियों ने कहा है और पराशर जी ने भी जो कहा है उसके अनुसार प्रायश्चित्त का विधान किया जाता है ॥ ३४ ॥ उस सबको अभी स्मरण करके हम कहते हैं हे ऋषियोंमें उत्तम पुरुषो! चारों वर्णों का आचरण सुनो ॥३५॥ क्योंकि पराशर का मत पुण्यका उत्पादक पवित्र तथा पापों का नाशक है जो मत ब्राह्मणों के लिये तथा धर्म की स्थिति के लिये विचारा है ॥ ३६ ॥ चारों वर्णों का जो आचार है वही धर्म का रक्षक जानो जिन का देह आचार से भ्रष्ट है उन से धर्म भी पराङ्मुख होता पीठ फेर लेता है ॥ ३७ ॥ जो छः कर्मों में नित्य तत्पर है तथा देवता और अतिथि का पूजन करता है और जो होम करके शेष बचे अन्नको खाता है वह ब्राह्मण दुःखी नहीं होता ॥३८॥ स्नान सन्ध्या जप होम २ विधि पूर्वक वेदाध्ययन ३ और देवप्रतिमाओं का पूजन अतिथिकी सेवा ४ तथा वैश्वदेव इन षट् कर्मों को प्रतिदिन करे । सन्ध्या स्नान जप ये तीनों अङ्गाङ्गिरूप से एक हैं ॥ ३९ ॥ प्यारा हो वा शत्रु मूर्ख हो वा पण्डित जो वैश्वदेव के अन्त में प्राप्त हो वह अतिथि स्वर्ग में पहुंचाने वाला है ॥ ४० ॥ जो दूर से आया हो

दूराञ्चीपगतंश्रान्तं वैश्वदेवउपस्थितम् ॥  
 अतिथिंतंविजानीयान्नातिथिःपूर्वमागतः ॥ ४१ ॥  
 नैकग्रामीणमतिथिं विप्रंसाङ्गमिकंतथा ।  
 अनित्यंह्यागतोयस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥ ४२ ॥  
 अतिथिंतत्रसंप्राप्तं पूजयेत्स्वागतादिना ।  
 तथासनप्रदानेन पादप्रक्षालनेनच ॥ ४३ ॥  
 श्रद्धयाचान्नदानेन प्रियप्रश्नोत्तरेणच ।  
 गच्छतश्चानुयानेन प्रीतिमुत्पादयेद्गृही ॥ ४४ ॥  
 अतिथिर्यस्यभग्नाशो गृहात्प्रतिनिवर्त्तते ।  
 पितरस्तस्यनाश्रन्ति दशवर्षाणिपञ्च ॥ ४५ ॥  
 काष्ठभारसहस्रेण घृतकुम्भशतेनच ।  
 अतिथिर्यस्यभग्नाशस्तस्यहोमोनिरर्थकः ॥ ४६ ॥  
 सुक्षेत्रेवापयेद्वीजं सुपात्रेनिःक्षिपेद्वनम् ।  
 सुक्षेत्रेचसुपात्रेच ह्युपंदत्तंनश्यति ॥ ४७ ॥  
 नपृच्छेद्गोत्रचरणे नस्वाऽध्यायंश्रुतंतथा ।  
 हृदयेकल्पयेद्देवं सर्वदेवमयोहिसः ॥ ४८ ॥

थक गया हो वैश्वदेव के समय उपस्थित हो उस को अतिथि जाने पहिले आजुके  
 वा-ठहरे हुए को नहीं ॥ ४१ ॥ एक गांवमें रहने वाले ब्राह्मण को तथा मैली ब्राह्मण  
 को अतिथि कभी न माने क्योंकि नित्य जोन आवे उसे ही अतिथि कहा जाता है ॥ ४२ ॥  
 उस समय ( वैश्वदेव में ) आवे अतिथि का ( स्वागत ) आदि से पूजन करे । तथा  
 वैसे ही आसन देने पग धोने ॥ ४३ ॥ श्रद्धा से अन्न देने प्रिय तथा मधुर प्रश्न और  
 उत्तरों से जाते के पीछे चलने से गृहस्त्री पुरुष अतिथि को प्रसन्न करे ॥ ४४ ॥ जिस  
 के घर से निराश होकर अतिथि चला जाता है उस के यहां पितर पन्द्रह वर्ष तक  
 नहीं खाते ॥ ४५ ॥ काष्ठ के हजार बोकों से घी के सौ घड़ों से भी उसका होम वृथा  
 है जिस के यहां से अतिथि निराश होकर लौट जाता है ॥ ४६ ॥ अच्छे खेत में बीज  
 बोवे और सुपात्र को धन देवे क्योंकि अच्छे खेत में बोया बीज तथा सुपात्र को दिया  
 दान नष्ट नहीं होता ॥ ४७ ॥ गोत्र वा चरण ( नाम कठ कौथुमादि ) ब्रह्मयज्ञ और वेदा-  
 ध्ययन इनको भी न पूछे अपने हृदय में अतिथि को देवता समझे क्योंकि अतिथि सब  
 देवताओं का रूप है ॥ ४८ ॥

अपूर्वःसुव्रतीविप्रो ह्यपूर्वश्चातिथिस्तथा ।  
 वेदाभ्यासरतीनित्यं त्रयोऽपूर्वादिनेदिने ॥ ४९ ॥  
 वैश्वदेवतुसंप्राप्ते भिक्षुकुक्कृहमागते ।  
 उदुघृत्यवैश्वदेवार्थं भिक्षां दत्त्वा विसर्जयेत् ॥ ५० ॥  
 यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्वान्नस्वामिनावुभौ । ।  
 तयोरन्नमदत्त्वा च भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ५१ ॥  
 दद्याच्च भिक्षात्रितयं परिव्राट् ब्रह्मचारिणाम् ।  
 इच्छया च ततो दद्याद्भिभवे सत्यवारितम् ॥ ५२ ॥  
 यतिहस्ते जलं दद्याद् भैक्षं दद्यात्पुनर्जलम् ।  
 तद्भैक्षं मेरुणा तुल्यं तज्जलं सागरोपमम् ॥ ५३ ॥  
 यस्य छत्रं हयश्चैत्र कुञ्जरारोहमृद्धिमत् ।  
 ऐन्द्रं स्थानमुपासीत तस्मात्तन्नविचारयेत् ॥ ५४ ॥  
 वैश्वदेवकृतं पापं शक्तो भिक्षुर्व्यपोहितुम् ।  
 नहि भिक्षुकृतं दोषं वैश्वदेवो व्यपोहति ॥ ५५ ॥

अच्छे व्रत नियम वाला ब्राह्मण-और ऐसा ही अतिथि और नित्य २ वेद का पढ़ने वाला ये तीनों प्रतिदिन भी अपूर्व ( नवीन ) ही समझे जाते हैं ॥ ४९ ॥ वैश्व-  
 देव के समय यदि भिक्षुक घर में आवे तो वैश्वदेव के लिये पृथक् अन्न निकाल कर  
 भिक्षा देके विदा करै ॥ ५० ॥ यति संन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों पक्के अन्न के  
 अधिकारी हैं उन दोनों को बिना अन्न दिये जो भोजन करै वह चांद्रायण व्रत का  
 प्रायश्चित्ती होता है ॥ ५१ ॥ संन्यासी और ब्रह्मचारियों को तीन खुराक तक भिक्षा  
 देवे यदि घन होय तो अपनी इच्छा से और भी देवे ॥ ५२ ॥ पहिले संन्यासी के हाथ  
 में जल दे फिर अन्न दे पीछे भोजनान्त में फिर जल देवे वह भिक्षा मेरु पर्वत के और  
 वह जल समुद्र के समान दान है ॥ ५३ ॥ जिस विरक्त संन्यासी को दिव्य हाथी घोड़ा  
 छत्रादि स्वर्गीय देवराज इन्द्र की संपत्ति अपने कर्माजुसार प्राप्त होसकती है इस कारण  
 भिक्षु अतिथि की परीक्षा का विचार न करै ॥ ५४ ॥ संन्यासी का सत्कार अवश्य  
 करै वैश्वदेव के भूल जाने के दोष को भिक्षु दूर कर सकता है पर भिक्षु के लौट  
 जाने से हुए पाप को वैश्वदेव दूर नहीं कर सकता ॥ ५५ ॥

ॐ कृत्वा वैश्वदेवं तु भुञ्जते ये द्विजांधमाः ।  
 सर्वे ते निष्फलाज्ञेयाः पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ ५६ ॥  
 वैश्वदेवविहीना ये आतिथ्येन बहिष्कृताः ।  
 सर्वे ते नरकं यान्ति काकयोनिं ब्रजन्ति च ॥ ५७ ॥  
 शिरो वेष्ट्य तु यो भुङ्क्ते दक्षिणाभिमुखस्तु यः ।  
 वामपादेकरं न्यस्य तद्वैरक्षांसि भुञ्जते ॥ ५८ ॥  
 यतयेकाञ्चनं दत्त्वा ताम्बूलं ब्रह्मचारिणे ।  
 चोरेभ्योऽप्यभयं दत्त्वा दातापिनरकं व्रजेत् ॥ ५९ ॥  
 शुक्लवस्त्रं च यानं च ताम्बूलं घातुमेव च ।  
 प्रतिगृह्य कुलं हन्यात् प्रतिगृह्णाति यस्य च ॥ ६० ॥  
 चोरो वायदिचाण्डालः शत्रुर्वापितृघातकः ।  
 वैश्वदेवे तु संप्राप्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥ ६१ ॥  
 न गृह्णाति तु यो विप्रो ह्यतिथिं वैदपारगम् ।  
 अददन्नन्मात्रन्तु भुक्त्वा भुङ्क्ते तु किल्बिषम् ॥ ६२ ॥

जो द्विजों में नीच पुरुष वैश्वदेव कर्म किये बिना भोजन करते हैं उन का सब जीवन निष्फल है और वे अशुद्ध नरक में पड़ते हैं ॥ ५६ ॥ जो वैश्वदेव से रहित हुए अतिथि का सत्कार नहीं करते वे सब नरक में जाते हैं तदनन्तर कौबे की योनि को प्राप्त होते हैं ॥ ५७ ॥ जो मनुष्य शिर में पगड़ी आदि बांध कर वा दक्षिण को मुख करके भोजन करता है तथा बाँये पग पर हाथ रख कर खाता है उस अन्न को राक्षस का जाते हैं अर्थात् भोजन का यह राक्षसी प्रकार है ॥ ५८ ॥ संन्यासी को सुवर्ण ब्रह्मचारियों को पान और चोरों को अभय दान देकर दाता भी नरक में जाता है ॥ ५९ ॥ सफेद वस्त्र, सवारी, पान, और घातु इनका दान लेने वाला यदि अपने और दाता के कुल का नाश करता है ॥ ६० ॥ चौर हो वा चाण्डाल हो और चाहे पिता को मारने वाला शत्रु भी हो परन्तु वैश्वदेव के समय आया हो तो वह अतिथि स्वर्ग में ले जाने वाला है ॥ ६१ ॥ जो ब्राह्मण वेदका पार जानने वाला अतिथि का नहीं ग्रहण करता अर्थात् ऐसे अतिथि का पूजन नहीं करता वह अतिथि को नहीं दिये अन्न रूप में पाप का भागी होता है ॥ ६२ ॥

ब्राह्मणस्यमुखंक्षेत्रं सर्वोत्तममकण्टकम् ।  
 वापयेत्सर्वबीजानि साकृपिःसार्वकामिका ॥ ६३ ॥  
 सुक्षेत्रेवापयेद्वीजं सुपात्रेनिःक्षिपेद्वनम् ।  
 सुक्षेत्रेचसुपात्रेच ह्युप्तं दत्तन्ननश्यति ॥ ६४ ॥  
 अब्रताह्यनधीयाना यत्रभैक्षचराद्विजाः ।  
 तंग्रामंदण्डयेद्राजा चौरभक्तप्रदोहिसः ॥ ६५ ॥  
 क्षत्रियोहिप्रजारक्षन् शस्त्रपाणि प्रदण्डवान् ।  
 निर्जित्यपरसैन्यानि क्षितिंधर्मेणपालयेत् ॥ ६६ ॥  
 नश्रीःकुलक्रमायाता भूषणोल्लिखिसाऽपिवा ।  
 खड्गेनाक्रम्यभुञ्जीत वीरभोग्यांवसुन्धराम् ॥ ६७ ॥  
 पुष्पंपुष्पंविचिन्वीत मूलच्छेदनकारयेत् ।  
 मालाकारइवाऽरामे नयथाङ्गारकारकः ॥ ६८ ॥  
 लाभकर्मतधारत्नं गवांचपरिपालनम् ।  
 कृषिकर्मचत्राणिज्यं वैश्यवृत्तिरुदाहृता ॥ ६९ ॥

ब्राह्मण का मुख कांटे रहित और जल विहीन सर्वोत्तम खेत है उसी में सब बीज बोवे  
 क्योंकि यही खेती सब कामनाओं को देने वाली है ॥ ६३ ॥ अच्छे खेत में बीज बोवे  
 और सुपात्र को धन देवे । अच्छे खेत में बोया अन्न और सुपात्र को दिया धन नष्ट  
 नहीं होता ॥ ६४ ॥ जिस ग्राम में ब्रतों को न करते और वेद को न पढ़े हुए ब्राह्मण  
 भिक्षा मांगते हैं उस ग्राम को राजा दण्ड दे क्योंकि वह ग्राम चौरों को भाग देता है  
 ॥ ६५ ॥ दण्डनीत्यनुसार शस्त्र को हाथ में लिये प्रजा की रक्षा करता हुआ क्षत्रिय  
 शत्रुओं की सेनाओं को जीत कर धर्मानुकूल पृथ्वी को पालना करे ॥ ६६ ॥ क्योंकि  
 लक्ष्मी कुछ कुल परम्परा से नहीं आती और भूषणों से भी नहीं जानी जाती किन्तु  
 अपने शस्त्रबल से शत्रुओं को जीत कर पृथ्वी को भोगे क्योंकि पृथ्वी शूरवीरों के  
 भोगने योग्य है ॥ ६७ ॥ राजा को चाहिये कि जैसे माली बगीचे के वृक्षों की रक्षा  
 रखता हुआ फूल र तोड़ लेता है किन्तु मूलोच्छेद नहीं करता वैसे ही प्रजा की  
 रक्षा करता हुआ राजा उस से धनादि लिया करे किन्तु कोइला बनाने वाला जैसे  
 जड़ से वृक्षों को काट डालता है वैसे प्रजा की जड़ न बिगाड़े ॥ ६८ ॥ लाभ का  
 काम, रक्षादि की परीक्षा तथा वैचन गौओं की अच्छी रक्षा, खेती करना व्यापार ये  
 वैश्य की वृत्ति ( जीविका ) कही हैं ॥ ६९ ॥

शूद्राणां द्विजशुश्रूषा परमोधर्मउच्यते ।  
 अन्यथाकुरुते किञ्चित्तद्वेत्तस्य निष्फलम् ॥ ७० ॥  
 लवणं मधुतैलञ्च दधितक्रंघृतंपयः ।  
 नदुष्येच्छूद्रजातीनां कुर्यात्सर्वेषु विक्रयम् ॥ ७१ ॥  
 विक्रीणन्मद्यमांसानि ह्यभक्ष्यस्य च भक्षणम् ।  
 कुर्वन्मग्न्यागमनं शूद्रः पतिततत्क्षणात् ॥ ७२ ॥  
 कपिलाक्षीरपानेन ब्राह्मणीगमनेन च ।  
 वेदाक्षरविचारेण शूद्रस्य नरकं भ्रुवम् ॥ ७३ ॥

इति पाराशरीये धर्मशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

अतः परंगृहस्थस्य धर्माचारं कलौ युगे ।  
 धर्मसाधारणं शक्यं चातुर्वर्ण्याश्रमागतम् ॥ १ ॥  
 संप्रवक्ष्याम्यहंपूर्वं पाराशरवचो यथा ।  
 षट्कर्मसहितो विप्रः कृपिकर्माणि कारयेत् ॥ २ ॥

और शूद्रों का परम धर्म द्विजों की सेवा करना कहा है। इस मुख्य कर्त्तव्य को सर्वथा छोड़ जो कुछ धर्म सम्बन्धी कृत्य शूद्र करता है तो वह उस का निष्फल है ॥७०॥ लवण, मधु(शहद) तेल, दही, मठा, घी और दूध ये शूद्रों के स्पर्श किये दूषित नहीं हैं इनको शूद्र सब जातियोंमें बेंचे ॥७१॥ मदिरा और मांसको बेंचता, अभक्ष्यका भक्षण करता और गमन करनेके अयोग्य ब्राह्मणी आदि स्त्री के संग गमन करता हुआ शूद्र उसी क्षण में पतित हो जाता है ॥७२॥ कपिला गौ का दूध पीने ब्राह्मणी के संग गमन करने, और वेद के अक्षरों का विचार करने से शूद्र को निश्चय नरक होता है.।

इति पाराशरीये धर्मशास्त्रे १ अध्यायः ॥

इस के अनन्तर कलियुग में गृहस्थ का धर्म आचार और चारों वर्णों तथा आश्रमों का यथाशक्ति साधारण धर्म जो है ॥ १ ॥ उसको हम पहिले पाराशर के वचनानुसार कहेंगे। छः कर्मों सहित ब्राह्मण खेती के काम भी करावे ॥ २ ॥ ऐसे बौल को न जुनं-

क्षुधितं तृषितं त्रान्तं ब्रलीवर्द्धनयोजयेत् ।  
 हीनाङ्गव्याधितं क्लीबं वृषं विप्रो न ब्राह्मयेत् ॥ ३ ॥  
 स्थिराङ्गनीरुजं द्रुप्तं सुनर्द्धं षण्ढवर्जितम् ।  
 ब्राह्मयेद्विषसस्याद्धं पश्चात्स्नानं समाचरेत् ॥ ४ ॥  
 जपं देवार्चनं हीमं स्वाध्यायं साङ्गमभ्यसेत् ।  
 एकद्वित्रिचतुर्विप्रान् भोजयेत्स्नातकान्द्विजः ॥ ५ ॥  
 स्वयं कृष्टे तथाक्षेत्रे धान्यैश्च स्वयमर्जितैः ।  
 निर्वपेत्पञ्चयज्ञांश्च ऋतुदीक्षां च कारयेत् ॥ ६ ॥  
 तिलारसानविक्रेया विक्रेया धान्यतत्समाः ।  
 विप्रस्यैव विधावृत्तिस्तृणकाष्ठादिविक्रयः ॥ ७ ॥  
 ब्राह्मणस्तुकृषिं कृत्वा महादोषमवाप्नुयात् ।  
 अष्टागवं धर्म्यहलं षड्गवं वृत्तिलक्षणम् ॥ ८ ॥  
 चतुर्गवं तृशंसानां द्विगवं गौजिघांसिनाम् ।  
 द्विगवं ब्राह्मयेत्पादं मध्याह्नुचतुर्गवम् ॥ ९ ॥

चाबे जो भूखा प्यासा थका किसी अंग से हीन रोगी-और नपुंसक हो ॥ ३ ॥ जो  
 स्थिरांग (जिस के अंग सब पुष्ट हों) रोग रहित-उद्धत खूब शब्द करता हो-जो बधिया  
 न किया गया हो-ऐसे बैल को आधे दिन जुतवावे और पीछे स्नान करे ॥ ४ ॥ जप  
 देवताओं की पूजा हेम और छः अङ्गों सहित वेद का पाठ इन का अभ्यास करे और  
 एक, दो, तीन, वा चार ब्राह्मणों ( जो ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृहधर्म में आये हों )  
 को भोजन करावे ॥ ५ ॥ आप जोते खेत में और आप ही पैदा किये अन्नों से पंचयज्ञ  
 करे और यज्ञ की दीक्षा भी करावे ॥ ६ ॥ तिल तथा छः रसों को न बँचै । अन्न और  
 जो अन्न के समान हैं उन को, और तृण काठ आदिको बँचै । ब्राह्मणकी यह जीविका  
 वैश्यवृत्तियोंमें है ॥७॥ जो ब्राह्मण खेती करे तो महादोषको प्राप्त हो-तथापि यदि आपत्  
 कालमें खेती करनी पड़े तो आठ बैलका हल धर्मयुक्त है, छः बैल जिसमें हों वह मध्यम  
 जीविका के लिये है ॥८॥ चार जिसमें बैल हों वह हिंसकों का है दो बैलों का हल  
 जोतने वाला गोहत्यारके सहित है, दो बैल वाले हल को चौथाई दिन जोते चार बैल  
 को हल को मध्याह्न तक जोते ॥९॥

षड्गवतुत्रियामाहेऽष्टभिः पूर्णंतुवाहयेत् ।  
 नयातिनरकेष्वेवं वर्त्तमानस्तु वैद्विजः ॥ १० ॥  
 दानंदद्याद्ध्रैतेषां प्रशस्तंस्वर्गसाधनम् ।  
 संवत्सरेणयत्पापं मत्स्यघातीसमाप्नुयात् ॥ ११ ॥  
 अयोमुखेनकाष्ठेन तदेकाहेनलाङ्गली ।  
 पाशकीमत्स्यघातीच व्याधःशाकुनिकस्तथा ॥१२॥  
 अदाताकर्षकश्चैव पञ्चैतेसमभागिनः ।  
 कण्डनीपेपणीचुल्ही उदकुम्भीचमार्जनी ॥ १३ ॥  
 पञ्चसूनागृहस्थस्य अहन्यहनिवर्त्तते ।  
 वैश्वदेवोवलिर्भिक्षा गोग्रासोहन्तकारकः ॥ १४ ॥  
 गृहस्थःप्रत्यहंकुर्वात्सूनादोषैर्नलिप्यते ।  
 वृक्षाञ्छित्त्वामहीभिस्त्वा हत्वाचक्रमिकीटकान् ॥१५॥  
 कर्षकःखलुयज्ञेन सर्वपापैःप्रमुच्यते ।  
 योनदद्याद्द्विजातिभ्यो राशिमूलमुपागतः ॥ १६ ॥

छः बौलों के हल को दिन के तीन पहर और आठ बौल के हल को सब दिन जोते ऐसे चर्तता हुआ द्विज नरक में नहीं जाता ॥१०॥ स्वर्ग का उत्तम साधन दान ब्राह्मणों को ही देवे । मच्छिर्यों को मारने वाला एक वर्ष में जिस पाप का भागी होता है ॥ ११ ॥ लोहा है मुख में जिस के ऐसे काठ ( हल ) वाला ब्राह्मण एक दिन में उस पापका भोगने वाला होता है । १-पाशक (फांसी देके मारने वाला, ) २-मच्छिर्यों का मारने वाला, ३-हिरणादि को मारने वाला वधिक ४-पक्षियों को पकड़ने वाला ॥१२॥ तथा पांचवां जो दान न देवे और खेती करने वाला हो-ये पांचों एक ही प्रकार के समान पाप भागी हैं । ओखली, चक्की, चुल्हा, जल के घड़े, मार्जनी (बुहारी) ॥१३॥ ये पांच हत्या गृहस्थ पुरुष को नित्य २ लगती हैं । वैश्वदेव ( देवयज्ञ ) बली ( भूतयज्ञ ) भिक्षा देना, गोग्रास, और हंतकार नाम अतिथियज्ञ ॥१४॥ इन पांचोंको जो गृहस्थी प्रतिदिन करता है वह पूर्वोक्त पांच हत्याओंके दोषसे लिप्त नहीं होता । वृक्षोंको काटने पृथ्वी के खोदने, क्रमि और कीड़ोंके मारनेसे जो पाप खेतीमें होता है ॥१५॥ खेती करने वाला यज्ञ करनेसे उन सय पापोंसे छूटजाता है । जिसके भ्रमकी राशि हुई हो और वह समीपमें



सचौरःसचपापिष्ठो ब्रह्मघ्नंतंविनिर्दिशेत् ।  
 राज्ञेदत्वातुषड्भागं देवानांचैकविंशकम् ॥ १७ ॥  
 विप्राणांत्रिंशकंभागं कृषिकर्त्तानलिप्यते ।  
 क्षत्रियोपिकृषिकृत्वा देवान्विप्रांश्चपूजयेत् ॥ १८ ॥  
 वैश्यःशूद्रस्तथाकुर्यात्कृषिवाणिज्यशिल्पकम् ।  
 विकर्मकुर्वतेशूद्रा द्विजशुश्रूषयोज्ज्विताः ॥ १९ ॥  
 भवन्त्यल्पायुषस्तैवै निरर्थघान्त्यसंशयम् ।  
 चतुर्णामपिवर्णानां=मेषधर्मःसनातनः ॥ २० ॥  
 इति पाराशरीये धर्मशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

अतःशुद्धिंप्रवक्ष्यामि जन्मनेमरणेतथा ।  
 दिनत्रयेणशुद्ध्यन्ति ब्राह्मणाप्रेतसूतके ॥ १ ॥  
 क्षत्रियोद्वादशाहेन वैश्यःपञ्चदशाहकैः ।  
 शूद्रःशुद्ध्यतिमासेन पराशरवचोयथा ॥ २ ॥  
 उपासनेतुविप्राणामङ्गशुद्धिश्चजायते ।  
 ब्राह्मणानांप्रसूतौतु देहस्पर्शाविधीयते ॥ ३ ॥

आये ब्राह्मणों को न दे तो ॥ १६ ॥ वह चौर और पापी है उसे ब्रह्महत्यारा कहते हैं ।  
 छठा भाग राजा को और इकसवां भाग देवताओं को ॥ १७ ॥ तीसवां भाग ब्राह्मणों  
 को जो देता है वह खेती के दोष से लिप्त नहीं होता । क्षत्रिय भी खेती करे तो  
 देवता और ब्राह्मणों की पूजा करे ॥ १८ ॥ तिसी प्रकार वैश्य और शूद्र भी खेती  
 वाणिज्य ( व्यापार ) और कारीगरी-इन को करें । द्विजा की सेवा को छोड़ कर  
 शूद्र लोग जो कर्म करते हैं वह खोटा काम है ॥ १९ ॥ और वे शूद्र थोड़ी अवस्थावाले  
 होते हैं और नरक में जाते हैं इसमें संशय नहीं चारों वर्णों का यह सनातनधर्म है ॥२०॥  
 इति पाराशरीये धर्मशास्त्रे २ अध्यायः ॥

भय जन्म आर मरण समय में शुद्धि को कहते हैं । मरने के सूतक में मध्य,  
 कोटि के धर्मनिष्ठ ब्राह्मण तीन दिन में शुद्ध होते हैं ॥ १ ॥ क्षत्रिय चारह दिन में वैश्य  
 पन्द्रह दिन में शूद्र एक महीने में पराशर के बचनानुसार शुद्ध होते हैं ॥ २ ॥ ब्राह्मणों  
 की सेवा करने से सेवक का देह शुद्ध हो जाता है । और जन्म सूतक में शूद्र को

जातौविप्रोदशाहेन द्वादशाहेनभूमिपः ।  
 वैश्यःपञ्चदशाहेन शूद्रोमासेनशुद्धयति ॥ ४ ॥  
 एकाहाच्छुद्धयतेविप्रो योऽग्निवेदसमन्वितः ।  
 त्र्यहात्केवलवेदस्तु द्विहीनोदशभिर्द्विनैः ॥ ५ ॥  
 जन्मकर्मपरिभ्रष्टः सन्ध्योपासनवर्जितः ।  
 नामधारकविप्रस्तु दशाहंसूतकीभवेत् ॥ ६ ॥  
 अजागावोमहिष्यश्च ब्राह्मणीनवसूतिका ।  
 दशरात्रेणसंशुद्धयेद् भूमिस्थज्वनवोदकम् ॥ ७ ॥  
 एकपिण्डास्तुदायादाः पृथग्दारनिकेतनाः ।  
 जन्मन्यपिविपत्तौच तेषांतत्सूतकंभवेत् ॥ ८ ॥  
 उभयत्रदशाहानि कुलस्यान्नं न भुञ्जते ।  
 दानंप्रतिग्रहोहोमः स्वाध्यायश्चनिवर्त्तते ॥ ९ ॥

ब्राह्मण के देह का स्पर्श कहा है अर्थात् शूद्र के यहां होमादि से शुद्धि नहीं है । किन्तु शुद्धि के दिन पूरे हों तब स्नानादि करके ब्राह्मणों के चरणस्पर्श कर शूद्र शुद्ध होते हैं ॥ ३ ॥ जन्म सूतक में ब्राह्मण दशदिन में, क्षत्रिय बारह दिन में, वैश्य पन्द्रह दिन में, और शूद्र एक महीने में शुद्ध होते हैं ॥ ४ ॥ अग्निहोत्र और वेदाध्ययन दोनों धर्म कृत्य यथोक्त करने वाला ब्राह्मण एक दिन में, केवल वेदपाठी तीन दिन में और जो इन दोनों से हीन हो वह ब्राह्मण दश दिन में शुद्ध होता है ॥ ५ ॥ द्वितीय जन्म रूप उपनयनादि संस्कार से तथा कर्म से हीन- और सन्ध्योपासन जो न करता हो ऐसा जो नाम धारण करने वाला ब्राह्मण वह दश दिन के सूतक का भागी होता है ॥ ६ ॥ चकरी-गौ-भैस-नवसूतिका ( जिस के प्रथम ही सन्तान हुआ हो ) ऐसी ब्राह्मणी और पृथ्वी पर ठहरा नूतन जल ये दश दिन में शुद्ध होते हैं ॥ ७ ॥ जो पिता के अंश के भागी हैं एक मा वाप से उत्पन्न हुए जिन के पुत्रक, रूखी और घर हैं जन्म और मरण का सूतक उन सब को होता है ॥ ८ ॥ दोनों प्रकार के सूतकों में सूतक वालों का अन्न दश दिन तक अन्य लोगों को नहीं खाना चाहिये । दान देना, दान लेना, ग्रहयज्ञ और होम भी सूतक में नहीं करना चाहिये ॥ ९ ॥

तावत्तत्सूतकंगोत्रे चतुर्थपुरुषेणतु ।  
 दायाद्विच्छेदमाप्नोति पञ्चमोवात्मवंशजः ॥  
 चतुर्थेदशरात्रंस्यात्षण्णिशाःपुंसिपञ्चमे ।  
 षष्ठेचतुरहाच्छुद्धिः सप्तमेतुदिनत्रयात् ॥ ११ ॥  
 शृङ्गयग्निमरणेचैव देशान्तरमृतेतथा ।  
 बालेमेतेचसंन्यस्ते सद्यःशौचंविधीयते ॥ १२ ॥  
 दशरात्रेष्वतीतेषु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ।  
 ततःसंवत्सरादूर्ध्वं सचैलंस्नानमाचरेत् ॥ १३ ॥  
 देशान्तरमृतःकश्चित्सगोत्रःश्रूयतेयदि ।  
 नत्रिरात्रमहोरात्रं सद्यःस्नात्वाशुचिर्भवेत् ॥ १४ ॥  
 आत्रिपक्षात्त्रिरात्रंस्यादाषण्मासाञ्चपक्षिणी ।  
 अहःसंवत्सरादर्वाकूसद्यःशौचंविधीयते ॥ १५ ॥  
 देशान्तरगतोविप्रः प्रयासात्कालकारितात् ।  
 देहनाशमनुप्राप्तस्तिथिर्नज्ञायतेयदि ॥ १६ ॥

एक गोत्रमें चौथी पीढ़ी तक ही पूरा सूतक भी होता है क्योंकि अपने वंशका पांचवां पुरुष सपिण्डता से विभक्त होजाने से पृथक् हो जाता है ॥१०॥ चतुर्थ पीढ़ी तक दश दिन पांचवीं पीढ़ी में छः दिन रात-छठी पीढ़ी में चार दिन और सातवीं पीढ़ीमें तीन दिन में शुद्धि होती है ॥११॥ सींग वाले पशुओं से-वा भक्षि से मरने में वा देशान्तर के मरने में- बालक के मरने में और अपने कुटुम्बी संन्यासी के मरने में उसी समय शुद्धि हो जाती है ॥ १२ ॥ दश दिन बीत जाने पर विदेशमें सगोत्री का मरण सुने तो तीन दिनमें शुद्धि और एकवर्ष बाद सुने तो तत्काल वहाँ सहित स्नान करनेसे शुद्धि होती है ॥ १३ ॥ यदि देशान्तर में मरा सगोत्री अधिक काल बीतने पर सुना जाय तो तीन दिन वा एक दिन रात आशौच न माने किन्तु शीघ्र ही स्नान करने से तत्काल शुद्धि होती है ॥१४॥ डेढ़ महीने तक सुननेपर तीन दिनमें शुद्धि छः महीनेमें सुने तो एक दिनरातमें शुद्धि करे, वर्ष भरके भीतर सुने तो एक दिन मात्रमेंशुद्धिऔर पश्चात् वर्ष बीत जाने पर तत्काल शुद्धि कर लेवे ॥१५॥ यदि देशान्तरमें गया ब्राह्मण देशकालानुसार किये विशेष परिश्रमसे मरजाय और मरनेकी तिथि मालूम नहो ॥१६॥

कृष्णाष्टमीत्वमांघ्रास्या कृष्णात्रैकादशीक्षया ।  
 उदकपिण्डदानंच तत्रप्राहुंचकारयेत् ॥ १७ ॥  
 अजातदन्तायैवाला येचगर्भाद्विनिस्सृताः ।  
 नतेषामग्निस्कारो नांशौचनोदकक्रिया ॥ १८ ॥  
 यदिगर्भोविपद्येत स्रवतेवापियोषिताम् ।  
 यावन्मासस्थितोगर्भो दिनंतावत्सूतकम् ॥ १९ ॥  
 आचतुर्थाद्द्वेत्स्वावः पातःपञ्चमषष्ठयोः ।  
 अतज्ज्दुर्ध्वंप्रसूतिःस्याद्दशाहंसूतकंभवेत् ॥ २० ॥  
 प्रसूतिकालेसंप्राप्ते प्रसवेयदियोषिताम् ।  
 जीत्रापत्येतुगोत्रस्य मृतेमातुश्चसूतकम् ॥ २१ ॥  
 शान्नावेषसमुत्पन्ने मृतेरजसिसूतके ।  
 पूर्वमेवदिनंग्राह्यं यावन्नोदयतेरविः ॥ २२ ॥  
 दन्तजातेनुजातेच कृतचूडेचसंस्थिते ।  
 अग्निस्स्करणंतेषां त्रिरात्रंसूतकंभवेत् ॥ २३ ॥

तो कृष्णपक्ष की आठ, अमावस, अथवा कृष्ण एकादशी में जलदान, पिण्डदान और श्राद्ध करें ॥ १७ ॥ जो दांतों के निकलने से पहिले वा गर्भसे निकलते ही मर गये हैं उनको अग्निका दाह, अशौच और जलदान ( तिलाञ्जलि ) नहीं करना चाहिये ॥ १८ ॥ यदि गर्भ में विपत्ति ( मरना ) हो जाय वा स्त्री का गर्भ ही गिर जाय तो जितने महीने का गर्भ हो उतने ही दिन का सूतक होता है ॥ १९ ॥ चार महीने तक का जो गर्भ गिरे उसे गर्भस्त्राव कहते हैं, पांच और छठे महीने का गिरे तो उसे गर्भपात कहते हैं इससे आगे प्रसूति होती है उसका सूतक जीवित रहे तो दश दिन का होता है ॥ २० ॥ स्त्रियों के प्रसव समय में यदि जीवित संतान पैदा हो तो चार पीढ़ी तक के गोत्र वालों को अशौच लगता और मरा पैदा हो तो केवल माता को अशुद्धि लगती है ॥ २१ ॥ यदि रात्रि में मरा हुआ संतान पैदा हो या रजोधर्म हो तो सूतक वा अशुद्धि के लिये सूर्योदयसे पहिले धीरे धुप दिन्से ही गणना करनी चाहिये ॥ २२ ॥ दांत उगने के पीछे वा दांत निकलते ही अथवा मुगडन हो जाने पर बालक मर जम्न

आदन्तजननात्सद्य आचूडान्नैशिकीस्मृता ।  
 त्रिरात्रमात्रतात्तेषां दशरात्रमतःपरम् ॥ २४ ॥  
 गर्भयदिविपत्तिःस्याद्दशाहंसूतकंभवेत् ।  
 जीवन्जातीयदिप्रेतः सद्यएवविशुद्ध्यति ॥ २५ ॥  
 स्त्रीणांचूडान्नआदानात्संक्रमात्तदधःक्रमात् ।  
 सद्यःशौचमघैकाहं त्रिरहःपितृबन्धषु ॥ २६ ॥  
 ब्रह्मचारीगृहेषु हूयतेचहुताशनः ।  
 संपर्कचेन्नकुर्वन्ति नतेषांसूतकंभवेत् ॥ २७ ॥  
 संपर्काद्दुद्ध्यतेविप्रो जननेमरणेतथा ।  
 संपर्काच्चनिवृत्तस्य नप्रेतंनैवसूतकम् ॥ २८ ॥  
 शिल्पिनःकारुकावैद्या दासीदासाश्रनापिताः ।  
 राजानःश्रोत्रियाश्चैव सद्यःशौचाःप्रकीर्तिताः ॥ २९ ॥

तो उसका अग्निसे दाह करै और तीन दिन रात अशुद्धि माने ॥ २३ ॥ दांतोंके निकलने से पहिले जो बालक मरै तो उसी समय, चूड़ाकर्म से पहिले मरै तो एक दिन रात और यज्ञोपवीत से पहिले मरै तो तीन दिन रात का अशौच होता है इससे परे दश दिन का होता है ॥ २४ ॥ यदि गर्भ में विपत्ति हो अर्थात् जीवित बच्चा पैदा होकर मर जाय तो दश दिन और मरा हुआ पैदा हो तो तत्काल शुद्धि होती है ॥ २५ ॥ चूड़ा कर्म से पहिले कन्या मरै तो तत्काल शुद्धि होती सगई से पहिले मरै तो एक दिन रात वाग्दान होने पर सप्तपदी से पहिले मरै तो पितृ गोत्र वालों को तीन दिन रात शुद्धि माननी चाहिये ॥ २६ ॥ जिनके घर में समिदाधान करता हुआ ब्रह्मचारी रहता हो और वह यदि मर जाय तो जिन लोगोंने उसका स्पर्श नहीं किया उन्हें सूतक नहीं लगता ॥ २७ ॥ जन्म और मरण सम्बन्धी सूतक में सात पीढ़ी वालों से भिन्न ब्राह्मण स्पर्श करने से दूषित होता है यदि संपर्क न करै तो दोनों ही सूतक नहीं लगते ॥ २८ ॥ शिल्पी ( चित्र बनाने वाले ) कारीगर, वैद्य, दासी ( दहलनी ) दास, नाई राजा, चौर, वेदपाठी, इनकी उसी समय तत्काल शुद्धि होती है ॥ २९ ॥ जिनने

सत्रतीमन्त्रपूतश्च आहिताग्निश्चयोद्विजः ।  
 राज्ञश्चसूतकं नास्ति यस्य चेच्छतिपार्थिवः ॥ ३० ॥  
 उद्यतोनिधनेदाने आर्तोविप्रोनिमन्त्रितः ।  
 तदैव ऋषिभिर्दृष्टं यथाकालेन शुद्ध्यति ॥ ३१ ॥  
 प्रसवे गृहमेधीतु न कुर्यात्सङ्करं यदि ।  
 दशाहाच्छुद्ध्यते माता त्ववगाह्यपिता शुचिः ॥ ३२ ॥  
 सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम् ।  
 सूतकं मातुरेव स्यात् - दुपस्पृश्यपिता शुचिः ॥ ३३ ॥  
 यदि पत्न्यां प्रसूतायां संपर्कं कुरुते द्विजः ।  
 सूतकं तु भवेत्तस्य यदि विप्रः षडङ्गवित् ॥ ३४ ॥  
 संपर्काज्जायते दोषो नान्यो दोषोस्ति वैद्विजे ।  
 तस्मात्सर्वप्रयत्नेन संपर्कं वर्जयेद्बुधः ॥ ३५ ॥  
 त्रिवाहोत्सवयज्ञेषु त्वन्तरामृतसूतके ।  
 पूर्वसंकल्पितं द्रव्यं दीयमानं न दुष्यति ॥ ३६ ॥

किसी नियत काल तक व्रत ले रक्खा हो, वेदमन्त्रों के जपसे जो पवित्र हैं, जो द्विज  
 विधिपूर्वक अग्नि स्थापन करके अग्निहोत्री हैं, राजा को और जिस के सूतक को राजा  
 न चाहे उसको सूतक नहीं लगता है ॥ ३० ॥ दान में उद्यत ( तय्यार ) मनुष्य यदि  
 मर जाय और आर्त ( दुःखी ) ब्राह्मण को दान देने का न्यौता दे रक्खा हो तो उसी  
 दान के समय पर शुद्ध होता है यह ऋषियों ने जाना अर्थात् कहा है ॥ ३१ ॥ यदि  
 जन्म सूतक में ब्राह्मण सूतिका का सङ्कर ( स्पर्श ) न करे तो माता दश दिन में और  
 पिता स्नान करके शुद्ध हो जाता है ॥ ३२ ॥ शाव ( मुर्दे का ) आशौच छः पीढ़ी  
 तक सब को और जन्मसूतक माता पिता को ही लगता है और उन दोनों में भी  
 माता ही विशेषकर अशुद्ध होती है पिता तो स्नान करने से ही शुद्ध हो जाता है ॥ ३३ ॥  
 जिस ब्राह्मण की स्त्री प्रसूता हो और वह पत्नी का स्पर्श करे तो चाहे वह वेद के छः  
 ङ्ग का परिद्धत भी हो तो उसे सूतक लगता है ॥ ३४ ॥ ब्राह्मण को संपर्क से दोष  
 लगता है अन्य कुछ दोष नहीं है तिससे बड़े यत्नसे ज्ञानवान् द्विज संपर्क न करे ॥ ३५ ॥  
 विवाह, उत्सव, यज्ञ, इनके बीच यदि भरण वा जन्म होजाय तो पूर्व संकल्पित किये

अन्तरातुदशाहस्य पुनर्मरणजन्मनी ।  
 तावत्स्यादशुचिर्विप्रो यावत्तत्स्यादनिर्दशम् ॥ ३७ ॥  
 ब्राह्मणार्थं विपन्नानां वन्दिगोग्रहणेतथा ।  
 आह्वेषु विपन्नानामेकरात्रमशौचकम् ॥ ३८ ॥  
 द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ ।  
 परिव्राड्द्योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः ॥ ३९ ॥  
 यत्र यत्र हतः शूरः शत्रुभिः परिवेष्टितः ।  
 अक्षयां लभते लोकान् यदि क्लीवं न भापते ॥ ४० ॥  
 संन्यस्तं ब्राह्मणं दृष्ट्वा स्थानाच्चलति भास्करः ।  
 एष मे मण्डलं भित्त्वा परं स्थानं प्रयास्यति ॥ ४१ ॥  
 यस्तु भग्नेषु सैन्येषु विद्रवत्सु समन्ततः ।  
 परित्राता यदा गच्छेत्स चक्रतुफलं लभेत् ॥ ४२ ॥

द्रव्य के देनेका दोष नहीं है ॥ ३६ ॥ यदि सूतक के दश आदि दिन पूरे होनेसे पहिले  
 दूसरा मरण वा जन्म हो जाय तो ब्राह्मण तभी तक अशुद्ध होता है कि जब तक प-  
 हिले दश दिन पूरे हों ॥ ३७ ॥ ब्राह्मण के लिये मरे, भागे ( कौर्दी ) के तथा गौ के प-  
 कड़ने में जो मारे गये और संग्राम में जो मरे हैं इन सबको एक दिन रात का अशौच  
 लगता है ॥ ३८ ॥ दो पुरुष जगत् में सूर्य मण्डल को भेदन कर ब्रह्मलोकको प्राप्त होने  
 वाले हैं एक तो योग युक्त योगाभ्यासी संन्यासी और दूसरा जो संग्राम में सन्मुख  
 मरा हो ॥ ३९ ॥ शत्रुओं से युद्ध में घेरा हुआ शूरीर पुरुष जहाँ २ मारा जाता है  
 वह अक्षय लोकों को प्राप्त होता है यदि वह ह्नीव ( कातरता के बचन न कहै तो )  
 ॥ ४० ॥ संन्यासी ब्राह्मण को देखकर सूर्य नारायण भी अपने स्थान से चलायमान  
 हो जाते हैं क्योंकि सूर्यनारायण को भय हो जाता है कि यह संन्यासी मेरे मण्डल  
 को लांघकर परम स्थान ( ब्रह्मलोक ) को जायगा ॥ ४१ ॥ जो शत्रुओं ने मारी  
 पीटी और चारों ओर भागती हुई सेना के मनुष्यों की रक्षा के लिये जाता है  
 वह यज्ञ के फल को पाता है ॥ ४२ ॥ जिस का शरीर घाण मुद्गर—लाठी

यस्यच्छेदक्षतंगात्रं शरमुद्गरयष्टिभिः ।  
 देवकन्यास्तुतंवीरं हरन्तिरमयन्ति च ॥ ४३ ॥  
 देवाङ्गनासहस्राणि शूरमायोधनेहतम् ।  
 त्वरमाणाः प्रधावन्ति ममभर्ताममेति च ॥ ४४ ॥  
 यं यज्ञसंघैस्तपसाचविप्राः स्वर्गैषिणोवात्रयधैवयान्ति ।  
 क्षणेनयान्त्येवहितत्रवीराः प्राणान्सुयुद्धेनपरित्यजन्तः ॥ ४५ ॥  
 जितेनलभ्यतेलक्ष्मीमृतेनापिवराङ्गनाः ।  
 क्षणध्वंसिनिकायेस्मिन्काचिन्तामरणेण ॥ ४६ ॥  
 ललाटदेशाद्गुधिरंस्त्रवच्चयस्याहवेतुप्रविशेतत्रवत्रम् ।  
 तत्सोमपानेनकिलास्यतुल्यसंग्रामयज्ञोविधिवच्चद्रुष्टम् ४७  
 अनाथं ब्राह्मणं प्रेतं येवहन्तिद्विजातयः ।  
 पदेपदेयज्ञफलमानुपूर्व्याल्लभन्ति ते ॥ ४८ ॥  
 नतेषामशुभं किञ्चिद् द्विजानां शुभकर्मणि ।  
 जलावगाहनात्तेषां सद्यः शौचं विधीयते ॥ ४९ ॥

इनके प्रहार जन्म छिद्रोंसे घायल हुआ है उस मनुष्य को देवताओं की कन्या बुला ले जातीं और रमण कराती हैं ॥ ४३ ॥ संग्राम में मारे गये शूरवीर के सम्मुख हजारों देवताओं की कन्या शीघ्रता करती हुई दौड़ती हैं कि यह मेरा भर्ता यह मेरा भर्ता हो ॥ ४४ ॥ यज्ञों के समूह और तप करके स्वर्ग की इच्छा करने वाले ब्राह्मण जिस लोक में जिस प्रकार जाते हैं उसी लोक में क्षणमात्र में ही वे शूरवीर जाते हैं जो युद्ध में प्राणों को त्यागते हैं ॥ ४५ ॥ जब युद्ध में जय होने से लक्ष्मी और मरने से स्वर्ग मिलता है तो क्षणमात्र में नष्ट होने वाली कायाके रणमें मरनेकी क्या चिन्ता है? ॥ ४६ ॥ संग्राम में मस्तक से गिरता हुआ गुधिर जिस के मुख में प्रवेश करता है वह मुख संग्राम रूपी यज्ञ में विधिपूर्वक सोमपान करने वाले मुख के तुल्य है ॥ ४७ ॥ जो द्विजाति लोग मरे हुए अनाथ ब्राह्मण को श्मशान में ले जाते हैं वे क्रम से पग २ में यज्ञ के फल को प्राप्त होते हैं ॥ ४८ ॥ और उन द्विजों को शुभ कर्म करने में कुछ भी अशुभ वा दोष नहीं है क्योंकि जल में स्नान करने से उन की उसी समय शुद्धि हो



असगोत्रमबन्धुं च प्रेतीभूतं द्विजोत्तमम् ।  
 स्नात्वा च दाहयित्वा च प्राणायामेन शुद्ध्यति ॥ ५० ॥  
 अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव वा ।  
 स्नात्वासचैलं स्पृष्ट्वाग्निं घृतं प्राशय विशुद्ध्यति ॥ ५१ ॥  
 क्षत्रियं मृतमज्ञानाद् ब्राह्मणोऽनुगच्छति ।  
 एकाहमशुचिर्भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्ध्यति ॥ ५२ ॥  
 शवं च वैश्यमज्ञानाद् ब्राह्मणोऽनुगच्छति ।  
 कृत्वा शौचं द्विरात्रं च प्राणायामान्पडाचरेत् ॥ ५३ ॥  
 प्रेतीभूतं तु यः शूद्रं ब्राह्मणो ज्ञानदुर्वलः ।  
 अनुगच्छेत्क्षीयमानं त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् ॥ ५४ ॥  
 त्रिरात्रे तु ततः पूर्णं नदीं गत्वासमुद्रगाम् ।  
 प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राशय विशुद्ध्यति ॥ ५५ ॥  
 विनिवर्त्य यदा शूद्रा उदकान्तमुपस्थिताः ।  
 द्विजैस्तदानुगन्तव्या एषधर्मः सनातनः ॥ ५६ ॥

जाती है ॥ ४६ ॥ जो ब्राह्मण अपने गोत्र का न हो और अपना बन्धु भी न हो वह मरजाय तो श्मशान में ले जा कर और दाह करके प्राणायाम करने से शुद्ध हो जाता है ॥ ५० ॥ अपने वर्ण के वा अन्य वर्ण के मुर्दा के संग जाकर वहाँ सहित स्नान, अग्नि का स्पर्श और थोड़ा घी खाकर शुद्ध हो जाता है ॥ ५१ ॥ मरे हुए क्षत्रिय के संग जो ब्राह्मण अज्ञान से श्मशान में जाता है वह एक दिन अशुद्ध रह कर पञ्चगव्य सेवन करने से शुद्ध होता है ॥ ५२ ॥ जो ब्राह्मण मरे हुए वैश्य के संग अज्ञान से जावे वह दो दिन रात का अशौच करके छः प्राणायाम करे ॥ ५३ ॥ जो अज्ञानी ब्राह्मण मरे हुए शूद्र के संग श्मशान में जाता है वह तीन दिन रात अशुद्ध होता है ॥ ५४ ॥ तीन दिन के पीछे जो समुद्र में जाने वाली हो उस गंगादि नदी में जाके स्नान करे तब सौ प्राणायाम कर और घी खाके शुद्ध होता है ॥ ५५ ॥ जब श्मशान से लौटकर शूद्र लोग जल के समीप तिलाञ्जलि देने को आँवें तब द्विज लोग उन के समीप जाय यही सनातन धर्म की रीति है ॥ ५६ ॥ तिस से द्विज लोग मरे हुए शूद्र का न ती

तस्माद्द्विजोमृतशूद्रं नस्पृशेन्नचदाहयेत् ।  
दृष्टेसूर्यावलोकनेन शुद्धिरेषापुरातनी ॥ ५७ ॥

इति पाराशरीये धर्मशास्त्रे तृतीयोध्यायः ॥

अतिमानादतिक्रोधात्स्नेहाद्वायदिवामभयात् ।  
उद्ध्वनीयात्स्त्रीपुमान्वा गतिरेषाविधीयते ॥ १ ॥  
पूयशोणितसंपूर्णे त्वन्धेतमसिमज्जति ।  
षष्टिवर्षसहस्राणि नरकं प्रतिपद्यते ॥ २ ॥  
नाशौचंनोदकं नाग्निं नाश्रुपातंचकारयेत् ।  
बोढारोऽग्निप्रदातारः पाशच्छेदकरास्तथा ॥ ३ ॥  
तप्तकृच्छ्रेणशुद्धयन्तीत्येवमाहप्रजापतिः ।  
गोभिर्हतंतथोद्धृद्ब्राह्मणेनतुघातितम् ॥ ४ ॥  
संस्पृशन्तितुयेविप्रा बोढारश्चाग्निदाश्रये ।  
अन्येऽपिवाऽनुगन्तारः पाशच्छेदकराश्रये ॥ ५ ॥

स्पर्श करें और न दाह करावें यदि मरे शूद्र को देख लें तो सूर्यनारायण के दर्शन से शुद्धि होती है यह शुद्धि पुरातन धर्म की मर्यादा है ॥ ५७ ॥

यह पाराशरीय धर्मशास्त्र का तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥

अत्यन्त मान से वा अत्यन्त क्रोध से वा किसी के साथ अधिक प्रेम होने से वा भय से स्त्री अथवा पुरुष परस्पर फांसी दें तो उन की निम्न लिखित गति होती है ॥ १ ॥ पीव और रुधिर से भरे अन्धतामिन्न नरक में साठ हजार वर्ष तक गोता काते हैं ॥ २ ॥ न उन का अशौच, न जलदान, न अग्निदाह, और न आंसू बहाते हुये उन के लिये कोई रोवे जो उन्हें गंगा आदि में ले जाय वा जो अग्नि में दाह करे और जो उन की फांसी को फाटे ॥ ३ ॥ वे लोग तप्त कृच्छ्र मृत करनेसे शुद्ध होते हैं ऐसा प्रजापति ने कहा है—जो पुरुष गीर्वाण से मारा गया हो वा घन्धन ( फांसी ) से मरा हो वा जिस को ब्राह्मण ने मारा हो ॥ ४ ॥ उसका जो ब्राह्मण स्पर्श करें वा उसके मृत देह को स्पर्शन में लेजाय वा जो अग्नि में दाह करे और जो उस के संग जाय

तप्तकृच्छ्रेणशुद्धास्ते कुर्युर्ब्राह्मणभोजनम् ।  
 अनद्धुत्सहितांगांच दद्युर्विप्रायदक्षिणाम् ॥ ६ ॥  
 त्र्यहमुष्णंपिबेद्वारि त्र्यहमुष्णंपयःपिबेत् ।  
 त्र्यहमुष्णंपिबेत्सर्पिर्वायुमक्षोदिनत्रयम् ॥ ७ ॥  
 षट्पलंतुपिबेदम्भस्त्रिपलन्तुपयःपिबेत् ।  
 पलमेकंपिबेत्सर्पिस्तप्तकृच्छ्रं विधीयते ॥ ८ ॥  
 योवैसमाचरेद्विप्रः पतितादिष्वकामतः ।  
 पञ्चाहंवादशाहंवा द्वादशाहमथापिवा ॥ ९ ॥  
 मासार्द्धमासमेकंवा मासद्वयमथापिवा ।  
 अर्द्धार्द्धमर्द्धमेकंवा भवेदूर्ध्वहितत्समः ॥ १० ॥  
 त्रिरात्रप्रथमेपक्षे द्वितीयेकृच्छ्रमाचरेत् ।  
 तृतीयेचैवपक्षे तु कृच्छ्रं सान्तपनंचरेत् ॥ ११ ॥  
 चतुर्थेदशरात्रस्यात्पराकःपञ्चमेमतः ।  
 कुर्याच्चान्द्रायणंषष्ठे सप्तमेत्वैन्दवद्वयम् ॥ १२ ॥

वा जो फांसी काटे ॥ ५ ॥ वे तप्त कृच्छ्र व्रत से शुद्ध हुए ब्राह्मणों को भोजन करावे  
 और एक बैल और एक गौ ब्राह्मण को दक्षिणा देवे ॥ ६ ॥ तीन दिन गर्म जल पीवे  
 फिर तीनदिन गर्म दूध पीवे फिर तीनदिन गर्म घी पीवे फिर तीनदिन वायुको भक्षण  
 करके रहे ॥ ७ ॥ छः पल जल, तीन पल दूध, एक पल घी, इस को तप्त कृच्छ्र कहते हैं  
 ( पांच तोला चार मासे का एक पल होता है ) ॥ ८ ॥ जो ब्राह्मण पतित आदिकों के  
 साथ अज्ञान से पांच, दश, वा बारह दिन व्यवहार करता है ॥ ९ ॥ पन्द्रह दिन, वा  
 एक महीना, वा दो महीने, वा छः महीने, वा एक वर्ष, तक पतित के साथ व्यवहार  
 करे वह उस प्रायश्चित्त को करे जो आगे कहेंगे और एक वर्ष से अधिक व्यवहार  
 करे तो वह भी उसी पतित के तुल्य ( पतित ) होजाता है ॥ १० ॥ पांच दिन पतित का  
 संग करने में तीन दिन उपवास, दस दिन करने में एक कृच्छ्र, बारह दिन के संग में  
 सान्तपन कृच्छ्र करे ॥ ११ ॥ पन्द्रह दिन के संग में दश दिन का व्रत एक महीने के  
 संग में पराक कृच्छ्र व्रत, दो महीने के संग में चान्द्रायण और छः महीने के संग में  
 दो चान्द्रायण व्रत करे ॥ १२ ॥

शुद्ध्यर्थमष्टमेचैव षण्मासान्कृच्छ्रमाचरेत् ।  
 पक्षसंख्याप्रमाणेन सुवर्णान्यपिदक्षिणा ॥ १३ ॥  
 ऋतुस्नातातुयानारी भर्तारनोपसर्पति ।  
 सामृतानरकंयाति विधवाचपुनःपुनः ॥ १४ ॥  
 ऋतुस्नातांतुयोभार्यां सन्निधौनोपगच्छति ।  
 घोरायांभूणहत्यायां युज्यतेनात्रसंशयः ॥ १५ ॥  
 अदुष्टाऽपतितांभार्यां यौवनेयःपरित्यजेत् ।  
 सप्तजन्मभवेत्स्त्रीत्वं वैधव्यञ्जुपुनःपुनः ॥ १६ ॥  
 दरिद्रं व्याधितंमूर्खं भर्तारंयावमन्यते ।  
 सामृताजायतेव्याली वैधव्यंचपुनःपुनः ॥ १७ ॥  
 पत्यौजीवतियानारी उपोष्यव्रतमाचरेत् ।  
 आयुष्यंहरतेभर्तुः सानारीनरकंत्रजेत् ॥ १८ ॥  
 अपृष्ठाचैवभर्तारं यानारीकुरुतेव्रतम् ।  
 सर्वतद्राक्षसान्गच्छेदित्येवंमनुरब्रवीत् ॥ १९ ॥

एक वर्ष के संग में छः महीने तक कृच्छ्रव्रत करे और प्रत्येक पक्ष की संख्या के प्रमाण से सुवर्ण दान की संख्याओं का प्रमाण जानो । अर्थात् एक महीने के संग का प्रायश्चित्त हो तो दो सुवर्ण दक्षिणा देवे ( सोलह मासा सोने को "सुवर्ण" कहते हैं ) ॥ १३ ॥ जो स्त्री ऋतु कालमें चौधे दिन स्नान करके छठे आदि दिन पति के समीप नहीं जाती वह मर कर नरक में जाती है और बार-बार विधवा होती है ॥ १४ ॥ जो पुरुष ऋतु में स्नान जिसने किया हो उस अपनी पत्नी के समीप नहीं जाता उसे घोर भ्रूण हत्या लगती है ॥ १५ ॥ जो पतित न हुई हो ऐसी निर्दोष पत्नी को युवावस्था में जो पुरुष छोड़ देता है वह सात जन्म तक स्त्री योनि में जन्म लेता और बार २ विधवा होता है ॥ १६ ॥ दरिद्री, रोगी मूर्ख स्त्री जो अपना पति हो उस का जो स्त्री अपमान करती है वह मर कर सांपिन होती और बार-बार विधवा होती है ॥ १७ ॥ पति के जीवते जो स्त्री पति सेवा न करके उसकी आज्ञा से विरुद्ध उपवास तथा व्रत करती है वह अपने पति की अवस्था घटाती और आप नरक में जाती है ॥ १८ ॥ जो स्त्री अपने पति को पूछे बिना व्रत करती है यह सब राक्षसोंको

बान्धवानांसजातीनां दुर्वृत्संकुरुतेतुया ।  
 गर्भपातंचयाकुर्यान्न तांसंभाषयेत्क्वचित् ॥ २० ॥  
 यत्पापं ब्रह्महत्याया द्विगुणं गर्भपातने ।  
 प्रायश्चित्तं तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते ॥ २१ ॥  
 नकार्यमावसथ्येन नाग्निहोत्रेण वा पुनः ।  
 सभवेत्कर्मचाण्डालो यस्तु धर्मपराङ्मुखः ॥ २२ ॥  
 ओषवाताहृतबीजं यस्य क्षेत्रे प्ररोहति ।  
 स क्षेत्री लभते बीजं न बीजी भागमर्हति ॥ २३ ॥  
 तद्वत्परस्त्रियः पुत्री द्वीसुतौ कुण्डगोलकौ ।  
 पत्यौ जीवति कुण्डस्तु मृते भर्तारि गोलकः ॥ २४ ॥  
 औरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिमकः सुतः ।  
 दद्यान्मातापितावापि सपुत्रो दत्तको भवेत् ॥ २५ ॥

मिलता है यह मनुजी ने कहा है ॥ १९ ॥ जो स्त्री अपने सजातीय बांधवों के संग दुष्ट  
 आचरण और गर्भपात करती है उसके संग कभी भी पति भाषण न करे ॥ २० ॥ जो  
 पाप ब्रह्महत्या का है उस से दूना गर्भ के पात ( गिराने ) में है, उस गर्भ घातिनी का  
 प्रायश्चित्त कुछ नहीं है, किन्तु उसका त्याग कर देवे ॥ २१ ॥ उस गर्भपात करने  
 वाली पत्नी के त्याग से श्रौत स्मार्त्त अग्निहोत्र भले ही छूट जाय कुछ चिन्ता न करे  
 किन्तु उस स्त्री के साथ अग्निहोत्र करने वाला धर्म विरोधी होने से कर्मचाण्डाल  
 माना जायगा ॥ २२ ॥ आंधी रूप वायु के वेग से उड़कर आया बीज यदि दूसरे के  
 क्षेत्र में उपज आवे तो वह क्षेत्र वाले का ही भाग होगा और बीज वाले को उस का  
 भाग मिलना योग्य नहीं ॥ २३ ॥ इसी प्रकार अन्यपुरुष के बीज से दूसरे की स्त्री में  
 जो पुत्र उत्पन्न हो वह भी उस का होगा जिस की वह स्त्री हो, सो ऐसे  
 कुण्ड और गोलक दो पुत्र होते हैं जो पति के जीते जी जाय से उत्पन्न  
 हो वह कुण्ड और पति के मरे पीछे होय तो गोलक कहाता है ॥ २४ ॥ औरस,  
 क्षेत्रज, दत्तक, और कृत्रिम ये चार पुत्र कहाते हैं । जिस को माता वा पिता है  
 देवे वह उसका दत्तक पुत्र होता है ॥ २५ ॥ परिवृत्ति ( परिवेत्ता का बड़ा भाई )

परिवित्तिःपरोवेत्ता ययाचपरिविद्यते ।  
 सर्वेतेनरकंयान्ति दातृयाजकपञ्चमाः ॥ २६ ॥  
 दाराग्निहोत्रसंयोगं कुस्तेयोऽग्रजेसति ।  
 परिवेत्तासविज्ञेयः परिवित्तिस्तुपूर्वजः ॥ २७ ॥  
 द्वौकृच्छ्रौपरिवित्तिस्तु कन्यायाःकृच्छ्रएवच ।  
 कृच्छ्रातिकृच्छ्रौदातुस्तु होताचान्द्रायणं धरेत् ॥२८॥  
 कुब्जवामनषण्ठेषु गद्गदेषुजङ्घेषुच ।  
 जात्यन्धेबधिरमूके नदोषःपरिविन्दतः ॥ २९ ॥  
 पितृव्यपुत्रःसापत्नः परनारीसुतस्तथो ।  
 दाराग्निहोत्रसंयोगे नदोषःपरिवेदने ॥ ३० ॥  
 ज्येष्ठोभातायदातिष्ठेदाधाननैवकारयेत् ।  
 अनुज्ञातस्तुकुर्वीत शंखस्यवचनंयथा ॥ ३१ ॥  
 नष्टेमृतेप्रव्रजिते क्लीबेचपतितेपतौ ।  
 पञ्चस्वापत्सुनारीणां पतिरन्योव्विधीयते ॥ ३२ ॥

परिवेत्ता ( बड़े भाई से पहिले जो छोटा विवाह करै ) वह कन्या जिस के साथ विवाह करने से वह परिवेत्ता हुआ है, कन्या का दाता और याजक ( विवाह पढ़ने वाला ) ये सब नरक में जाते हैं ॥ २६ ॥ ज्येष्ठ भाई से पहिले जो अपना विवाह करे वा ज्येष्ठ की आज्ञा के बिना अग्निहोत्र ग्रहण करे वह परिवेत्ता और ज्येष्ठ भाई परिवित्ति कहाता है ॥ २७ ॥ परिवित्ति दो कृच्छ्र व्रत करे, कन्या एक कृच्छ्र व्रत करे, कन्याका दाता कृच्छ्र और अतिकृच्छ्र दोनों व्रत करे तथा विवाह करने वाला पुरोहित चांद्रायण व्रत करै ॥ २८ ॥ कुबड़ा, बिलंबिया ( बीना ) नपुंसक, तोतला, महामूर्ख, जन्मान्ध, बहरा, शूंगा, इन ऐसे जेठे भाइयों के परिवेदन करने ( पहिले विवाह वा अग्निहोत्र लेने ) में दोष नहीं है ॥२९॥ यदि जेठा भाई चाचा का पुत्र हो, वा सीतेली माता का पुत्र हो, वा दूसरे की स्त्री का पुत्र हो तो उस से पहिले विवाह करने और अग्निहोत्र लेने से उसके परिवेदन में दोष नहीं है ॥३०॥ जेठा भाई विद्यमान हो पर स्वयं अग्निहोत्र न ले तब शंख ऋषि के वचनानुसार उस बड़े भाई की आज्ञा से छोटा भाई अग्निहोत्र को ग्रहण करले ॥ ३१ ॥ जिस से सगाई हुई हो वह पति नष्ट (परदेश में गया हो और खबर न हो ) हो जाय, वा मर जाय, वा संन्यासी हो जाय, वा

मृतेभर्त्तरियानारी ब्रह्मचर्यव्रतेस्थिता ।  
 सामृतालभतेस्वर्गं यथातेब्रह्मचारिणः ॥ ३३ ॥  
 तिस्रःकोट्योद्दुकोटीच यानिलोमानिमानवे ।  
 तावत्कालं वसेत्स्वर्गं भर्त्तारंयाऽनुगच्छति ॥ ३४ ॥  
 व्यालग्राहोयथाव्यालं बलादुद्धुरतेविलात् ।  
 एवंस्त्रीपतिमुद्धृत्य तेनैवसहमोदते ॥ ३५ ॥  
 इति पाराशरीये धर्मशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

वृकश्चानशृगालादि दष्टोयस्तुद्विजोत्तमः ।  
 स्नात्वाजपेत्सगायत्रीं पवित्रांविदमातरम् ॥ १ ॥  
 गवांशृङ्गीदकस्नानान् महानद्योस्तुसङ्गमे ।  
 समुद्रदर्शनाद्वापि शुनादष्टःशुचिर्भवेत् ॥ २ ॥

नपुंसक निकले, वा पतित हो जाय, तो इन पांच आपत्तियों में ही दूसरा पति कहा है अर्थात् सगाई हुए पीछे दूसरे के संग सगाई करके विवाह कर देवे अर्थात् अन्य कुरूप वरिद्रि सुखत्वादि दोष श्रात होने पर भी कानून उसी के साथ विवाह होना चाहिये ॥ ३२ ॥ पति के मरे पीछे जो स्त्री ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहती है। वह मर कर स्वर्ग में इस प्रकार जाती है जैसे वे ब्रह्मचारी गये जिनने विवाह न करके ऊर्ध्व रैता रहते हुए तप करते २ शरीर छोड़ा ॥ ३३ ॥ जो स्त्री पति के संग अनुगमन (सती होना) करती है वह साढ़े तीन करोड़ मनुष्य के शरीर में जो लोम हैं उतने ही वर्ष तक स्वर्ग में बसती है ॥ ३४ ॥ सांप को पकड़ने वाला जैसे विल में से सांप को बलात्कार से निकाल लेता है ऐसे ही वह स्त्री भी नरक से अपने पतिका [ यदि पति कुकर्मी होने से नरक भागी हो तो ] उद्धार करके उस पतिके संग ही स्वर्ग में सानन्द भोगती है ॥ ३५ ॥

यह पाराशरीय धर्मशास्त्र के भाषानुवाद में ४ चौथा अध्याय पूरा हुआ ।

भेड़िया, कुत्ता, गीदड़, आदि जिस ब्राह्मण को काटे वह स्नान करके वेदों की माता पवित्र गायत्री का जप करे ॥ १ ॥ कुत्ता जिसे काटे वह गौ के खींग के जल द्वारा स्नान से वा गङ्गादि महानदियों के सङ्गम में स्नान करने

वेदविद्याव्रतस्नातः शुनादष्टोद्विजोयदि ।  
 सहिरण्योदकेस्नात्वा घृतंप्राशयविशुद्ध्यति ॥ ३ ॥  
 सव्रतस्तुशुनादष्टस्त्रिरात्रंसमुपोषितः ।  
 घृतंकुशोदकंपीत्वा व्रतशेषंसमापयेत् ॥ ४ ॥  
 अव्रतःसव्रतोवापि शुनादष्टोभवेद्द्विजः ।  
 प्रणिपत्यभवेत्पूतो विप्रैश्चक्षुर्निरीक्षितः ॥ ५ ॥  
 शुनाघ्राताऽवलीढस्य नखैर्विलिखितस्यच ।  
 अद्विःप्रक्षालनंप्रोक्तमग्निनाचोपचूलनम् ॥ ६ ॥  
 ब्राह्मणीतुशुनादष्टा जम्बुकेनवृकेणवा ।  
 उदितंसोमनक्षत्रं दृष्ट्वासद्यःशुचिर्भवेत् ॥ ७ ॥  
 कृष्णपक्षेयदासोमो नदृश्येतकदाचन ।  
 यांदिशं व्रजतेसोमस्तांदिशंचाऽवलोकयेत् ॥ ८ ॥  
 असद्ब्राह्मणकेग्रामे शुनादष्टोद्विजोत्तमः ।  
 वृषंप्रदक्षिणीकृत्य सद्यःस्नात्वाशुचिर्भवेत् ॥ ९ ॥

से वा समुद्र के दर्शन से शुद्ध होता है ॥२॥ वेद विद्या पढ़ के वा ब्रह्मचर्य व्रत पूरा कर  
 के समावर्त्तन स्नान किये गृहस्थ ब्राह्मण को यदि कुत्ता काटे तो वह सुवर्ण सहित  
 जल से स्नान कर और गोघृत खाके शुद्ध होता है ॥ ३ ॥ यदि व्रत-वाले ब्राह्मण को  
 कुत्ता काटे तो तीन दिन रात उपवास करे फिर घृत और कुशों के जल को पीकर  
 शेष व्रत को पूरा कर देवे ॥ ४ ॥ व्रत वाले वा बिना व्रत वाले कौसे ही ब्राह्मण को  
 कुत्ता काटे तो ब्राह्मणों को प्रणिपात (नमस्कार) करने और तपस्वी ब्राह्मणों के देखने  
 से शुद्ध होता है ॥-५ ॥ जो वस्तु कुत्ते ने सूँघा वा चाटा हो, वा नखों से खोंदा हो  
 वह जल से धोने और अग्नि में तपाने से शुद्ध होता है ॥ ६ ॥ यदि ब्राह्मणी को कुत्ता  
 वा गीदड़ वा भेंड़िया काटे तो उदय हुए चन्द्रमा और नक्षत्रों को देख कर शुद्ध होती  
 है ॥ ७ ॥ यदि कृष्णपक्ष में कभी चन्द्रमा न दीखे तो जिस दिशा को चन्द्रमा उदय  
 हो कर जाता है उस दिशा को देख लेवे ॥८॥ जिस में अन्य कोई ब्राह्मण न हों वा  
 ब्रह्मतेज से हीन दुराचारी ब्राह्मण रहते हों ऐसे ग्राम में यदि ब्राह्मण को कुत्ता काटे



चण्डालेनश्चपाकेन गोभिर्विप्रैर्हतोयदि ।  
 आहिताग्निमृतोविप्रो विषेणात्माहतोयदि ॥ १० ॥  
 दहेत्तं ब्राह्मणंविप्रो लोकाग्नीमन्त्रवर्जितम् ।  
 स्पृष्ट्वाचीह्यश्चदग्ध्वाच सपिण्डेषुचसर्वदा ॥ ११ ॥  
 प्राजापत्यंचरेस्पश्चाद्विप्राणामनुशासनात् ।  
 दग्ध्वास्थोनिपुनर्गृह्य क्षीरैःप्रक्षालयेद्द्विजः ॥ १२ ॥  
 स्वेनाऽग्निनास्वमन्त्रेण पृथगेतत्पुनर्दहेत् ।  
 आहिताग्निद्विजः कश्चित्प्रवसेत्कालचोदितः ॥ १३ ॥  
 देहनाशमनुप्राप्तस्तस्याऽग्निर्वसतेगृहे ।  
 श्रौतोग्निहोत्रसंस्कारः श्रूयतांमुनिपुङ्गवाः ! ॥ १४ ॥  
 कृष्णार्जिनंसमास्तीर्य कुशैस्तुपुरुषाकृतिम् ।  
 षट्शतानिशतञ्चैव पलाशानाञ्चवृन्तकम् ॥ १५ ॥  
 श्वत्वारिंशच्छिरेदद्यात्षष्टिकण्ठेतुविन्यसेत् ।  
 बाहुभ्यांचशतंदद्याद्दुग्गुलीषुदशैवतु ॥ १६ ॥

तो शिव जी के बाहन बैल ( नन्दी ) की प्रदक्षिणा कर शीघ्र स्नान करके शुद्ध होता है ॥ ६ ॥ यदि किसी ब्राह्मण को चाण्डाल, भ्रूपाक ( महतर की जाति डोम ) गौ, वा ब्राह्मण मारडाले वा विष खाकर स्वयं मरजाय और वह आहिताग्नि नाम अग्निहोत्री होयतो ॥ १० ॥ उस ब्राह्मणका लौकिक अग्निसे ब्राह्मण मन्त्र वर्जित दाह करे । और यदि सपिण्ड के लोग उस का स्पर्श करें, श्मशान में ले जाय वा दाह करें तो क्रिया करने पश्चात् सदैव ॥ ११ ॥ ब्राह्मणों की आत्मा से प्राजापत्य व्रत करें और उस के फूँके हुये हाडों को फिर बीन कर द्विज लोग दूध से धोवें ॥ १२ ॥ फिर अपने अग्नि और अपनी शाखा के मन्त्र से दूसरी जगह विधि पूर्वक उस चाण्डालादि के हाथ से मरे ब्राह्मण के हृदियों का दाह करें । यदि अग्निहोत्री ब्राह्मण परदेश में गया काल वश ॥ १३ ॥ मरण को प्राप्त हो जाय और अग्नि उस के घर में विद्यमान होय तो हे मुनियो में श्रेष्ठ लोगो! उस व्रत का वेदोक्त अन्त्येष्टि संस्कार तुम सुनो ॥ १४ ॥ कालीभृगुछाला बिजाकर कुशाओं से पुरुष का आकार बनावे सातसौ ७०० ढाँक के पत्ते डंडी सहित इस निम्न लिखित प्रकारसे उसमें ढगावे ॥ १५ ॥ चालीस शिरमें, साठ पत्ते कण्ठमें, दोनौं भुजाओं-

शतंचोरसिसंदद्याच्छतंचैवोदरेन्यसेत् ।  
दद्यादष्टौवृषणयोः पञ्चमेदरेतुविन्यसेत् ॥ १७ ॥  
एकविंशतिमूरुभ्यां जानुजङ्घेचविंशतिम् ।  
पादाङ्गुल्योःशताहुंच यज्ञपात्रंततोन्न्यसेत् ॥ १८ ॥  
शस्यांशिरनेविनिक्षिप्य अरणिंमुष्कयोरपि ।  
जूहूञ्चदक्षिणेहस्ते वामेतूपभृतंन्यसेत् ॥ १९ ॥  
कर्णतूलूखलंदद्यात्पृष्ठेचमुसलंन्यसेत् ।  
उरसिक्षिप्यदृषदं तण्डुलाज्यतिलान्मुखे ॥ २० ॥  
श्रोत्रेचप्रोक्षणींदद्यादाज्यस्थालींचचक्षुषोः ।  
कर्णेनेत्रमुखेघ्राणे हिरण्यशकलंन्यसेत् ॥ २१ ॥  
अग्निहोत्रोपकरणमशेषंतत्रविन्यसेत् ।  
असौस्वर्गायलोकाय स्वाहेतिचघृताहुतिम् ॥ २२ ॥  
दद्यात्पुत्रोऽथवाभ्राताप्यन्योवापिचबान्धवः ।

में सौ २ पत्ते और दश २ ( पचास ) पत्ते हाथों तथा अंगुलियों में लगावे ॥ १६ ॥  
सौ पत्ते छाती में, सौ पत्ते उदर में और आठ पत्ते दोनों कृष्णों ( अण्डकोशों )  
में, और पांच मेढ़ ( लिङ्ग ) में, रखे ॥ १७ ॥ इक्कीस २ पत्ते घोंटू से ऊपर  
दोनों जाघों में, घोंटू से नीचे गोड़ों में वीस २ पत्ते, और पगों तथा पादों  
की अङ्गुलियों में पचास पत्ते रखे । फिर यह के पात्रों का विनियोग  
निम्न लिखित रीति से करे ॥ १८ ॥ शस्या नामक यह पात्र को लिंग पर,  
अरणी को अण्डकोशों पर, दहिने हाथ पर लुह को, घायें हाथ में उपभृत् को रखे  
॥ १९ ॥ दहिने कान पर ऊखल को, पीठ पर मूसल को रखे, छाती पर दृषद ( हवि-  
ष्पीपने की शिल ) तंडुल, धी, और तिल मुख पर रखे ॥ २० ॥ कान पर प्रोक्षणी  
पात्र, नेत्रों में आज्य स्थाली को रखे, कान, नेत्र, मुख, नाक, इन के छिद्रों में सुवर्ण  
के टुकड़े डाले ॥ २१ ॥ और अग्निहोत्र के शेष बचे सब औजार वहां चिता पर रखदे  
फिर प्रज्वलितामि में (असौस्वर्गाय लोकाय स्वाहा) इस संघ से घृतकी एक आहुति

यथादहनसंस्कारस्तथाकार्यविचक्षणैः ॥ २३ ॥

ईदृशांतुविधिंकुर्याद् ब्रह्मलोकगतिःस्मृता ।

दहन्त्येद्विजास्तंतु तेयान्तिपरमांगतिम् ॥ २४ ॥

। अन्यथाकुर्वतेकर्म त्वात्मबुद्धिप्रचोदिताः ।

भवन्त्यल्पपायुपस्तेवै पतन्तिनरकेऽशुचौ ॥ २५ ॥

इति पाराशरीये धर्मशास्त्रे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

अतःपरंप्रवक्ष्यामि प्राणिहत्यासुनिष्कृतिम् ।

पराशरेणपूर्वाक्तां मन्वर्थेपिचविस्तृताम् ॥ १ ॥

क्रौञ्चसारसहंसांश्च चक्रवाकंचकुक्कुटम् ।

जालपादंचशरभं हत्वाऽहोरात्रतःशुचिः ॥ २ ॥

बलाकाटिहिभीवापि शुकपारावतावपि ।

। अटीनवकघातीच शुद्धयतेनक्तभोजनात् ॥ ३ ॥

चिता पर छोड़े ॥ २२ ॥ पुत्र, भार्द, अथवा अन्य कोई वांधव इस आहुति को देवे । फिर जैसे अग्नि से दाह करते हैं वैसे ही विद्वान् लोग सब कर्म करें ॥ २३ ॥ जिस मृतक का ऐसे पूर्वोक्त विधाव से दाह कर्म किया जाय उस को ब्रह्मलोक प्राप्त होता है और जो ब्राह्मणादि द्विज उस अग्निहोत्री का दाह करते हैं वे भी परमगति को प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ जो लोग अपनी बुद्धि से अन्यथा शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं वे अल्प अवस्था वाले होते हैं और अशुद्ध नरक में पड़ते हैं ॥ २५ ॥

यह पाराशरीय धर्मशास्त्र के भाषानुवाद में पांचवां अध्याय पूरा हुआ ॥

यहां से प्राणियों की हत्याओं का प्रायश्चित्त कहते हैं । जो प्रथम महर्षि पाराशर ने कहा और जिसे मनु जी ने भी विस्तार से कहा है ॥ १ ॥ क्रौंच, सारस, हंस, चक्रवा, मुरगा, जालपाद [ चिरई ] शरभ ( एक प्रकारका मृग ) इनको मारकर एक दिवस तक व्रत करने से शुद्ध होता है ॥ २ ॥ बलाका, टिडिभ, तोता, कबूतर, अटीन वक ( जो बगला उड़ता फिरे ) इन के मारने पर दिन भर व्रत कर रात्रि को भोजन करने से शुद्ध होता है ॥ ३ ॥ भेंड़िया, कौआ, कपोत, सारी ( पक्षिसेद ) और

वृंक्रकाककपोतानां सारीतित्तिरिघातकः ।  
 अन्तर्जलउभेसंध्ये प्राणायामेनशुद्ध्यति ॥ ४ ॥  
 गृध्रप्रयेनशशादीनामुलूकस्यचघातकः ।  
 अपक्वाशीदिनंतिष्ठे-त्त्रिकालंमास्ताशनः ॥ ५ ॥  
 वल्गुलीचटकानांच कोकिलाखञ्जरीटकान् ।  
 लांवकान् रक्तपादांश्च शुद्ध्यतेनक्तभोजनात् ॥ ६ ॥  
 कारण्डवचकीराणां पिङ्गलाकुररस्यच ।  
 भारद्वाजादिकंहत्वा शिवंसंपूज्यशुद्ध्यति ॥ ७ ॥  
 भेरुण्डचापभासांश्च पारावतकपिञ्जलौ ।  
 पक्षिणांचैवसर्वेषामहोरात्रभोजनम् ॥ ८ ॥  
 हत्वामूपकमार्जारसर्पाजगरदुण्डुमान् ।  
 कृसरंभोजयेद्विप्रान् लोहदण्डंचदक्षिणाम् ॥ ९ ॥  
 शिशुमारंतथागोधां हत्वाकूर्मञ्चशल्लकम् ।  
 वृन्ताकफलभक्षीवाऽप्यहोरात्रेणशुद्ध्यति ॥ १० ॥

तोतर इन को जो मारे वह दोनों संध्याओं ( प्रातःकाल और सायंकाल ) में जल के भीतर प्राणायाम करने से शुद्ध होता है ॥ ४ ॥ गीघ, वाज, खरहा, और उल्लू इनको जो मारे वह दिनभर पकाया अन्न न खावे किन्तु तीनों काल वायु भक्षण करता हुआ खड़ा रहे ॥ ५ ॥ वल्गुर्ला, चटका, कोइल, खंजरीट, ( खंजन ) लावक ( लवां ) रक्त पग वाले इन पक्षियों को मार कर दिन को जपादिघृत तथा रात को भोजन करने से शुद्ध होता है ॥ ६ ॥ कारण्डव ( हंस का भेद ) चकोर, पिंगला, ( छोटा उल्लू ) कुरर ( कुररी ) भारद्वाज ( व्याघ्राट ) आदि को मार कर शिव जी का पूजन करने से शुद्ध होता है ॥ ७ ॥ भेरुण्ड ( भुरड ) पर्याहा, भासे, पारावत, कपिंजल, और अन्य सब पक्षियों को मार कर एक दिन रात भोजन न करे ॥ ८ ॥ मूसं, विलाव, सांप, अजगर और-डुंडुभ, को मारने वाला ब्राह्मणों को खिचड़ी जिमाकर लोहे का डंडा दक्षिण में देवे ॥ ९ ॥ शिशुमार, गोह, कलुभा, सेही, इनको जो मारे वह और जो बैंगन खाय वह एक दिन रात व्रत उपवास करने से शुद्ध होता है ॥ १० ॥ भेड़िया

वृकजम्बुकऋक्षाणां तरक्षूणांचघातकः ।  
 तिलप्रस्थंद्विजैदद्याद्वायुभक्षोदिनत्रयम् ॥ ११ ॥  
 गजस्यचतुरङ्गस्य महिषोष्ट्रनिपातने ।  
 प्रायश्चित्तमहोरात्रं त्रिसंध्यमवगाहनम् ॥ १२ ॥  
 कुरङ्गवानरंसिंहं चित्रंव्याघ्रञ्चघातयन् ।  
 शुद्ध्यतेसन्निरात्रेण विप्राणांतर्पणेनच ॥ १३ ॥  
 मृगरोहिद्वराहाणामवेर्वस्तस्यघातकः ।  
 अफालकृष्टमशनीयादहोरात्रमुपोष्यसः ॥ १४ ॥  
 एवंचतुष्पदानांच सर्वेषांवनचारिणाम् ।  
 अहोरात्रोषितस्तिष्ठेज्जपन्वैजातवेदसम् ॥ १५ ॥  
 शिल्पिनंकारुकंशूद्रं स्त्रियंवायस्तुघातयेत् ।  
 प्राजापत्यद्वयंकृत्वा वृषैकादशदक्षिणा ॥ १६ ॥  
 वैश्यंवाक्षत्रियंवापि निर्दोषंयोऽभिघातयेत् ।  
 सोऽतिकृच्छ्रद्वयंकुर्व्याद् गोविंशंदक्षिणांददेत् ॥ १७ ॥

गीदड़, रीछ, तरक्षु ( चीता ) इन को जो मारे वह ब्राह्मण को एक सेर भर तिल देवे और तीन दिन वायु मात्र का मक्षण करे अर्थात् उपवास करे ॥ ११ ॥ हाथी, घोड़ा, भैंसा, ऊंट, इन को जो मारे वह एक दिन रात उपवास करे और त्रिकाल स्नान करे ॥ १२ ॥ कुरंग मृग, वानर, सिंह, चीता, घाघ, इनको जो मारे वह तीन दिन रात व्रत करने और ब्राह्मणों को भोजन कराने से शुद्ध होता है ॥ १३ ॥ हरिण, लालमृग, सूकर, भेड़ वकरा, इन को जो मारे वह एक दिन रात उपवास करके उस अन्न को खाय जो बिना जोते पैदा हुआ हो ॥ १४ ॥ इसी प्रकार सब चौपाये और सब वनके विचरने वाले जीवों को मार कर जातवेदस अग्नि के मंत्र का जप करता हुआ एक दिन रात खड़ा रह के उपवास करे ॥ १५ ॥ शिल्पी [चित्रकार] कारीगर, शूद्र, और स्त्री इन को जो मार डाले वह चारह २ दिन के दो प्राजापत्य व्रत करके दश गौ १६वां पैल दक्षिणा में देवे ॥ १६ ॥ निर्दोष वैश्य वा क्षत्रिय को जो मार डाले वह दो अतिकृच्छ्र व्रत करे और घीस गौ दक्षिणा में देवे ॥ १७ ॥ शुभ कर्म में तत्पर वैश्य वा शूद्र

वैश्यंशूद्रंक्रियासक्तं विकर्मस्थंद्विजोत्तमम् ।  
 हत्वाचान्द्रायणंकुर्यात् त्रिंशद्गाश्चैवदक्षिणा ॥१८॥  
 चाण्डालंहतवानकश्चिद् ब्राह्मणोयदिकञ्चन ।  
 प्राजापत्यंचरेत्कृच्छ्रं गोद्वयंदक्षिणांददेत् ॥ १९ ॥  
 क्षत्रियेणापिवैश्येन शूद्रेणैवेतरेणच ।  
 चाण्डालेवधसंप्राप्ते कृच्छ्राद्धेनविशुद्ध्यति ॥ २० ॥  
 चौरःश्वपाकश्चाण्डालो विप्रेणाभिहतोयदि ।  
 अहोरात्रोपितःस्नात्वा पञ्चगव्येनशुद्ध्यति ॥ २१ ॥  
 श्वपाकंचापिचाण्डालं विप्रःसंभाषतेयदि ।  
 द्विजैःसंभाषणंकुर्यात्सावित्रींचसकृज्जपेत् ॥ २२ ॥  
 चाण्डालैःसहसुप्तं तु त्रिरात्रमुपवासयेत् ।  
 चाण्डालैकपथंगत्वा गायत्रीस्मरणाच्छुचिः ॥ २३ ॥  
 चाण्डालदर्शनेसद्य आदित्यमवलोकयेत् ।  
 चाण्डालस्पर्शनेचैव सचैलंस्नानमाचरेत् ॥ २४ ॥

को और निन्दित कर्म करने वाले ब्राह्मण को जो मार डाले वह चाण्डाल व्रत करे और ३०  
 गौ दक्षिणा में देवे ॥ १८ ॥ यदि कोई ब्राह्मण किसी चाण्डाल को मार डाले तो कृच्छ्र  
 प्राजापत्य व्रत करे और दो गौ दक्षिणा में देवे ॥ १९ ॥ यदि क्षत्रिय वैश्य वा शूद्र  
 वा अन्य कोई वर्णसंकर ये चाण्डाल को मार डालें तो आधा कृच्छ्र व्रत करनेसे शुद्ध  
 होते हैं ॥ २० ॥ यदि किसी ब्राह्मण ने चौर, श्वपाक, चाण्डाल इन को मार डाला हो  
 तो एक दिन रात उपवास पूर्वक स्नान करके पञ्चगव्य पीने से शुद्ध होता है ॥ २१ ॥  
 यदि श्वपाक और चाण्डाल इन के संग ब्राह्मण संभाषण करे तो ब्राह्मणों के साथ  
 संभाषण करके एक बार गायत्री जपे ॥ २२ ॥ जो ब्राह्मण चाण्डाल के संग सोवे तो  
 तीन दिन उपवास करने से और चाण्डाल के संग एक मार्ग में चले तो गायत्री के  
 स्मरण से शुद्ध होता है ॥ २३ ॥ चाण्डाल का दर्शन करे तो शीघ्र ही सूर्य का दर्शन  
 करे और चाण्डाल का स्पर्श करे तो सचैल [ वहाँ सहित ] स्नान करे ॥ २४ ॥

चाण्डालखातवापीषु पीत्वासलिलमग्रजः ।  
 अज्ञानाञ्चैकनक्तेन त्वहोरात्रेणशुद्ध्यति ॥ २५ ॥  
 चाण्डालभाण्डसंस्पृष्टं पीत्वाकूपगतंजलम् ।  
 गोमूत्रग्रावकाहारस्त्रिरात्राच्छुद्धिमाप्नुयात् ॥ २६ ॥  
 चाण्डालघटसंस्थंतु यत्तोर्यंपिवतिद्विजः ।  
 तत्क्षणात्क्षिपतेयस्तु प्राजापत्यंसमाचरेत् ॥ २७ ॥  
 यदिनक्षिपतेतोर्यं शरीरेयस्यजीर्यति ।  
 प्राजापत्यंनदातव्यं कृच्छ्रं सांतपनंचरेत् ॥ २८ ॥  
 चरेत्सांतपनंविप्रः प्राजापत्यंतुक्षत्रियः ।  
 तदधृतुचरेद्वैश्यः पादंशूद्रस्यदापयेत् ॥ २९ ॥  
 भाण्डस्थमन्त्यजानांतु जलं दधिपयःपिवेत् ।  
 ब्राह्मणःक्षत्रियोवैश्यः शूद्रश्चैवप्रमादतः ॥ ३० ॥  
 ब्रह्मकूर्चोपवासेन द्विजातीनांतुनिष्कृतिः ।  
 शूद्रस्यचोपवासेन तथादानेनशक्तिः ॥ ३१ ॥

चाण्डाल की खोदी वावड़ी वा कुआ में अज्ञान से ब्राह्मण जल पीवे तो एक रात भर और जान कर पीवे तो एक दिन रात व्रत करने से शुद्ध होता है ॥ २५ ॥ जिस कूप में चाण्डाल के वर्तन का स्पर्श हुआ ही उस कूप का जल पिया हो तो गोमूत्र और कुलत्थ को खाकर एक दिन रात व्रत करने से शुद्ध होता है ॥ २६ ॥ यदि चाण्डाल के घट का जल ब्राह्मण पीलेवे और उस जल को उसी क्षण में यमन करदे तो एक प्राजापत्य व्रत करे ॥ २७ ॥ यदि यमन न करदे और उस जलको पचाजाय तो प्राजापत्य न करे किन्तु सांतपन कृच्छ्र व्रत करे ॥ २८ ॥ ब्राह्मण कृच्छ्र सांतपन व्रत, क्षत्रिय प्राजापत्य, वैश्य आधा प्राजापत्य और शूद्र चौथाई प्राजापत्य व्रत करे ॥ २९ ॥ यदि अन्त्यजों के पात्र में रक्खा जल, दही, दूध, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वा शूद्र भूल करके पी लेवें तो ॥ ३० ॥ इसी पुस्तक के अ० ११ में कहे व्रत के ब्रह्मकूर्च उपवास से द्विजातिर्षीं क्री और एक उपवास तथा यथाशक्ति किये दान से शूद्र की शुद्धि होती है ॥ ३१ ॥ यदि किसी प्रकार अज्ञान से ब्राह्मण चाण्डाल के अन्नको खालेवे तो गोमूत्र

भुङ्क्तेऽज्ञानाद्द्विजश्रेष्ठःचाण्डालान्नंकथंचन ।  
 गोमूत्रयावक्काहारो दशरात्रेणशुद्धयति ॥ ३२ ॥  
 एकैकं ग्रासमश्नीयाद् गोमूत्रयावकस्यच ।  
 दशाहंनियमस्थस्य व्रतंतत्तुविनिर्दिशेत् ॥ ३३ ॥  
 अविज्ञातस्तुचाण्डालो यत्रवेशमनितिष्ठति ।  
 विज्ञातउपसंन्यस्य द्विजाःकुर्युरनुग्रहम् ॥ ३४ ॥  
 मुनिवक्त्रोद्गतान्धर्मान् गायन्तोवेदपारगाः ।  
 प्रतन्तमुद्धुरेयुस्तं धर्मज्ञाःपापसंकटात् ॥ ३५ ॥  
 दध्नाचंसर्पिषाचैत्र क्षीरगोमूत्रयावकम् ।  
 भुञ्जीतसहभृत्यैश्च त्रिसंध्यमवगाहनम् ॥ ३६ ॥  
 त्र्यहंभुञ्जीतदध्नाच त्र्यहंभुञ्जीतसर्पिषा ।  
 त्र्यहंक्षीरेणभुञ्जीत एकैकेनदिनत्रयम् ॥ ३७ ॥  
 भावदुष्टंभुञ्जीत नोच्छिष्टंकृमिदूषितम् ।  
 दधिक्शीरस्यत्रिपलं पलमेकंघृतस्यतु ॥ ३८ ॥

और कुलत्थ को खाकर दश दिन में शुद्ध होता है ॥ ३२ ॥ और गोमूत्र में  
 कुलत्थ को मिलाकर दश दिन तक एक २ ग्रास खाये और नियमसे रहे  
 यही व्रत उस ब्राह्मण के लिये वताना चाहिये ॥ ३३ ॥ यदि बिना जाने कोई  
 चाण्डाल द्विजों के घर में ठहरे तो जान लेने पर उसे निकाल कर द्विज  
 ब्राह्मण लोग उस ब्राह्मण पर दया कर उसे शुद्ध करें ॥ ३४ ॥ मुनियों के मुख से  
 निकसे धर्मों को गाते हुये वेद के पाठ पढ़ें, हुए धर्म के ज्ञाता विद्वान् लोग पतित  
 हुए उस ब्राह्मण को प्रायश्चित्त कराके पाप संकट से उद्धार करें ॥ ३५ ॥ वह ब्राह्मण  
 जिस के घर में अज्ञात चाण्डाल मिल जुल के रहा हो दही, घी, दूध, गोमूत्र, और  
 कुलत्थ इन को भृत्यों और स्त्री पुत्रादि के सङ्ग निम्न प्रकार से खावे और त्रिकाल  
 स्नान करे ॥ ३६ ॥ तीन दिन दही से, तीन दिन दूध से ( यावक ) नाम कुलमाष-  
 ( कुलथी ) खावे और तीन दिन एक २ दही आदि खावे ॥ ३७ ॥ जिस में कोई दौषा-  
 रोपण हो गया हो वा दूषित होनेकी शंका होगई हो, जो किसी का भूटा हो, जिसमें  
 कृमि पड़ गये हों, उसे न खावे । दही और घी ऊपर कहे व्रतमें तीन २ पल ( अर्थात् चार  
 तोलाका एक पल होता तब १२ तोले के तीन पल हुए ) और घी एक पल खावे ॥ ३८ ॥



भस्मनातुभवेच्छुद्धिरुभयोःकांस्यतामूयोः ।  
 जलशौचेनवस्त्राणां परित्यागेनमृन्मयम् ॥ ३९ ॥  
 कुसुम्भगुडकार्पास-लवणतैलसर्षिपी ।  
 द्वारैकृत्वातुधान्यानि दद्याद्वैरमनिपावकम् ॥ ४० ॥  
 एवंशुद्धस्ततःपश्चात् कुर्याद्ब्राह्मणतर्पणम् ।  
 त्रिशतं गावृषंचैकं दद्याद्विप्रेषुदक्षिणाम् ॥ ४१ ॥  
 पुनर्लेपनखातेन होमजाप्येनशुद्धयति ।  
 आधारेणचविप्राणां भूमिदीपोनविद्यते ॥ ४२ ॥  
 चाण्डोलैःसहसंपर्कं मासंमासाद्द्वैमेववा ।  
 गोमूत्रयावकाहारो मासाद्द्वैनविशुद्ध्यति ॥ ४३ ॥  
 रजकीचर्मकारीच लुब्धकीवेणुजीविनी ।  
 चातुर्वर्ण्यस्यतुगृहे त्वविज्ञातानुतिष्ठति ॥ ४४ ॥  
 ज्ञात्वातुनिष्कृतिकुर्यात् पूर्वोक्तस्याद्द्वैमेवतु ।  
 गृहदाहंनकुर्वीत शेषंसर्वंचकारयेत् ॥ ४५ ॥

जिसके घरमें चाण्डाल रह चुका हो उस घरके कांसे और ताम्रके पात्रोंकी शुद्धि भस्म से, जलमें धोनेसे बर्तनोंकी शुद्धि होती और मट्टीके पात्र अशुद्धहों तो त्याग देनेचाहिये ॥ ३९ ॥ फिर घर के द्वारपर कुसुम, गुड़, कपास, लवण, तैल घी अन्न इनको निकाल कर घर में अग्नि लगा देवे ॥ ४० ॥ इस प्रकार शुद्ध होकर ब्राह्मणों को भोजन कराके तप्त करे और तीनसौ गौ एक बैल ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे ॥ ४१ ॥ दुवारा लीपना, खोदना, होम, जप, और ब्राह्मणों के बैठने से पृथ्वी शुद्ध होती है फिर उस भूमि में कुछ दीप नहीं रहता ॥ ४२ ॥ यदि चाण्डालोंके संग एक महीना वा पन्द्रह दिन संसर्ग रहे तो पन्द्रह १५ दिन तक गोमूत्र और कुलथी खाकर शुद्ध होता है ॥ ४३ ॥ रजकी (घोविन) चमारी, व्याधनी, चांस के पात्र बना के जीविका करने वाले की स्त्री, ये यदि अज्ञान से चारों वर्णों के घर में निवास करें तो ॥ ४४ ॥ जानने पीछे पूर्वोक्त का आधा प्रायश्चित्त करे घर को जलावे नहीं शेष सब कृत्य आधा करे ॥ ४५ ॥

गृहस्याभ्यन्तरंगच्छेज्जाण्डालोयदिकस्यचित् ।  
 तमागाराद्विनिःसार्य मृद्धाण्डंतुविसर्जयेत् ॥ ४६ ॥  
 रसपूर्णंतुमृद्भाण्डं नत्यजेत्तु कदाचन ।  
 गोमयेन तु संमिश्रैर्जलैः प्रोक्षेद्गृहंतथा ॥ ४७ ॥  
 ब्राह्मणस्य ब्रह्मणद्वारे पूयशोणितसंभवे ।  
 कृमिस्तपद्यते यस्य प्रायश्चित्तंकथं भवेत् ॥ ४८ ॥  
 गवांमूत्रपुरीषेण दध्नाक्षीरेण सर्पिषा ।  
 त्र्यहंस्नात्वा च पीत्वा च कृमिदष्टः शुचिर्भवेत् ॥ ४९ ॥  
 क्षत्रियोऽपिसुवर्णस्य पञ्चमाषान्प्रदाय तु ।  
 गोदक्षिणांतु वैश्यस्याप्युपवासं विनिर्दिशेत् ॥ ५० ॥  
 शूद्राणां नोपवासः स्याच्छूद्रोदानेन शुद्ध्यति ।  
 ब्राह्मणांस्तु नमस्कृत्य पञ्चगव्येन शुद्ध्यति ॥ ५१ ॥  
 अच्छिद्रमिति यद्वाक्यं वदन्ति क्षितिदेवताः ।  
 प्रणम्य शिरसा ग्राह्यमग्निष्टोमफलं हितम् ॥ ५२ ॥

यदि किसी के घर के भीतर चांडाल चला जाय तो उस को घर से बाहर निकाल कर मिट्टी के पात्रों को फेंक देवे ॥ ४६ ॥ परन्तु रस के भरे मिट्टी के पात्रों को कदापि न त्यागै और गोबर मिले जलसे घर को लीपे वा छिड़के ॥ ४५ ॥ राध ( पीव ) और रधिर से भरे ब्राह्मणके घाव में यदि कृमि ( कीड़े ) पड़ जाय तो प्रायश्चित्त कैसे ही सो कहते हैं ॥ ४८ ॥ गोमूत्र, गोबर, गोदही गोदूध गोघृत इनको मिला कर तीन दिन स्नान और इन को तीन दिन पीकर चह कीड़ों का काटा हुआ पुरुष शुद्ध होता है ॥ ४९ ॥ क्षत्रिय के घाव में यदि कृमि पड़ गये हों तो पांच मससे सुवर्ण का दान देवे । वैश्य एक गौ की दक्षिणा देवे और एक उपवास करे तब शुद्ध होता है ॥ ५० ॥ शूद्रों को उपवास का निषेध है इस से शूद्र दान से शुद्ध होता है । शूद्र दान देने पश्चात् ब्राह्मणों को प्रणाम कर और पञ्चगव्य का प्राशन करने से शुद्ध होता है ॥ ५१ ॥ जिस काम को ब्राह्मणलोग ( अच्छिद्रमस्तु ) ऐसा कहदेवें उस वाक्य को सब लोग शिरोधार्य मान कर ग्रहण करें क्योंकि उस से अग्निष्टोम यज्ञका फल होता है ॥ ५२ ॥ जप का छिद्र, तप का छिद्र और यज्ञ कर्म का छिद्र नाम जो

जपच्छिद्रं तपश्छिद्रं यच्छिद्रं यज्ञकर्मणि ।  
 सर्वं भवति निश्छिद्रं ब्राह्मणैरुपपादितम् ॥ ५३ ॥  
 व्याधिव्यसनिनिश्रान्ते दुर्भिक्षे डामरे तथा ।  
 उपवासो व्रतो होमो द्विजसंपादितानिवै ॥ ५४ ॥  
 अथवा ब्राह्मणास्तुष्टाः सर्वे कुर्वन्त्यनुग्रहम् ।  
 सर्वान्कामानवाप्नोति द्विजैः संवर्धिंता शिषा ॥ ५५ ॥  
 दुर्बलानुग्रहः प्रोक्तस्तथा वै बालवृद्धयोः ।  
 ततोऽन्यथा भवेद्दोषस्तस्मान्नानुग्रहः स्मृतः ॥ ५६ ॥  
 स्नेहाद्वायदिवालोभाद्भयाद्ज्ञानतोऽपि वा ।  
 कुर्वन्त्यनुग्रहं ये तु तत्पापं तेषु गच्छति ॥ ५७ ॥  
 शरीरस्याऽत्यये प्राप्ते वदन्ति नियमंतु ये ।  
 महत्कार्योपरोधेन न स्वस्थस्य कदाचन ॥ ५८ ॥  
 स्वस्थस्य मूढाः कुर्वन्ति नियमंतु वदन्ति ये ।  
 ते तस्य विघ्नकर्तारः पतन्ति नरंकेऽशुचौ ॥ ५९ ॥

कुछ ऋति है तपस्वी ब्राह्मणों के कहने से वह सब छिद्र रहित हो जाता है ॥ ५३ ॥  
 यदि शूद्र मनुष्य व्याधियों से वा किसी दुर्व्यसन से पीड़ित दुःखित हो, वा दुर्भिक्ष  
 से पीड़ित हो, वा लूट लड़ाई आदि से दुःखित हो तो उपवास, व्रत, और होम सु-  
 पात्र ब्राह्मण द्वारा करावे ॥ ५४ ॥ अथवा प्रसन्न संतुष्ट हुए सब ब्राह्मण लोग अनुग्रह  
 (रूपा) करते हैं। अर्थात् ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बड़ा हुआ वह शूद्र जब काम-  
 नाओं को प्राप्त होता है ॥ ५५ ॥ निर्बल (असमर्थ), बालक, और वृद्ध इन पर अनुग्रह  
 करना चाहिये अर्थात् अल्प प्रायश्चित्त इनसे न करना चाहिये। यदि इनसे भिन्न म-  
 नुष्यों पर अनुग्रह किया जाय अर्थात् ठीक प्रायश्चित्त न कराया जाय तो ठीक नहीं  
 है। ५६ ॥ उस को अनुग्रह नहीं कहते जो स्नेह से, भय से, लोभ से अथवा अज्ञानसे  
 ब्राह्मण लोग किसी पर अनुग्रह करते हैं तो अपराधी का पाप उन को ही लगता है।  
 ॥ ५७ ॥ जो ब्राह्मण लोग प्राणनाश की सम्भावना होने पर भी प्रायश्चित्त का विधान  
 करते, और बड़े महान् कामोंकी हानि होने के विचार से स्वस्थ पुरुष को नियम पालन  
 का निषेध करते हैं ॥ ५८ ॥ तथा जो मूढ़ लोग स्वस्थ पुरुष के पालनीय नियम को  
 लोभादि से स्वयं पालन करते वा कहते हैं। वे सब उस के कार्य में विघ्न करने वाले  
 होने से अपवित्र नरक में पड़ते हैं ॥ ५९ ॥ जो पुरुष विद्वानों से पूछे बिना आप ही

स्वयमेवव्रतंकृत्वा ब्राह्मणं योऽवमन्यते ।  
 वृथा तस्योपवासः स्यान्न सपुण्येन युज्यते ॥ ६० ॥  
 सपुत्रनिग्रमोग्राह्यो यमेकोऽपि वदेद्द्विजः ।  
 कुर्याद्वाक्यं द्विजानां तु अन्यथाभूणहामवेत् ॥ ६१ ॥  
 ब्राह्मणाजङ्गमं तीर्थं तीर्थभूताहिसाधवः ।  
 तेषां वाक्योदकेनैव शुद्ध्यन्ति मलिना जनाः ॥ ६२ ॥  
 ब्राह्मणाया निभाषन्ते मन्यन्ते तानि देवताः ।  
 सर्वदेवमयो विप्रो न तद्वचनमन्यथा ॥ ६३ ॥  
 उपवासो व्रतंचैव स्नानं तीर्थं जपस्तपः ।  
 विप्रैः संपादितं यस्य संपूर्णतस्य तद्भवेत् ॥ ६४ ॥  
 अन्नाद्येकीटसंयुक्ते मक्षिकाकेशदूषिते ।  
 तदन्तरास्पृशेच्चापस्तदन्नं भस्मना स्पृशेत् ॥ ६५ ॥  
 भुञ्जानश्चैव यो विप्रः पादं हस्तेन संस्पृशेत् ।  
 समुच्छिष्टमसौ भुङ्क्ते यो भुङ्क्ते भुक्तभाजने ॥ ६६ ॥

व्रत करके ब्राह्मणों का तिरस्कार करता है। उस का उपवास वृथा है और उसे पुण्य फल प्राप्त नहीं होता ॥ ६० ॥ इससे वही नियम ग्रहण करना योग्य है जिसे एक भी धार्मिक ब्राह्मण कहै। और ब्राह्मणके वचन को अवश्य स्वीकार करे यदि न करेगा तो भ्रूणहत्या का दोष लगता है ॥ ६१ ॥ क्योंकि ब्राह्मण लोग जंगम (चेतन) तीर्थ हैं और साधु (सीधे) शुद्ध निर्विकार ब्राह्मण लोग भी तीर्थ रूप ही होते हैं। उन ब्राह्मणों के वाक्य रूप जल से ही मलिन पुरुष शुद्ध हो जाते हैं ॥ ६२ ॥ ब्राह्मण लोग जिन धर्मयुक्त वाक्योंको कहते हैं उन्हें देवता भी मानते हैं। धर्मनिष्ठ ब्राह्मण सर्व देवताओं का रूप है इस से उस का वचन अन्यथा नहीं हो सकता ॥ ६३ ॥ उपवास व्रत-स्नान तीर्थयात्रा जप तप ये सब जिस के ब्राह्मण ने संपादन (अनुमोदन) कर दिये उस को ही इन का ठीक फल होता है ॥ ६४ ॥ यदि पकाये हुये अन्न में कीड़े मिल गये हों वा वह भोज्यान्न मक्खी और केशों से दूषित हो गया हो तो कीड़ा, मक्खी केशादि को निकाल के उस के बीच २ जल से धोकर शुद्ध करे और उस अन्न का भस्म से स्पर्श करे ॥ ६५ ॥ जो भोजन करता हुआ ब्राह्मण पग को दहिने हाथ से छलेवे तो अथवा किसी के जुंटे पात्र में भोजन करे तो उसका उच्छिष्ट भोजन करना

पादुकास्थोनभुञ्जीत पर्यङ्कस्थः स्थितोऽपि वा ।  
 चाण्डालेन शुनादृष्टं भोजनं परिवर्जयेत् ॥ ६७ ॥  
 यदन्नं प्रतिषिद्धं स्यादन्नशुद्धिस्तथैव च ।  
 यथापराशरेणोक्तं तथैवाहं वदामिवः ॥ ६८ ॥  
 श्रुतद्रोणाढकस्यान्नं काकश्चानोपघातितम् ।  
 केनैदं शुद्ध्यते चेति ब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत् ॥ ६९ ॥  
 काकश्चानावलीढं तु द्रोणान्नं नपरित्यजेत् ।  
 वेदवेदाङ्गविद्विप्रैर्धर्मशास्त्रानुपालकैः ॥ ७० ॥  
 प्रस्थाद्वाविंशतिद्रोणः स्मृतो द्विप्रस्थआढकः ।  
 ततो द्रोणाऽढकस्यान्नं श्रुतिस्मृतिविदो विदुः ॥ ७१ ॥  
 काकश्चानावलीढं तु गवाघ्रातं खरेण वा ।  
 स्वल्पमन्नं त्यजेद्विप्रः शुद्धिद्रोणाढके भवेत् ॥ ७२ ॥  
 अन्नस्योद्धृत्य तन्मात्रं यच्च लालाहतं भवेत् ।  
 सूत्रपादकमभ्युक्ष्य हुताशेनैव तापयेत् ॥ ७३ ॥

जानी ॥ ६६ ॥ खडाम् पर बैठ कर वा खाट अथवा बिस्तरे पर बैठ कर अथवा खड़ा होकर भोजन न करे । कुत्ते और चांडाल के देखे हुये भोजन को त्याग देवे ॥ ६७ ॥ जो कोई अन्न विषिद्ध है वा जिस किलो अन्न की शुद्धि हो सकती है । व्यास जी कहते हैं कि इस उक्त विषयमें महर्षि पराशर ने जैसा विचार कहा है, वैसे हम कहते हैं ॥ ६८ ॥ द्रोण वा आढक भर पकाये अन्न को यदि कौआ या कुत्ता बिगाड़ देवे-तो यह अन्न कैसे शुद्ध हो ऐसा ब्राह्मणों से कहे ॥ ६९ ॥ उस समय धर्मशास्त्रकी मर्यादा के रक्षक और वेद वेदाङ्ग के जानने वाले ब्राह्मण लोग यह आज्ञा दें कि काक वा कुत्ते ने बिगाड़े द्रोण भर अन्न को न त्यागे ॥ ७० ॥ वार्धस प्रस्थ ( अंजली ) का एक द्रोण और दो प्रस्थ का एक आढक कहाता है । तिस से श्रुति स्मृति के ज्ञाता विद्वान् लोग द्रोणान्न तथा आढकान्न को शुद्ध मानते हैं ॥ ७१ ॥ यदि कौआ वा कुत्ता ने खाटा और गौ वा गधे ने सूंघा खोड़ा अन्न हो तो त्याग देवे और वह पकाया अन्न द्रोण वा आढक भर होतो उस की शुद्धि हो सकती है ॥ ७२ ॥ जितने अन्न में कौवे आदि का मुख लगा हो वा जितने में लार गिरी हो उतना निकाल देने बाद सुवर्ण के जल से छिड़क कर अग्नि से तपावे तब शुद्ध होजाता है ॥ ७३ ॥ क्योंकि जिस

हुताशनेनसंसृष्टं सुवर्णसलिलेन च ।  
 विप्राणां ब्रह्मघोषेण भोज्यं भवति तत्क्षणात् ॥ ७४ ॥  
 स्नेहो वा गोरसो वाऽपि तत्र शुद्धिः कथं भवेत् ।  
 अल्पं परित्यजेत्तत्र स्नेहस्योत्पवनेन च ॥  
 अनलज्वालया शुद्धिर्गोरसस्य विधीयते ॥ ७५ ॥

इति पाराशरीये धर्मशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

अथातो द्रव्यशुद्धिस्तु पराशरवचो यथा ।  
 दारवाणान्तु पात्राणां तत्क्षणाच्छुद्धिरिष्यते ॥ १ ॥  
 मार्जनाच्च ज्ञपात्राणां पाणिनायज्ञकर्मणि ।  
 चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रक्षालनेन च ॥ २ ॥  
 चरूणां स्रुकस्रुवाणाञ्च शुद्धिरुष्णेन वारिणा ।  
 भस्मना शुद्ध्यते कांस्यं ताम्रमभ्लेन शुद्ध्यति ॥ ३ ॥  
 रजसा शुद्ध्यते नारी विकलयानगच्छति ।  
 नदीवेगेन शुद्ध्येत लेपो यदि न दृश्यते ॥ ४ ॥

अन्न में अग्नि का और सुवर्ण के जल का स्पर्श होता है उससे तथा ब्राह्मणों के वेद पाठ की ध्वनि से वह अन्न उसी समय खाने योग्य शुद्ध हो जाता है ॥ ७४ ॥ यदि स्नेह ( घी आदि ) हो वा गोरस ( दूध आदि ) होय तो उस की शुद्धि कैसे हो ? उस में से थोड़ा सा निकाल देवे और घी आदि स्नेह को छान लेवे और दूध को अग्नि की ज्वाला से तपा लेने से शुद्धि कही है ॥ ७५ ॥

यह पाराशरीय धर्मशास्त्र के भाषानुवाद में छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥

अब महर्षि पराशर भगवान् के वचनानुसार द्रव्य की शुद्धि कहते हैं । कांठके पात्रों की तो उसी समय शुद्धि हो सकती है ॥ १ ॥ यह कर्म में यह के पात्रों की शुद्धि हाथ से मांजने से होती, अग्निष्टोमादि सोमयाग के चमस और सोम प्रहों की शुद्धि जल में घोने से होती है ॥ २ ॥ चरूखाली, स्रुक, स्रुवा, इन यज्ञपात्रों की उष्णजल से, कांसे के पात्र की भस्म से और ताँबे के पात्र की खटाई से मांजने पर शुद्धि होती है ॥ ३ ॥ यदि स्त्री ने पर पुरुषसे व्यभिचार न किया हो किन्तु केवल मन से चलायमान हुई हो तो वह रजोदग्धान ( मासिक धर्म होने ) ही से शुद्ध हो जाती है और यदि नदी में कहीं अधिक मलिनता संलग्न न हो तो उस की साधारण

वापीकूपतडागेषु दूषितेषुकथञ्जन ।

उद्धृत्यवैकुम्भशतं पञ्चगव्येनशुद्ध्यति ॥ ५ ॥

अष्टवर्षाभवेद्गौरी नववर्षातुरोहिणी ।

दशवर्षाभवेत्कन्या तत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥ ६ ॥

प्राप्तेतुद्वादशवर्षे यः कन्यां न प्रयच्छति ।

मासिमासिरजस्तस्याः पिबन्ति पितरोऽनिशम् ॥ ७ ॥

माता चैव पिता चैव ज्येष्ठो भ्राता तथैव च ।

त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥ ८ ॥

यस्तां समुद्बहेत्कन्यां ब्राह्मणो मदमोहितः ।

असंभाष्यो ह्यपाङ्क्तयः सविप्रो वृषलीपतिः ॥ ९ ॥

अशुद्धि प्रवाह के वेग से शुद्ध हो जाती है ॥ ४ ॥ बावड़ी, कूप और तालाब यदि ये किसी प्रकार दूषित हो जाय तो उन में से सौ बड़े जल निकाल कर पंचगव्य गेरनेसे शुद्ध हो जाते हैं ॥ ५ ॥ आठ वर्ष की कन्या को गौरी, नौ वर्ष की रोहिणी, और दश वर्ष की को कन्या ही कहते हैं और दश वर्ष से ऊपर रजस्वला कोटि में गिनी जाती है ॥ ६ ॥ जो मनुष्य बारह वर्ष की कन्या का विवाह नहीं करता उसके पितर महीने २ में उस लड़की के रज को पीते हैं ॥ ७ ॥ माता, पिता, और जेठा भाई ये तीनों रजस्वला कन्या को देख २ कर नरक में जाते (पाप के भागी) होते हैं ॥ ८ ॥ जो ब्राह्मणादि मद से मोहित उस रजस्वला \* कन्या के साथ विवाह करता है वह भी संभाषण करने और पंक्ति में बैठाने योग्य नहीं क्योंकि वह स्वधर्म से पतित स्त्री

\* रजो दर्शन होने से पहिले विवाह करे यह सभी धर्मशास्त्रों की राय से विधिवाक्य है । यदि अच्छा घर खोजने आदि में देर लगे और कन्या रजस्वला होने लगे तो पितादि को दोष नहीं लगता यह उक्त विधि का अपवाद माना जायगा । माता पितादि नरक में जाते हैं यह उक्त विधिवाक्य का निन्दार्थवाद है । जिसका मतलब यह है कि रजस्वला होने पर सन्तानोत्पत्ति की सम्भावना है उसमें बाधा पड़ती है । इस कारण माता पितादि को अपराध लगता है । विधि से विरुद्ध करने का निन्दार्थवाद विध्यनुकूल करनेकी आवश्यकता और उक्त मता दिखाने के लिये है । विधि विरुद्ध करना ही पाप है और वह नरक नाम दुःख विशेष का हेतु है ॥

यःकरोत्येकरात्रेण वृषलीसेत्रनाद्विजः ।  
 समैक्ष्यभुग्जपन्नित्यं त्रिभिर्वर्षैर्विशुद्ध्यति ॥ १० ॥  
 अस्तंगतेयदासूर्ये चाण्डालंपतितंस्त्रियम् ।  
 सूतिकांस्पृशतेचैव कथंशुद्धिर्विधीयते ॥ ११ ॥  
 जातवेदंसुवर्णंच सोममार्गं विलोक्य च ।  
 ब्राह्मणानुगतश्चैव स्नानंकृत्वाविशुद्ध्यति ॥ १२ ॥  
 स्पृष्ट्वारजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणीब्राह्मणीतथा ।  
 तावत्तिष्ठेन्निराहारा त्रिरात्रेणैवशुद्ध्यति ॥ १३ ॥  
 स्पृष्ट्वारजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणीक्षत्रियातथा ।  
 अर्द्धकृच्छ्रं चरेत्पूर्वा पादमेकन्त्वनन्तरा ॥ १४ ॥  
 स्पृष्ट्वारजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणीवैश्यजांतथा ।  
 पादहीनंचरेत्पूर्वा पादमेकमनन्तरा ॥ १५ ॥  
 स्पृष्ट्वारजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणीशूद्रजांतथा ।  
 कृच्छ्रेणशुद्ध्यतेपूर्वा शूद्रादानेनशुद्ध्यति ॥ १६ ॥

का पति है ॥ ९ ॥ जो द्विज ब्राह्मणादि पुरुष एक रात भर में जितना पाप वृषली  
 (वेश्या) का सेवन करनेसे प्राप्त करता है वह भिक्षाका अन्न खाकर और जप करता  
 हुआ तीन वर्ष तक किये प्रायश्चित्त से शुद्ध होता है ॥ १० ॥ यदि सूर्य के अस्त हो  
 जाने पर चाण्डाल, पतित, और सूतिका स्त्री इनका स्पर्श करे तो कैसे शुद्धि कही है  
 सो कहते हैं ॥ ११ ॥ अग्नि, सुवर्ण और चन्द्रमा का मार्ग इनको देख कर और ब्राह्मणों  
 की आंका से स्नान करके शुद्ध होता है ॥ १२ ॥ यदि दो रजस्वला ब्राह्मणी परस्पर  
 स्पर्श करें तो रजोदर्शन की समाप्ति तक निराहार रहें तब रजो दर्शन के तीन ही दिन  
 में शुद्ध होजाती हैं ॥ १३ ॥ यदि ब्राह्मणी और क्षत्रिया रजस्वला परस्पर छू जावें तो  
 ब्राह्मणी अर्द्ध कृच्छ्र व्रत और क्षत्रिया चौथाई कृच्छ्र व्रत प्रायश्चित्त करे ॥ १४ ॥ यदि  
 रजस्वला ब्राह्मणी और वैश्या परस्पर स्पर्श कर लें तो ब्राह्मणी पौन कृच्छ्रव्रत और  
 वैश्या चौथाई कृच्छ्र व्रत करे ॥ १५ ॥ यदि रजस्वला ब्राह्मणी और शूद्रा परस्पर स्पर्श  
 कर लें तो ब्राह्मणी एक कृच्छ्रसे और शूद्रा स्त्री दान करनेसे ही शुद्ध हो जाती है ॥ १६ ॥



स्नातारजस्वलायातु चतुर्थेऽहनिशुद्ध्यति ।  
 कुर्याद्रजोनिवृत्तौतु दैवपित्र्यादिकर्मत्र ॥ १७ ॥  
 रोगेणप्रद्रजःस्त्रीणामन्वहंतुप्रवर्त्तते ।  
 नाऽशुचिःसाततस्तेन तत्स्याद्वैकारिकंमलम् ॥ १८ ॥  
 साध्वाचारानतावत्स्याद्रजोयावत्प्रवर्त्तते ।  
 रजोनिवृत्तौगम्यास्त्री गृहकर्मणिचैवहि ॥ १९ ॥  
 प्रथमेऽहनिचाण्डाली द्वितीयेब्रह्मघातिनी ।  
 तृतीयेरजकीप्रोक्तां चतुर्थेऽहनिशुद्ध्यति ॥ २० ॥  
 आतुरेस्नानउत्पन्ने दशकृत्वोह्यनातुरः ।  
 स्नात्वास्नात्वास्पृशेदेन ततःशुद्ध्येत्सजातुरः ॥ २१ ॥  
 उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टः शुनाशूद्रेणवाद्विजः ।  
 उपोष्यरजनीमेकां पञ्चगव्येनशुद्ध्यति ॥ २२ ॥  
 अनुच्छिष्टेनशूद्रेण स्पर्शेस्नानंविधीयते ।  
 तेनोच्छिष्टेनसंस्पृष्टः प्राजापत्यंसमाचरेत् ॥ २३ ॥

जो रजस्वला स्त्री स्नान करके चौथे दिन शुद्ध होती है वह रज के निवृत्त होने पर देवता तथा पितृ आदि सम्बन्धी कर्मों में अपने पति के साथ संमिलित हो सकती है ॥ १७ ॥ जो रोग के कारण प्रतिदिन स्त्रियों के रजोघर्म होता है उस रज से वह स्त्री अशुद्ध नहीं होती क्योंकि वह मल रोग विकार जन्य माना गया है ॥ १८ ॥ जब तक रजोदर्शन रहता है तब तक शुद्ध आचरण न करे रज की निवृत्ति होने पर ही स्त्री गृहस्था के काम और संग करने योग्य होती है ॥ १९ ॥ पहिले दिन चाण्डाली के तुल्य अशुद्ध, दूसरे दिन ब्रह्महत्यारीके तुल्य, तीसरे दिन रजकी (धोविन) के तुल्य अशुद्ध जानना और चौथे दिन शुद्ध होती है ॥ २० ॥ यदि रोगीको स्नान करनेकी आवश्यकता हो और वह स्नान करने योग्य न हो तो नौरोग मनुष्य दशवार स्नान कर उस रोगी का स्पर्श करे तब वह स्नान किये के तुल्य शुद्ध हो जाता है ॥ २१ ॥ यदि ब्राह्मण जूटन खाते हुएकुत्ते वा शूद्र का स्पर्श करले तो एक रात उपवास करके पञ्चगव्य पीने से शुद्ध होता है ॥ २२ ॥ जो उच्छिष्ट न हो ऐसा शूद्र ब्राह्मण का स्पर्श कर लेवे तो स्नान ही करे । यदि उच्छिष्ट शूद्र स्पर्श करले तो प्राजापत्य प्रत करे ॥ २३ ॥

भस्मनाशुद्ध्यतेकांस्यं सुरयायन्नलिप्यते ।  
 सुरामात्रेणसंसृष्टं शुद्ध्यतेऽग्न्युपलेखनैः ॥ २४ ॥  
 गवाघ्रातानिकांस्यानि श्वकाकोपहतानिच ।  
 शुद्ध्यन्तिदशभिक्षारैः शूद्रोच्छिष्टानियानिच ॥ २५ ॥  
 गण्डूषपादशौचं च कृत्वा वैकांस्यभाजने ।  
 षणमासान्भुविनिक्षिप्य उद्घृत्यपुनराहरेत् ॥ २६ ॥  
 आयसेष्वपसारेण सीसस्याग्नीविशोधनम् ।  
 दन्तमस्थितथाशृङ्गं रौप्यं सौवर्णभाजनम् ॥ २७ ॥  
 मणिपाषाणशङ्खांश्च एतान्प्रक्षालयेज्जलैः ।  
 पाषाणेतुपुनर्घर्ष-एषाशुद्धिरुदाहृता ॥ २८ ॥  
 अद्भिसुप्तप्रोक्षणंशौचं बहूनां धान्यवाससाम् ।  
 प्रक्षालनेनत्वल्पानामद्भिःशौचंविधीयते ॥ २९ ॥  
 मृद्भाण्डदहनाच्छुद्धिर्धान्यानांमार्जनादपि ।  
 वेणुवल्कलचौराणां क्षीमकार्पासवाससाम् ॥

जिसमें मदिरा का संसर्ग न हुआ हो ऐसा कांसेका पात्र भस्म से, और जिसमें मदिरा लग गई हो वह अग्निमें तपानेसे, और घिसने छीलनेसे, शुद्ध होता है ॥ २४ ॥ गौके सूँघे, कुत्ता और कौआ को लूप, और शूद्र ने जिन में खाया हो ऐसे कांसेके पात्र दश खारी, वस्तु लगाने से शुद्ध होते हैं ॥ २५ ॥ कांसे के पात्र में कुल्ला करे वा पग धोवे तो उसे छः महीने तक पृथ्वी में गाड़रखे फिर निकाले तब भोजनादि के योग्य शुद्ध होता है ॥ २६ ॥ लोहे के पात्र स्थानान्तर में कर देने ही से शुद्ध हो जाते हैं । और सीसे के पात्रों की शुद्धि अग्नि में तपाने से होती है । दांत, हड्डी साँग, और चाँदी सोने के पात्र ॥ २७ ॥ मणि, पत्थर-और शंख इनको जलसे धोके शुद्ध करे परन्तु पत्थर के पात्र को फिर से घिसें तब शुद्ध होता है ॥ २८ ॥ बहुत से धान्य की राशि तथा बहुत से बख किसी कारण अशुद्ध हो जाय तो कुशों द्वारा जल छिड़कने से तथा थोड़े बख वा धान्य हीं तो जल में धोने से शुद्ध होते हैं ॥ २९ ॥ मिट्टी के पात्र की अग्नि में फिर से पकाने पर, अक्षों की मार्जन (जल सेचन) से, वांस, दकक, चीर

और्णामानेत्रपटानां प्रोक्षणाच्छुद्धिरिष्यते ॥ ३० ॥  
 मुञ्जोपस्करशूर्पाणां शाणस्यफलचर्मणाम् ।  
 तृणकाष्ठादिरज्जूनामुदकाभ्युक्षणंमतम् ॥ ३१ ॥  
 तूलिकाद्युपधानानि रक्तवस्त्रादिकानिच ।  
 शोषयित्वाऋतापेन प्रोक्षणाच्छुद्धिरिष्यते ॥ ३२ ॥  
 मार्जारमक्षिकाक्रीट पतङ्गकृमिददुराः ।  
 मेध्यामेध्यंस्पृशन्तो ये नोच्छिष्टान्मनुरब्रवीत् ॥ ३३ ॥  
 महींस्पृष्ट्वागतंतीर्थं याश्चाप्यन्योन्यविप्रुषः ।  
 भुक्तोच्छिष्टं तथास्नेहं नोच्छिष्टं मनुरब्रवीत् ॥ ३४ ॥  
 ताम्बूलेक्षुफलान्येव भुक्तस्नेहानुलेपने ।  
 मधुपर्कचसोमेच नोच्छिष्टं धर्मतोविदुः ॥ ३५ ॥  
 रथ्याकर्तृमतोयानि नावःपन्थास्तृणानिच ।  
 मरुताकैणशुद्धयन्ति पक्वेष्टकचितानिच ॥ ३६ ॥

( किल्ला कपड़ा ) अतसी वस्त्र, और कपास के वस्त्र, ऊन और नेत्र ( वेतआदि ) के वस्त्र इन की पछोरने ( फींचने ) से शुद्धि मानी है ॥ ३० ॥ मूँजकी वस्तु सूप शाण की वस्तु, फल, चाम; तृण, काठ, रस्सी इनकी जल छिड़कने से शुद्धि मानी है ॥ ३१ ॥ रुई आदि के; तकिये तथा लाल वस्त्रादि को सूर्य के घाम में सुखा के जल छिड़कने से शुद्धि होता इष्ट है ॥ ३२ ॥ विलाव मक्खी, कीड़े, पतंगे, कृमि, मेंढक, ये सब पवित्र वा अपवित्र वस्तु का सार्थ करें तो वस्तु उच्छिष्ट अशुद्ध नहीं होता यह मनु जी ने कहा है ॥ ३३ ॥ अशुद्ध वा नीच ने छुआ पृथ्वी में बहता हुआ जल, और परस्पर बोलने से गिरने वाले धूक के छींटे तथा रसोईखाने में भोजन से बचा घी आदि स्नेह ये उच्छिष्ट नाम अशुद्ध नहीं होते यह भी मनु जी ने कहा है ॥ ३४ ॥ पान, गन्ने स्नेह युक्त फल, जिनमें से खाया हो ऐसा घी आदि स्नेह मधुपर्क तथा सोमयामों का सोमरस तथा घिसा हुआ केशर चन्दनादि इन में से कुछ भाग प्रथम किसी ने खाया वा वर्ता हो तो शेष धर्मानुसार उच्छिष्ट वा अशुद्ध नहीं होता ॥ ३५ ॥ सड़क, कीचड़, जल, नौका, मार्ग, तृण ( पलालचट्टाई आदि ) पकी ईंटों से बने ( मन्दिर भित्ति आदि ) ये सब पवन और सूर्य के किरणों से शुद्ध होजाते हैं ॥ ३६ ॥ निरन्तर

अदुष्टाःसंतताधारा वातोद्भूताश्चरेणवः ॥ ३७ ॥

स्त्रियोवृद्धाश्चत्रालाश्च नदुष्यन्तिकदाचन ॥ ३७ ॥

क्षुतेनिष्ठीवनेचैव दन्तोच्छिष्टेतथाऽनृते ।

पतितानांचसंभाषे दक्षिणंश्रवणंस्पृशेत् ॥ ३८ ॥

अग्निरापश्चवेदाश्च सोमसूर्यानिलास्तथा ।

एतेसर्वेऽपिविप्राणां श्रोत्रेतिष्ठन्तिदक्षिणे ॥ ३९ ॥

प्रभासादीनितीर्थानि गङ्गाद्याःसरितस्तथा ।

विप्रस्यदक्षिणेकर्णं सान्निध्यमनुरब्रवीत् ॥ ४० ॥

देशभङ्गेप्रवासेत्रा व्याधिषुव्यसनेष्वपि ।

रक्षिदेवस्वदेहादि पश्चाद्गुर्मसमाचरेत् ॥ ४१ ॥

येनकेनचधर्मण मृदुनादारुणेनवा ।

उद्वरेद्वीनमात्मानं समर्थोधर्ममाचरेत् ॥ ४२ ॥

आपत्कालेतुसम्प्राप्ते शौचाऽऽचारंनचिन्तयेत् ।

शुद्धिसमुद्वरेत्पश्चात् स्वस्थोधर्मसमाचरेत् ॥ ४३ ॥

इति पाराशरीये धर्मशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

के वेगसे उड़ी हुई धूलि, ( रजखला हीने से मिश्र ) स्त्रियां, बालक, वृद्ध, ये स्नानादि किये बिना भी कभी दूषित नहीं होते ॥३७॥ छींकने, थूकने दांतीमें जूठन निकलने, झूठ बोलने, और पतितों के संग बोलने पर दहिने कान का स्पर्श करे ॥३८॥ अग्नि, जल, वेद, अन्नमा, सूर्य और वायु ये सब देवता ब्राह्मण के दहिने कान में निवास करते हैं ॥३९॥ प्रसासक्षेत्र आदि तीर्थ और गंगा आदि नदी, ये सब ब्राह्मण के कान में वास करते हैं यह मनु जी ने कहा है ॥ ४० ॥ देश में गदर होने, परदेश गमन करने, योग, तथा न्यस्त विपत्तियों के समय में अपवित्र विरुद्धाचरण करता हुआ भी अपने शरीरादि की रक्षा करे और पीछे स्वस्थ दशा होने पर धर्म का आचार विचार कर लेवे ॥४१॥ कामलव फटोर जिस किसी धर्म से अपनी असमर्थ दीन दशा का उद्धार करे और समर्थ हो जाने पर फिर धर्म करे ॥ ४२ ॥ आपत्काल आ जाने पर शौच तथा आचार के विगड़ने को चिन्ता न करे । पीछे स्वस्थ दशा प्राप्त होने पर शुद्धि और धर्म का आचरण कर लेवे ॥ ४३ ॥

इह पाराशरीय धर्मशास्त्र के भाषानुवादमें सातवां अध्याय पूरा हुआ ॥७॥

गवांयन्धनयोवत्रेतु भवेन्मृत्युरकामतः ।  
 अकामकृतपापस्य प्रायश्चित्तंकथंभवेत् ॥ १ ॥  
 वेदवेदाङ्गविदुषां धर्मशास्त्रंविजानताम् ।  
 स्वकर्मरतविप्राणां स्वकंपापंनिवेदयेत् ॥ २ ॥  
 अतज्जध्वंप्रवक्ष्यामि उपस्थानस्यलक्षणम् ।  
 उपस्थितोहिन्यायेन व्रतादेशनमर्हति ॥ ३ ॥  
 संशयोनिःसंशयेपापे नभुञ्जीतानुपस्थितः ।  
 भुञ्जानोवर्द्धयेत्पापं पर्षद्यन्नविद्यते ॥ ४ ॥  
 संशयेतुनभोक्तव्यं यावत्कार्यविनिश्चयः ।  
 प्रमादस्तुनकर्त्तव्यो यथैवासंशयस्तथा ॥ ५ ॥  
 कृत्वापापंनगूहेत गूह्यमानंविवर्द्धते ।  
 स्वल्पंवाथप्रभूतंवा धर्मविद्भ्योनिवेदयेत् ॥ ६ ॥  
 तेहिपापकृतांवैद्या हन्तारश्चैवपाप्मनाम् ।  
 व्याधितस्ययथावैद्या बुद्धिमन्तोरुजापहाः ॥ ७ ॥

यदि अहान से बांधने वा जोड़ने से गौओं की मृत्यु हो जाय तो अनिच्छा से किये पाप का प्रायश्चित्त कैसे हो ? सो कहते हैं ॥ १ ॥ वेद वेदाङ्ग और धर्मशास्त्र को जो जानते हैं और जो अपने कर्म में तत्पर हैं ऐसे ब्राह्मणों से अपना पाप निवेदन करे ॥ २ ॥ इस से आगे विद्वानों की सभा में उपस्थित ( हाजिर ) होने का स्वरूप कहते हैं क्योंकि जो न्याय से उपस्थित होता है वही व्रत के उपदेश योग्य है ॥ ३ ॥ यदि शीघ्र ही पाप का निश्चय हो जाय तो प्रायश्चित्त के लिये विद्वत्सभा में उपस्थित हुये बिना भोजन न करे । जहां सभा न हो वहां भी पहिले जो भोजन करता है वह पाप को बढ़ाता है ॥ ४ ॥ यदि संशय होय कि मुझ से अपराध हुआ है वा नहीं ? तो कर्त्तव्य प्रायश्चित्त का निश्चय होने तक भोजन न करे और अपराध के निश्चय करनेमें प्रमाद ( भूल ) भी न करे किन्तु जिस प्रकार सन्देह मिट जाय वैसा ही करे ॥ ५ ॥ अपराध को करके कदापि न छिपावे, क्योंकि छिपाया हुआ पाप बढ़ता है—थोड़ा पाप हो वा बहुत हो उसे धर्म के शाताओं को निवेदन करके प्रायश्चित्त पूछे ॥ ६ ॥ क्योंकि वे ही लोग पाप करने वाले सेगियों के ब्रैध हैं और पापों का नाश करने वाले हैं—जैसे

पञ्चपूर्वमयाप्रोक्तास्तेषां चासंभवे त्रयः ।  
 स्ववृत्तिपरितुष्टाय परिषत्साऽपिकीर्तिता ॥ २२ ॥  
 अतज्जुर्ध्वंतुये विप्राः केवलं नामधारकाः ।  
 परिषत्त्वं न तेष्वस्ति सहस्रगुणितेष्वपि ॥ २३ ॥  
 यथाकाष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः ।  
 ब्राह्मणस्त्वनधो यान् स्वयस्ते नामधारकाः ॥ २४ ॥  
 ग्रामस्थानं यथा शून्यं यथा कूपस्तु निर्जलः ।  
 यथा हुतमनग्नौ च अमन्त्रो ब्राह्मणस्तथा ॥ २५ ॥  
 यथा षण्ढोऽफलः स्त्रीषु यथा गौरूपराऽफला ।  
 यथा चाज्ञोऽफलदानं तथा विप्रोऽनृचोऽफलः ॥ २६ ॥  
 चित्रं कर्म यथानेकै रङ्गै र्गन्मीलयते शनैः ।  
 ब्राह्मण्यमपितद्वृद्धिं संस्कारै र्मन्त्रपूर्वकैः ॥ २७ ॥  
 प्रायश्चित्तं प्रयच्छन्ति ये द्विजानामधारकाः ।  
 ते द्विजाः पापकर्माणः समेतानरकं ययुः ॥ २८ ॥

कोई एक भी हो तो उसे परिषत् ( धर्मसभा ) कह सकते हैं ॥ २१ ॥ हमने जो पहिले प्रायश्चित्त द्वात्री समिति के पांच सभ्य कहे हैं यदि वे पांचों न मिलें तो अपनी वृत्ति ( जीविका ) करने से सन्तोषी तीन भी परिषत् परिषत् ( धर्मसभा ) कहते हैं ॥ २२ ॥ इन से भिन्न जो ब्राह्मण केवल नाम के धारण करने वाले हैं वे चाहें हजार गुण भी हों तो उन की धर्मसभा नहीं हो सकती ॥ २३ ॥ जैसे काठ का हाथी जैसे चामका हिरण जैसे ही वेद के बिना पदं ब्राह्मण हैं वे तीनों नाम के ही धारण करने वाले हैं ॥ २४ ॥ जैसा निर्जन ( जिस में कोई मनुष्य न हो वं ) ग्राम, जैसा जल के बिना कूप ( अंधौआ ) जैसा अग्नि बिना भस्मादि में होम करना है ऐसा ही वेद मन्त्रों को पदं बिना ब्राह्मण भी शून्य मात्र है ॥ २५ ॥ जैसे स्त्रियों में नपुंसक वृथा है जैसे बंध्या गौ वृथा है और जैसे मूर्ख ब्राह्मण को दान देना वृथा है ऐसे ही वेद हीन ब्राह्मण वृथा है ॥ २६ ॥ जैसे चित्र खींचने वालों की चित्रकारी अनेक रंगों से शनैः २ अति शोभायमान चमकीली होती है इसी प्रकार मन्त्रों के द्वारा हुए अनेक संस्कारों से ब्राह्मण पन भी उज्ज्वल प्रकाशमान होता है ॥ २७ ॥ जो विद्या और तप से हीन नामधारी ब्राह्मण प्रायश्चित्त देते हैं वे सब प्रायों के कर्ता इकट्ठे होकर नरक में जाते हैं ॥ २८ ॥

येपठन्तिद्विजावेदं पञ्चयज्ञरताश्रये ।  
 त्रैलोक्यंतारयन्त्येव पञ्चेन्द्रियरता अपि ॥ २६ ॥  
 संप्रणीतः श्मशानेषु दीप्तोऽग्निः सर्वभक्षकः ।  
 तथा च वेदविद्विप्रः सर्वभक्षोऽपि देवतम् ॥ ३० ॥  
 अमेध्या नितु सर्वाणि प्रक्षिप्यन्ते यथोदके ।  
 तथैव किल्बिषं सर्वं प्रक्षिपेच्च द्विजानले ॥ ३१ ॥  
 गायत्रीरहितो विप्रः शूद्रादप्यशुचिर्भवेत् ।  
 गायत्रीब्रह्मतत्त्वज्ञाः संपूज्यन्ते जनैर्द्विजाः ॥ ३२ ॥  
 दुःशीलोऽपि द्विजः पूज्यो न तु शूद्रो जितेन्द्रियः ।  
 कः परित्यज्य गांडुष्टां दुहेच्छीलवतीं खरीम् ॥ ३३ ॥  
 धर्मशास्त्ररथारूढा वेदखड्गधरा द्विजाः ।  
 क्रीडार्थं मपियद्ब्रूयुः स धर्मः परमः स्मृतः ॥ ३४ ॥  
 चातुर्वेद्यो विकल्पी च अङ्गविदुर्मपाठकः ।  
 त्रयश्चाश्रमिणो मुख्याः पर्षदेषादशावरा ॥ ३५ ॥

जो ब्राह्मण वेद को पढ़ते हैं वा जो पंच महायज्ञों के करने में तत्पर हैं वे पांचों इन्द्रियों के विषयों में आसक्त हों तो भी त्रिलोकी को तारने वाले ही हैं ॥ २६ ॥ जैसे जलता हुआ अग्नि श्मशानों में मुर्दा का भक्षक होने पर भी संसार का उद्धार कर्ता देवता है इसी प्रकार सर्व भक्षक होने पर भी धर्म निष्ठ ब्राह्मण वेद का ज्ञाता होने से देवता ही है ॥ ३० ॥ जैसे संपूर्ण अपवित्र वस्तु वर्षादि के समय नद्यादि के जल में फेंके शुद्ध हो जाते हैं वैसे ही संपूर्ण पाप ब्राह्मण रूप अग्नि में छोड़ देने से भस्म हो जाते हैं अर्थात् वेद वेत्ता ब्राह्मण धर्मानुष्ठान रूप जप तपादि अग्नि से पापों को भस्म कर देते हैं ॥ ३१ ॥ गायत्री से हीन ब्राह्मण शूद्र से भी अधिक अशुद्ध होता है, (यह गायत्री न जानने वा न जपने का निन्दार्थवाद् है) और गायत्री रूप वेद के तत्त्व को जानने वाले ब्राह्मणों को मनुष्य पूजते हैं ॥ ३२ ॥ दुष्ट स्वभाव वाला भी ब्राह्मण शूद्र की अपेक्षा अच्छा पूज्य है और जितेन्द्रिय भी शूद्र वैसे पूज्य नहीं क्योंकि (निरुद्ध ब्राह्मणमें भी कुछ ब्राह्मण पन अवश्य होगा) ऐसा कौन होगा ? जो दुष्ट शौ को छोड़ कर सुशीला गायी को दुहे ॥ ३३ ॥ धर्मशास्त्र रूपी रथ में बैठे, वेद रूपी खड्ग (हथियारों) को धारण किये विद्वान् ब्राह्मण साधारण विचार से भी जो कुछ कहे वह भी उत्तम धर्म माना जाय ॥ ३४ ॥ चारों वेदों के ज्ञाता चार विद्वान्, पांचवा नैयायिक, छठा छः वेदज्ञों का ज्ञाता, सातवां धर्मशास्त्रों का पाठक और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, बानप्रस्थ,

प्रायश्चित्तं समुत्पन्ने हीमान् सत्यपरायणः ।  
 मुहुरार्जवसंपन्नः शुद्धिगच्छतिमानवः ॥ ८ ॥  
 सचैलंवाग्यतःस्नात्वा क्लिन्नवासाः समाहितः ।  
 क्षत्रियोवाथवैश्योवा ततःपर्षदमाव्रजेत् ॥ ९ ॥  
 उपस्थायततःशीघ्रमार्तिमान्धरणीव्रजेत् ।  
 गात्रैश्चशिरसाचैव नचकिंचिदुदाहरेत् ॥ १० ॥  
 सावित्र्याश्चापिगायत्र्याः संध्योपास्त्यग्निकार्ययोः ।  
 अज्ञानात्कृषिकर्तारो ब्राह्मणानामधारकाः ॥ ११ ॥  
 अव्रतानाममन्त्राणां जातिमोत्रोपजीविनाम् ।  
 सहस्रशःसमेतानां परिषत्त्वंनविद्यते ॥ १२ ॥  
 यंवदन्तितमोमूढा मूर्खाधर्ममतद्विदः ।  
 तत्पापंशतधाभूत्वा तद्वक्तृनधिगच्छति ॥ १३ ॥  
 अज्ञात्वाधर्मशास्त्राणि प्रायश्चित्तं ददाति यः ।  
 प्रायश्चित्तीभवेत्पूतः कित्त्विषंपर्षदिव्रजेत् ॥ १४ ॥

कि बुद्धिमान् वैद्य औषध द्वारा रोगी के रोग को दूर करने वाले होते हैं ॥७॥ प्रायश्चित्त  
 के समय, लज्जा युक्त हो सत्य धर्म में तत्पर और बारंबारनम्रता कोमलता को धारण  
 करने वाला क्षत्रिय वा वैश्य मनुष्य शुद्धि को प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥ मौन धारण  
 कर सचैल स्नान करके गीले वस्त्र पहिने हुये सावधान हो कर पर्षद ( धर्म समा )  
 में जावे ॥ ९ ॥ फिर शीघ्र समा के समीप जाकर दुःखी हुआ शरीर और शिर से  
 ( साष्टांग ) पृथ्वी में पड़ जाय और कुछ न कहै ॥ १० ॥ सूर्यनारायण जिस के देवता  
 हैं ऐसी गायत्री, सन्ध्यावंदन और अग्निहोत्र इन कामों को जो नहीं जानते और न  
 करते हैं किन्तु जो खेती करते हैं वे नाम मात्र के ब्राह्मण हैं ॥ ११ ॥ जिन के सन्ध्या-  
 दि कर्म करने का नियम नहीं, जो वेद मन्त्रों को नहीं जानते और जातिमात्र से जो  
 ब्राह्मण बने हैं ऐसे चाहे हजारों भी जिस में इकट्ठे हों वह परिषत् (धर्म समा) नहीं है  
 ॥१२॥ धर्म के मर्म को न जानने वाले अज्ञानी मूर्ख ब्राह्मण लोग जो (प्रायश्चित्त आदि)  
 बतलाते हैं वह पाप सौ गुणा होकर उन धर्म की व्यवस्था कहने वाले मूर्खों को प्राप्त  
 होता है ॥१३॥ जो धर्मशास्त्रों को न जानकर प्रायश्चित्त देता है तो वह पापी पवित्र  
 हो जाता है और उस प्रायश्चित्ती का प्रायश्चित्त देने वाले को लगता है ॥ १४ ॥ वेदों



चत्वारोवात्रयोवापि यंत्रयुर्वेदपारगाः ।  
 सधर्मइतिविज्ञेयो नेतरैस्तुसहस्रशः ॥ १५ ॥  
 प्रमाणमार्गमार्गन्तो येधर्मप्रवदन्तिवै ।  
 तेषामुद्विजतेपापं सदभूतगुणत्रादिनाम् ॥ १६ ॥  
 यथाश्रमनिस्थितंतीयं मारुतार्कणशुद्धयति ।  
 एवंपरिषदादेशान्नाशयेत्तद्गदुष्कृतम् ॥ १७ ॥  
 नैवगच्छतिकर्तारं नैवगच्छतिपर्षदम् ।  
 मारुताकादिसंयोगात्पापंनश्यतित्तोयवत् ॥ १८ ॥  
 चत्वारोवात्रयोवापि वेदव्रन्तोऽग्निहोत्रिणः ।  
 ब्राह्मणानांसमर्थाये परिपत्साविधीयते ॥ १९ ॥  
 अनाहिताग्नीयेऽन्ये वेदवेदाङ्गपारगाः ।  
 पञ्चत्रयोवाधर्मज्ञाः परिपत्साऽपिकीर्तिता ॥ २० ॥  
 मुनीनामात्मविद्यानां द्विजानांयज्ञयाजिनाम् ।  
 वेदव्रतेपुस्नातानामेकोऽपिपरिषद्भवेत् ॥ २१ ॥

को पूर्ण रूपसे ठीक २ जानने वाले चार वा तीन विद्वान्ब्राह्मण जिसको कहे वही धर्म जानने और अन्य हजार भी मिलकर जिसे कहे वह धर्म नहीं ॥ १५ ॥ प्रमाण के मार्गको खोजते हुए जो परिपत लोग धर्म की व्यवस्था कहते हैं उन सत्य कहने वालों से पाप डरता कांपता है ॥ १६ ॥ जैसे पत्थर पर पड़ा जल पवन और सूर्यकेतेजसे शुद्ध हो जाता है । ऐसे ही धर्म सभा की आज्ञा से किये प्रायश्चित्त से उस पापी का पाप भी नष्ट हो जाता है ॥ १७ ॥ वह पाप न तो करने वाले पर रहता और न सभा पर जाता किन्तु पवन और सूर्य के संयोग से पत्थर पर पड़े जल के समान नष्ट होजाता है ॥ १८ ॥ वेद के ज्ञाता अग्निहोत्री चार वा तीन जो शास्त्र जानने वाले ब्राह्मणों में समर्थ हों उसे परिपत् कहते हैं ॥ १९ ॥ अथवा जो अग्निहोत्री नहीं किन्तु वेद वेदाङ्गों के तत्त्व को जानने वाले और धर्म के मर्म को जानने वाले हों ऐसे पांच वा तीन को भी परिपत् ( धर्म सभा ) कह सकते हैं ॥ २० ॥ कुछ न धौलने वाले मौनव्रती वा अत्यल्पमितभाषी तपस्वी मुनि आत्मविद्या ( वेदान्त ) के ज्ञाता, द्विजों को यज्ञ कराने वाले, और वेदोक्त नियमों को ब्रह्मचर्य द्वारा समाप्त करके जिनने समावर्त्तन किया हो ऐसे ब्राह्मणों में से

राज्ञश्चानुमतेस्थित्वा प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत् ।

स्वयमेव न कर्तव्यं कर्तव्यास्वरूपनिष्कृतिः ॥ ३६ ॥

ब्राह्मणांस्तानतिक्रम्य राजा कर्तुं यदीच्छति ।

तत्पापं शतधा भूत्वा राजानमनुगच्छति ॥ ३७ ॥

प्रायश्चित्तं सदा दद्याद्देवतायतनाग्रतः ।

आत्मकृच्छ्रं ततः कृत्वा जपेद्देवमातरम् ॥ ३८ ॥

सशिखं वपनं कृत्वा त्रिसंध्यमवगाहनम् ।

गवांमध्वेवसेद्रात्री दिवा गाश्चाप्यनुव्रजेत् ॥ ३९ ॥

उष्णे वर्षति शीते वा मासु ते वाति वा भृशम् ।

न कुर्वीतात्मनस्त्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥ ४० ॥

आत्मनो यदि वाऽन्येषां गृहे क्षेत्रेऽथ वा खले ।

भक्षयन्तीं न कथयेत्पि वन्तं चैव वत्सकम् ॥ ४१ ॥

ये तीनों आश्रमों वाले मुखिया, यह कम से कम दश धर्मज्ञ विद्वानों की धर्म सभा कहाती है ॥ ३५ ॥ राजा की अनुमति में होकर प्रायश्चित्त बताने आप ही प्रायश्चित्त का निर्णय न कर दें ( अर्थात् प्रायश्चित्तादि धर्म व्यवस्था कारिणी विद्वत्सभा राज सभा की अनुमति से अपना काम करे ) परन्तु स्वरूप प्रायश्चित्त को स्वयं भी निश्चित कर दें ॥ ३६ ॥ यदि उन विद्वान् ब्राह्मणों का उल्लंघन करके राजा स्वयं किया चाहै तो वह पाप सौ गुणा होकर राजा को लगता है ॥ ३७ ॥ सदैव देवता के मन्दिर के आगे प्रायश्चित्त करावे । फिर वह प्रायश्चित्त कराने वाला विद्वान् भी स्वयं कृच्छ्र व्रत ( प्रायश्चित्त ) करके वेद की माता गायत्री का जप करे ॥ ३८ ॥ प्रायश्चित्त करने वाला शिखा सहित वालों का मुंडन कराके सायं प्रातः और मध्याह्न में त्रिकाल स्नान किया करे । रात्रि को गौओं के बीच गोशाला में बसे और दिन में चलने को निकली गौओं के पीछे २ जंगल में भ्रमण किया करे ॥ ३९ ॥ अत्यंत उष्णकाल ( गर्मी ) में वर्षा में, शीतकाल में, और अत्यन्त प्रघन ( आंधी ) में अपनी रक्षा का उपाय तब करे जब शक्ति भर गौओं की रक्षा पहिले कर लेवे ॥ ४० ॥ अपने अथवा अन्य के घर में, खेत में अथवा खलियान में खाती हुई गौ को न स्वयं हटावे तथा न अन्य से हटाने को कहे और दूध पीते हुए बछड़े को भी किसी को न बताने ॥ ४१ ॥ गौओं के जल

पिबन्तीपुपिवेत्तोयं संविशन्तीषुसंविशेत् ।  
 पतितांपङ्कलग्नांवा सर्वप्राणैःसमुद्दरेत् ॥ ४२ ॥  
 ब्राह्मणार्धगवार्धेवा यस्तुप्राणान्परित्यजेत् ।  
 मुच्यतेब्रह्महत्याया गोप्रागोब्राह्मणस्यच ॥ ४३ ॥  
 गोवधस्यानुरूपेण प्राजापत्यंविनिर्दिशेत् ।  
 प्राजापत्यंतुयत्कृच्छ्रं विभजेत्तच्चतुर्विधम् ॥ ४४ ॥  
 एकाहमेकभक्ताशी एकाहंनक्तभोजनः ।  
 अयाचितश्चैकमहरेकाहंमारुताशनः ॥ ४५ ॥  
 दिनद्वयंचैकभक्तो द्विदिनंनक्तभोजनः ।  
 दिनद्वयमयाचीस्याद् द्विदिनंमारुताशनः ॥ ४६ ॥  
 त्रिदिनंचैकभक्ताशी त्रिदिनंनक्तभोजनः ।  
 दिनत्रयमयाचीस्यात्त्रिदिनंमारुताशनः ॥ ४७ ॥  
 चतुरहंत्वेकभक्ताशी चतुरहंनक्तभोजनः ।  
 चतुर्दिनमयाचीस्याच्चतुरहंमारुताशनः ॥ ४८ ॥

पीने पर स्वयं जल पीवे, गौओं के बैठने पर स्वयं बैठे और गढ़े आदि में गिरी पड़ी  
 वा कीचड़ में फँसी गौ कों संपूर्ण बल से उठावे निकाले ॥ ४२ ॥ जो कोई मनुष्य  
 ब्राह्मण वा गौओं की रक्षा करने के लिये अपने प्राणों को भी देकर गौ और ब्राह्मण  
 की रक्षा करे वह ब्रह्महत्यादि महा पापों से शीघ्र ही छूट जाता है ॥ ४३ ॥ गोवध  
 प्राप के अनुसार निम्न चतुर्विधों में से उचित प्राजापत्य व्रत बतावे । उस कृच्छ्र व्रत  
 को चार भाग में बाँटे ॥ ४४ ॥ एक दिन प्रातःकाल, एकवार-परिमित अन्न खावे,  
 और एक दिन रात में भोजन करे, एक दिन बिना मांगे जो मिले उसे खावे और एक  
 दिन सर्वथा निराहार रहे यह छोटा कृच्छ्र वा पादकृच्छ्र व्रत है ॥ ४५ ॥ दो दिन एक-  
 वार प्रातःकाल परिमित खावे; दो दिन रात में परिमित भोजन करे, दो दिन बिना  
 मांगे जो मिले उसे खावे, फिर दो दिन निराहार उपवास करे यह द्वितीय कक्षा का  
 कृच्छ्र व्रत वा अर्द्ध कृच्छ्र जानो ॥ ४६ ॥ तीन दिन एकवार प्रातः खावे, तीन दिन  
 रातमें भोजन करे, तीन दिन बिना मांगे जो मिले उसे खावे फिर तीन दिन निराहार  
 रहे यह तीसरा वा पौन कृच्छ्र व्रत है ॥ ४७ ॥ चार दिन एकवार प्रातः खावे, चार दिन  
 रात में एक वार भोजन करे फिर चार दिन बिना मांगे जो मिले उसे खावे और चार  
 दिन निराहार रहे यह पूरा कृच्छ्र व्रत है ( इन व्रतोंमें ३६-से ४२ तक श्लोकों में कई

प्रायश्चित्तं ततश्चीर्णं कुर्याद्ब्राह्मणभोजनम् ।  
 विप्राणां दक्षिणां दद्यात्पवित्राणि जपेद्द्विजः ॥ ४९ ॥  
 ब्राह्मणान्भोजयित्वा तु गोघ्नः शुद्धयेन्न संशयः ॥ ५० ॥

इति पाराशरीये धर्मशास्त्रे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

गवांसंरक्षणार्थाय न दुष्येद्गोवधबन्धयोः ।  
 तद्वधंतु न तं विद्यात्कामाकामकृतं तथा ॥ १ ॥  
 दण्डादूर्ध्वयदान्येन प्रहरेद्गान्निपातयेत् ।  
 प्रायश्चित्तं तदाप्रोक्तं द्विगुणं गोवधे चरेत् ॥ २ ॥  
 रोधबन्धनयोक्त्राणि घातश्चेति चतुर्विधम् ।  
 एकपादं चरेद्गोधे द्विपादं बन्धने चरेत् ॥ ३ ॥  
 योक्त्रेषु त्रिपादं स्याच्च चरेत्सर्वं निपातने ।  
 गोचरे वा गृहे वापि दुर्गेष्वप्यसमस्थले ॥ ४ ॥

अनुसार वर्त्ताव करे ) ॥ ४८ ॥ प्रायश्चित्त के पूर्ण हुए पीछे वह द्विज ब्राह्मणादि अन्य सुपात्र ब्राह्मणोंको भोजन करावे दक्षिणा देवे और पवित्र वेद-मन्त्रों ( गायत्री आदि ) को जपे ॥ ४९ ॥ ब्राह्मणों को भोजन करा कर गोवध का करने वाला शुद्ध हो जाता है इस में सन्देह नहीं है ॥ ५० ॥

यह पाराशरीय धर्मशास्त्र के भाषानुवाद में आठवां अध्याय पूरा हुआ ॥

गौओं की रक्षा के लिये रोकने और बांधने में यदि गौ मरजाय तो उसको गोवध नहीं जानना, चाहे वह रक्षा के उद्देश्य को लेकर रोकने बांधने की इच्छा से भी हुआ हो ॥ १ ॥ दंड से भिन्न यदि किसी औजार से गौ को मारें वा गिरा देवे तो वह गोवध में कहे से दूना प्रायश्चित्त करे ॥ २ ॥ रोकने, बंध बांधने, जोतने, और मारने से इन चार प्रकारों से गोहत्या होती है । परन्तु ये काम कष्ट पहुंचाने की इच्छा से निर्दय होकर किये गये हों तब, यदि रोकने से गोहत्या हुई हो तो एक पाद, बंधन से हुई हो तो दो पाद ॥ ३ ॥ योक्त्र से गोहत्या होने पर तीनपाद, और मारने से हुई गोहत्या में ( अ० ८ के श्लोक ४४ से ५० तक में कहा ) संपूर्ण प्रायश्चित्त करे । गौओं के चरने को रखाये बाड़ा में, घर में, दुर्ग ( जहां निकलने पडने का रास्ता न हो ) में और ऊंची नीची जगह में, ॥ ४ ॥ नदियों में, समुद्र में, गड्ढों में, गुफा के मुख में,

नदीष्वथसमुद्रेषु खातेष्वथदरीमुखे ।

दग्धदेशेमृतागावः स्तम्भनाद्रोधउच्यते ॥ ५ ॥

यौक्त्रदामकडारैश्च कण्ठाभरणभूषणैः ।

गृहेचापिवनेवापि चट्टास्याद्गौर्मृतायदि ॥ ६ ॥

तदेवबन्धनंविद्यात्कामाकामकृतंचयत् ।

हलेवाशकटेपङ्क्तौ भारेवापीडितोनरैः ॥ ७ ॥

गोपतिमृत्युमाप्नोति यौक्त्रोभवतितद्वधः ।

मत्तःप्रमत्तउन्मत्तश्चेतनोवाऽप्यचेतनः ॥ ८ ॥

कामाकामकृतक्रोधो दण्डैर्हन्यादथोपलैः ।

प्रहृतावामृतावापि तद्धिहेतुर्निपातते ॥ ९ ॥

अङ्गुष्ठमात्रस्थूलस्तु बाहुमात्रःप्रमाणतः ।

आर्द्रस्तुसपलाशश्च दण्डइत्यभिधीयते ॥ १० ॥

मूर्च्छितःपतितोवापि दण्डेनाभिहतःसतु ।

उत्थितस्तुयदागच्छेत्पञ्चसप्तदशाथवा ॥ ११ ॥

जले तपे हुए स्थान में, इन जगहों में खड़ी हुई गौओं को रोकने से रोध द्वारा मरना कहते हैं ॥ ५ ॥ यदि जुए में वा रस्सी से बांधा हो, घंटारों की रस्सियों से वा आभूषण की रस्सियों से घर में वा वन में बांधी हुई गौ यदि मरजाय तो ॥ ६ ॥ अवस्था भेद से उस को कामकृत वा अकामकृत हत्या कहते हैं। यदि हल में, वा गाड़ी में, वा दो चार बैलों की, पांति में बांधने पर, बोझा लादने पर, मनुष्यों से पीड़ा को प्राप्त हुआ ॥ ७ ॥ बैल मरजाय तो उस वध को यौक्त्र कहा है। जो मनुष्य मत्त, प्रमत्त, उन्मत्त, चेतन वा अचेतन दशा में हो ॥ ८ ॥ समरूप कर वा बिना समरूप क्रोध करके दंडों से वा पत्थरों से गौ पर प्रहार करे और वह गौ मरजाय तो उसे निपातन (मरण) का हेतु कहते हैं ॥ ९ ॥ अंगुठे भर मौटा और भुजा की बराबर लंबा, गीला और पत्तों वाला जो हो उसे दंड कहते हैं ॥ १० ॥ मूर्छा को प्राप्त हुआ, वा पड़ा हुआ वा दंड से ताड़ा हुआ वह बैल जो पांच वा सात अथवा दश पग तक उठ कर चले ॥ ११ ॥ अथवा एक प्रास खाले वा जल पीले वा पहिले से उस को कोई

ग्रासंवायदिगृह्णीयात्तोयंवापिपिबेद्यदि ।  
 पूर्वव्याध्युपसृष्टश्चेत्प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ १२ ॥  
 पिण्डस्थेपादमेकं तु द्वीपादौ गर्भसंमिते ।  
 पादो न व्रतमुद्दिष्टं हत्वा गर्भमचेतनम् ॥ १३ ॥  
 पादेऽङ्गरोमवपनं द्विपादेश्मश्रुणोऽपि च ।  
 त्रिपादे तु शिखावर्जं सशिखंतु निपातने ॥ १४ ॥  
 पादेवस्त्रयुगंचैव द्विपादेकांस्थभाजनम् ।  
 त्रिपादे गोवृषदद्याच्चतुर्थे गोद्वयं स्मृतम् ॥ १५ ॥  
 निष्पन्नसर्वगात्रेषु दृश्यते वा सचेतनः ।  
 अङ्गप्रत्यङ्गसंपूर्णो द्विगुणं गोव्रतं चरेत् ॥ १६ ॥  
 पाषाणेनैव दण्डेन गावोयेनाभिघातिताः ।  
 श्रद्धमङ्गे चरेत्पादं द्वीपादौ नेत्रघातने ॥ १७ ॥  
 लाङ्गूलेपादकृच्छ्रं तु द्वीपादावस्थिभञ्जने ।  
 त्रिपादंचैव कर्णे तु चरेत्सर्वनिपातने ॥ १८ ॥

रोग भी हो तो ऐसी हिंसा का प्रायश्चित्त नहीं है ॥ १२ ॥ यदि गोलाका पिंडी मात्र बने गर्भ को गिरावे तो पाद कृच्छ्र व्रत, कुछ २ गर्भ का आकार धनजाने पर गर्भपात कराने में आधा कृच्छ्र व्रत, और ठीक २ बने अचेतन गर्भ को गिरावे तो पौन कृच्छ्र व्रत प्रायश्चित्त करे ( यहाँ मारने पीटने से गिरे पशु गर्भ का प्रायश्चित्त जानो ) ॥ १३ ॥ पादकृच्छ्र प्रायश्चित्त में शरीर के रोम मुंडावे, आधे कृच्छ्र व्रत में डाढ़ी मूँछें भी मुंडावे त्रिपाद ( पौन ) व्रत में शिखा को छोड़कर मुंडावे और पूरे कृच्छ्र व्रत में शिखा सहित धालों को मुंडावे ॥ १४ ॥ चौथाई व्रत में दो बख, आधे व्रत में कांसे का पात्र, त्रिपाद ( पौन ) व्रत में एक बैल, और चौथे पूर्ण प्रायश्चित्त में दो गौ दक्षिणा देवे ॥ १५ ॥ यदि सब अंग जिस के बने हों ऐसा अंग प्रत्यंगों सहित पूरा २ चेतन गर्भ दीखता हो तो उस के गिराने में पूर्व कहे गोवध के प्रायश्चित्त से दूना प्रायश्चित्त करे ॥ १६ ॥ पत्थर वा दंड से जिसने गौ को ताड़ना की हो उस से यदि सींग टूट जाय तो पाद व्रत और नेत्र फूटजाय तो आधा कृच्छ्र व्रत प्रायश्चित्त करे ॥ १७ ॥ पूँछ टूट जावे तो चौथाई व्रत, हाड़ टूट जाय तो आधा व्रत, कान टूट जाय तो तीन पाद ( पौन ) व्रत और उस पशु के मरजाने पर संपूर्ण प्रायश्चित्त करे ॥ १८ ॥ सींग टूटने पर, वा गोड़

शृङ्गभङ्गोऽस्थिभङ्गेषु कटिभङ्गे तथैव च ।  
 यदि जीवति पण्मासान् प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ १९ ॥  
 व्रणभङ्गेषु च कर्तव्यः स्नेहाभ्यङ्गस्तु पाणिना ।  
 यवसंश्रोपहर्तव्यो यावद्दृढवलो भवेत् ॥ २० ॥  
 यावत्संपूर्णसर्वाङ्गस्तावत्तं पोषयेन्नरः ।  
 गोरूपं ब्राह्मणस्याग्रे नमस्कृत्वा विसर्जयेत् ॥ २१ ॥  
 यद्यसंपूर्णसर्वाङ्गो हीनदेहो भवेत्तदा ।  
 गोघातकस्य तस्याहुं प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत् ॥ २२ ॥  
 काष्ठलोष्टकपाषाणैः शस्त्रैर्नोद्धृतो वलात् ।  
 व्यापादयति यो गां तु तस्य शुद्धिं विनिर्दिशेत् ॥ २३ ॥  
 चरेत्सांतपनं काष्ठे प्राजापत्यं तु लोष्टके ।  
 तप्तकृच्छ्रं तु पाषाणे शस्त्रं चैवातिकृच्छ्रकम् ॥ २४ ॥  
 पञ्चसान्तपने गावः प्राजापत्ये तथा त्रयः ।  
 तप्तकृच्छ्रे भवन्त्यष्टावतिकृच्छ्रे त्रयोदश ॥ २५ ॥

आदि का हाड़ टूटने पर, छः महीने तक जीवित रहे तो प्रायश्चित्त नहीं है अर्थात् १९  
 १८ श्लोकों में कहे प्रायश्चित्त सींगादि टूटने पर छः महीने से पहिले पशु के मरने पर  
 जानो ॥ १९ ॥ यदि बैलादि के घाव हो जाय तो हाथ से उस घाव पर तैलादि दवा  
 लगाय करे और जब तक बँल बलवान् न हो तब तक घास खिलाया करे काम कुछ  
 न लेवे ॥ २० ॥ जब तक ठीक घाव पूरा होके दृष्ट पुष्ट न हो जाय तब तक मनुष्य उस  
 का पोषण करे । फिर गौ रूप बैल को ब्राह्मण के आगे नमस्कार करके छोड़ देवे  
 ॥ २१ ॥ यदि उस बैल का कोई अंग ठीक अच्छा न हो किन्तु लूला लंगड़ा ही रहे और  
 हीनदेह ( दुबला ) हो जाय तो गौ के मारने वाले को कहे से आधा प्रायश्चित्त बतावे  
 ॥ २२ ॥ यदि लकड़ी, ढेला, पत्थर, या किसी हथियार से बल पूर्वक मारा हुआ बैल  
 मरजावे तो उस का निम्न लिखित प्रायश्चित्त जानो ॥ २३ ॥ लकड़ी से मरने पर कृच्छ्र-  
 सान्तपन, ढेला से मरने पर प्राजापत्य, पत्थर से मरने पर तप्तकृच्छ्र, और हथियार  
 ( वहाँ भालादि ) से मरने पर अतिकृच्छ्र व्रत करे ॥ २४ ॥ सान्तपन में पाँच, प्राजा-  
 पत्य में तीन, तप्त कृच्छ्र में आठ और अतिकृच्छ्र व्रत करने में तेरह गौ दक्षिणा देवे

प्रमापणेप्राणभृतां दद्यात्तत्प्रतिरूपकम् ।  
 तस्यानुरूपंमूल्यंवा दद्यादित्यब्रवीन्मनुः ॥ २६ ॥  
 अन्यत्राङ्कनलक्ष्मभ्यां वहनेमोचनेतथा ।  
 सायंसंगोपनार्थं च नदुष्येद्रोधबन्धयोः ॥ २७ ॥  
 अतिदाहेऽतिवाहे च नासिकाभेदनेतथा ।  
 नदीपर्वतसंचारे प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत् ॥ २८ ॥  
 अतिदाहेचरेत्पादं द्वीपादीवाहनेचरेत् ।  
 नासिक्येपादहीनंतु चरेत्सर्वनिपातने ॥ २९ ॥  
 दहनात्तु विपद्येत अनड्वान्योक्त्रयन्त्रितः ।  
 उक्तं पराशरेणैव ह्येकंपादंयथाविधि ॥ ३० ॥  
 रोधनंबन्धनंचैव मारःप्रहरणंतथा ।  
 दुर्गग्रैरणयोक्त्रंच निमित्तानिवधस्यषट् ॥ ३१ ॥

॥ २५ ॥ प्राणियों के मारने पर उन २ की प्रतिमा सुवर्ण की बनवा के दान करे अथवा उस २ प्राणी का जितना जितना उचित मूल्य हो उतना दान करे यह बात मनु जीने कही है ॥ २६ ॥ स्वामी के नामसे (अङ्कित करने) वा चिह्न लगाने, जोतने तथा छोड़नेमें और सायंकाल रात्रि में रक्षा करने के लिये रोकने बांधने में गौओं को जो कुछ कष्ट हो वा कोई गौ दैवयोग से मर भी जाय तो दोष नहीं लगेगा ॥ २७ ॥ दाग देने में अत्यन्त जलाने, वा बहुत काल तक सख्ती से हलादि में जोतने पर, नाथने में और नदी में घुसाने तथा पर्वत पर चढ़ाने पर यदि बैल मर जाय तो निम्न लिखित प्रायश्चित्त जानो ॥ २८ ॥ दागने से मरने पर चौथाई, जोतने से मरने पर आधा, नाथने से मरने पर पौना और नदी पर्वत पर घुसाने चढ़ाने से मरने पर पूरा सान्तपन कृच्छ्र प्रायश्चित्त करे ॥ २९ ॥ यदि रस्सी से बांधे हुए बैल को गिरा कर दाग देने मात्र से मर जावे तो महर्षि पराशर की सम्मत्यनुसार चौथाई प्रायश्चित्त करे ॥ ३० ॥ रोकना बांधना, बोका लादना, लकड़ी आदिसे मारना पीटना, किसी कठिन जगह नदी आदि में घुसाना वा चढ़ाना, और नाथ डालने आदि के लिये गिराने को रस्सी आदि से बांधना इन छः निमित्तों से बैल आदि पशु की हिंसा होती है ॥ ३१ ॥ खंडा पर



बन्धपाशसुगुप्ताङ्गो म्रियतेयदिगोपशुः ।

भुवनेतस्यनाशस्य पापेकृच्छ्राद्धमर्हति ॥ ३२ ॥

न नारिकेलैर्न च शाणवालैर्न चापिमौञ्जैर्न चवलकशृङ्खलैः ।

एतैस्तुगावीननिबन्धनीया बद्धध्वातुतिष्ठेत्परशुंगृहोत्वा ॥ ३३ ॥

कुशैःकाशैश्चवध्नीयाद्गोपशुंदक्षिणामुखम् ।

पाशलग्नान्निदग्धेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ३४ ॥

यदितत्रभवेत्काण्डं प्रायश्चित्तं कथं भवेत् ।

जपित्वापावनीं देवीं मुच्यते तत्र किल्बिषात् ॥ ३५ ॥

प्रेरयन्कूपवापीषु वृक्षच्छेदेषु पातयन् ।

गवाशनेषु विक्रीणंस्ततः प्राप्नोति गोवधम् ॥ ३६ ॥

आराधितस्तयः कश्चिद् भिन्नकक्षोयदा भवेत् ।

श्रवणं हृदयं भिन्नं मग्नो वा कूपसंकटे ॥ ३७ ॥

बांधा हुआ रस्ती की फांसी लग कर यदि बैल मर जावे । तब घर में उस बैल के नाश का पाप लगने पर बांधा कृच्छ्र व्रत प्रायश्चित्त करे ॥ ३२ ॥ नारियल की, शाण की, वालों की, मूँज की, तथा बकल की रस्ती से और लोहे की सांकल से इन सब से गौ बैल को नहीं बांधना चाहिये । यदि कदाचित् इन से बांधे तो हाथ में फरसा लिये गौ के समीप रक्षार्थ खड़ा रहे ॥ ३३ ॥ किन्तु कुशों तथा कांसों की रस्ती से दक्षिण को मुख करके गौ को बांधे । कुशादि की रस्तीसे रक्षार्थ बांधने पर फांसी लगजाय वा अग्नि लग कर गौ बैल जल जाय तो प्रायश्चित्त नहीं करने पड़ेगा क्योंकि बांधने वाले का दोष नहीं है ॥ ३४ ॥ यदि वहाँ सरपता का ढेर लगा हो और उसमें अग्नि लगकर गौ जल जावे तो प्रायश्चित्त कैसे हो ? इस का उत्तर यह है कि वहाँ जगत्पावनी गायत्री का जप करके उस पाप से छूट जाता है ॥ ३५ ॥ कुआँवा वा उली में घुसाने की प्रेरणा करता हुआ, कटे हुए पड़े वृक्षों पर घेर २ कर गिराते हुए गौ मर जावे वा गोमसक कसाई आदिके हाथ बँचने पर गोहत्या संगती है । कसाई कहने से मुसल्मानों का ही ग्रहण नहीं किन्तु भारतमें भी गौहिसकवाँ भक्षक नीच जातियाँ पहिले से विद्यमान थीं ] ॥ ३६ ॥ यदि उक्त हालत में गौके बचाने का उपाय करने पर भी उस की कोख फटजाय, कान टूट जाय, हृदय फटजाय, वा कुप में डूब कर मरजाय ॥ ३७ ॥ अथवा कुप पर इधर से उधर फँदाने से भी उस बैल की प्रीया वा

कूपदुत्क्रमणेचैव भग्गोवाग्रीवपादयोः ।  
 सएवमियतेतत्रत्रीन्पादांस्तुसमाचरेत् ॥ ३८ ॥  
 कूपखातेतटीवन्धे नदीवन्धेप्रपासुच ।  
 पानीयेषुविपन्नानां प्रायश्चित्तंनविद्यते ॥ ३९ ॥  
 कूपखातेतटीखाते दीर्घखातेतथैवच ।  
 अन्येषुधर्मखातेषु प्रायश्चित्तंनविद्यते ॥ ४० ॥  
 वेश्मद्वारेनिवासेषु योनरःखातमिच्छति ॥  
 स्वकार्येगृहखातेषु प्रायश्चित्तंविनिर्दिशेत् ॥ ४१ ॥  
 निशिवन्धनिरुद्धेषु सर्पव्याघ्रहतेषुच ।  
 अग्निविद्युद्विपन्नानां प्रायश्चित्तंनविद्यते ॥ ४२ ॥  
 ग्रामघातेशरीरेण वेश्मवन्धनिपातने ।  
 अतिवृष्टिहतानां च प्रायश्चित्तंनविद्यते ॥ ४३ ॥  
 संग्रामेऽपहतानां च येदग्धावेश्मकेषुच ।  
 दावाग्निग्रामघातेषु प्रायश्चित्तंनविद्यते ॥ ४४ ॥

टांग टूट जावे और इसी कारण यदि वह मर जाय तो त्रिपाद (तीन हिस्सा) कच्छ सान्त्वन अथ प्रायश्चित्त करे ॥ ३८ ॥ कुप, गढ़, वा-पोखरेमें, बांधपर, नदीमें, प्याऊमें पानी पिलाते समय यदि गौ वा बैल मरजावे तो प्रायश्चित्त नहीं लगेगा ॥ ३९ ॥ कुप के समीप खोदे हुए गढ़े में, नदी के गढ़े में वा बहुत काल से खोदे हुए गढ़े में अथवा धर्मार्थ खोदे हुए तालाब आदि में जल पिलाने को घुसाये गौ वा बैल के मर जाने पर भी प्रायश्चित्त नहीं लगता है ॥ ४० ॥ घरके द्वार पर, गोशाला में, वा अपने किसी प्रयोजन से घर के भीतर कोई गढ़ा खोदा हो और उनमें गिर कर यदि गौ वा बैल मर जावे तो यथोचित प्रायश्चित्त करे ॥ ४१ ॥ रक्षा के लिये रात्रिमें बांधने वा रोकने पर यदि संप काट ले, अथवा बाघ आदि जानवर मार डाले, अथवा आग लग जाय अथवा बिजली गिरकर मरजाय तो प्रायश्चित्त नहीं लगेगा ॥ ४२ ॥ गाँव में लूट हो डाँका पड़े और अनेक वाण चलने से गोहत्या हो, वा घर की भीत गिर जाने से मरे अथवा अत्यन्त वर्षा होने से गौ वा बैल मरे उनका भी प्रायश्चित्त नहीं लगेगा ॥ ४३ ॥ युद्ध के समय पर, घर में अग्नि लगजाने पर, वन के अग्नि से, अथवा गाँव के नष्ट होने पर जो गौ मरजावे उनका प्रायश्चित्त किसी को नहीं लगेगा ॥ ४४ ॥

यन्त्रतागौश्रिकित्सार्थं मूढगर्भविमोचने ।  
 यत्नेकृतेविपद्येत प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ४५ ॥  
 व्यापन्नानांबहूनांच रोधनेबन्धनेपिवा ।  
 भिषङ्मिथ्याप्रचारेण प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत् ॥ ४६ ॥  
 गोवृषाणां विपत्तौ च यावन्तः प्रेक्षकाजनाः ।  
 अनिवारयतां तेषां सर्वेषां पातकं भवेत् ॥ ४७ ॥  
 एकोहतो यैर्बहुभिः समेतैर्न ज्ञायते यस्य हतो भिघातात् ।  
 दिव्येन तेषामुपलभ्यहन्ता, निवर्त्तनीयो नृपसन्नियुक्तैः ४८  
 एकाचेद्बहुभिः काचिद्द्वैवाद्द्वयापादिताक्वचित् ।  
 पादं पादं तु हत्यायाश्च रेयुस्ते पृथक् पृथक् ॥ ४९ ॥  
 हतेतुरुधिरदृश्यं व्याधिग्रस्तः कृशो भवेत् ।  
 ग्रासार्थं चोदितो वापि अध्वाननैव गच्छति ।

यदि औषध करने के लिये गौ को रस्सी से बांध कर गिराने से, और अटके हुए गर्भ को निकालने से उपाय करने पर भी गौ मरजाय तो गोहत्या का दोष नहीं लगेगा ॥ ४५ ॥ यदि बहुत गौ आदि पशुओं को एक साथ थोड़ी जगह में रोकने वा बांधने पर अनेक गौ मरे जावें । अथवा वैद्य डाक्टरादि की चिरुद्ध हानिकारक दवा औषधि से भी मरजावे तो प्रायश्चित्त यथोचित करना चाहिये ॥ ४६ ॥ जहाँ गौ वा बैल मार पीटे वा बध किये जाते हों तब जितने देखने वाले ब्राह्मणादि सनातनधर्मी देखते रहें वा सुनते जानते रहें और गोहत्या का निवारण न करें तो गोहत्या का पाप सब को लगता है ॥ ४७ ॥ एक मनुष्य वा पशु को इकट्ठे हुए बहुतों ने मारा हो पर यह न जान पड़े कि किस की चोट से मारा गया तो वहाँ अग्नि का गोला हाथ पर रखने आदि दिव्य उपाय से अपराधी को जानकर राजकर्मचारी अन्यो को अपराध से निवृत्त करें ॥ ४८ ॥ यदि एक गौ को बहुत मनुष्यों ने मिलकर मारा हो तो हत्या का चौथाई २ प्रायश्चित्त सब करें ॥ ४९ ॥ कोई बैल मारा पीटा गया हो तो रुधिर निकलने से, वा रोम से दुर्बल हो जावे, वा दाना घास आदि खिलाने पर भी न खावे वा मार्ग में हांकने पर भी न बले और फेन गिरावे तो जान लें कि बैलको किसीने मारा पीटा

लालाभवतिदृष्टेषु एवमन्वेषणंभवेत् ॥ ५० ॥  
 मनुनाचैवमेकेन सर्वशास्त्राणिजानता ।  
 प्रायश्चित्तंतुतेनोक्तं गोघ्नश्चन्द्रायणंचरेत् ॥ ५१ ॥  
 केशानारक्षणार्थाय द्विगुणंत्रतमाचरेत् ।  
 द्विगुणेत्रतआदिष्टे दक्षिणाद्विगुणाभवेत् ॥ ५२ ॥  
 राजावाराजपुत्रोवा ब्राह्मणीवाबहुश्रुतः ।  
 अकृत्वावपनंतेषां प्रायश्चित्तंविनिर्दिशेत् ॥ ५३ ॥  
 यस्यनद्विगुणन्दानङ्केशश्चपरिरक्षितः ।  
 तत्पापंतस्यतिष्ठेत वक्ताचनरकंभ्रजेत् ॥ ५४ ॥  
 यत्किंचित्क्रियतेपापं सर्वकेशेषुतिष्ठति ।  
 सर्वान्केशान्समुद्घृत्य छेद्येदङ्गुलद्वयम् ॥ ५५ ॥  
 एवंनारीकुमारीणां शिरसीमुण्डनंस्मृतम् ।  
 नस्त्रियाःकेशवपनं नदूरेशयनासनम् ॥ ५६ ॥

है ॥ ५० ॥ धर्म शास्त्रों का मर्म जानने वाले एक मनुजी ने गोहत्या करने वाले को चान्द्रायण व्रत प्रायश्चित्त कहा है ॥ ५१ ॥ यदि कोई मनुष्य प्रायश्चित्त में शिर के बाल न मुंडाना चाहे तो उसे दूना प्रायश्चित्त व्रत करना चाहिये । और उस में दक्षिणा भी द्विगुणी देनी चाहिये ॥ ५२ ॥ ऐसे द्विगुण प्रायश्चित्त करने वालों को राजा, वा राजपुत्र अथवा बहुत शास्त्रों को जानने वाला ब्राह्मण विद्वान् प्रायश्चित्त करावे ॥ ५३ ॥ जो अपराधी शिर के बाल न मुंडावे और दक्षिणा भी दूनी न देवे उस का पाप प्रायश्चित्त से निवृत्त नहीं होता किन्तु पाप वैसा ही बना रहता है । और प्रायश्चित्त बताने वा कराने वाले को भी नरक होता है ॥ ५४ ॥ जो कुछ पाप किया जाता है वह सब वालों में ठहरता है । इस लिये जो कोई प्रायश्चित्ती केश न मुंडाना चाहे वह भी शिर के सब बालों को इकट्ठा करके ऊपर से दो अंगुल पुछला कटा देवे ॥ ५५ ॥ यदि स्त्री वा कुमारी कन्या को किसी अपराध में प्रायश्चित्त करना पड़े तो स्त्री के शिर के बाल न मुंडावे किन्तु सब बाल इकट्ठे करके ऊपर से दो अंगुल कटवा देवे । और प्रायश्चित्तके लिये स्त्री अपने घरसे दूर कहीं एकान्तमें अकेली न सोवे न निवास करे ॥ ५६ ॥

नद्यगोष्ठेवसेद्रात्रौ नदिवागाअनुव्रजेत् ।  
 नदीपुसंगमेचैव अरण्येषुविशेषतः ॥ ५७ ॥  
 नस्त्रीणामजिनंवासो व्रतमेवंसमाचरेत् ।  
 त्रिसंध्यंस्नानमित्युक्तं सुराणामर्चनंतथा ॥ ५८ ॥  
 बन्धुमध्येव्रतंतासां कृच्छ्रचान्द्रायणादिकम् ।  
 गृहेषुसततंतिष्ठेच्छुचिर्नियममाचरेत् ॥ ५९ ॥  
 इहयोगोवधंकृत्वा प्रच्छादयितुमिच्छति ।  
 सयातिनरकंधोरं कालसूत्रमसंशयम् ॥ ६० ॥  
 विमुक्तो नरकान्तस्मान्मर्त्यलोकेप्रजायते ।  
 क्लीबोदुःखीचकुष्ठीश्च सप्तजन्मानिवैनरः ॥ ६१ ॥  
 तस्मात्प्रकाशयेत्पापं स्वधर्मंसततंचरेत् ।  
 स्त्रीबालभृत्यगोविप्रेष्वतिकोपंविवर्जयेत् ॥ ६२ ॥

इति पाराशरीये धर्मशास्त्रे नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥

प्रायश्चित्त के समय स्त्री रात को गोशाला में भी न बसे, न दिन में गीर्धों के पीछे २ जंगल में जावे, नदियों में तथा नदी के संगम पर भी स्नान को अकेली न जावे और एकान्त वन में भी न रहे ॥ ५७ ॥ प्रायश्चित्त में स्त्रियों के लिये मृग चर्म धारण का भी निषेध है किन्तु स्त्री तीन वार स्नान करे और देवताओं की प्रतिमाओं का पूजन करती हुई प्रायश्चित्त व्रत पूरा करे ॥ ५८ ॥ स्त्रियों को भाई बन्धों के बीच अपने घर में कृच्छ्र चान्द्रायणादि व्रत करना उचित है । निरन्तर अपने घर में ही रहे और शुद्धि आदि के नियमों का पालन ब्रह्मचर्य रखती हुई करे ॥ ५९ ॥ इस जगत् में जो कोई पुरुष गोवध करके छिपाना चाहता है वह अवश्यमेव कालसूत्र नामक घोर नरक को प्राप्त होता है इस में कुछ सन्देह नहीं है ॥ ६० ॥ वह गोहिसक पुत्र उस नरक से छूटने पर मनुष्य लोक में जन्म लेता है । तब सात जन्मों तक नपुंसक तथा कोढ़ी होता हुआ अनेक बड़े २ कठिन दुःख पाता है । इस से गोहत्या वन पड़े तो उसे न छिपा कर प्रायश्चित्त अवश्य करे ॥ ६१ ॥ तिस से गोहत्यादि पाप को प्रकाशित करे और अपना धर्म निरन्तर करे । स्त्री, बालक, अपना दास, गौ और ब्राह्मणों पर असन्त क्रोध कदापि न करे ॥ ६२ ॥

यह पाराशरीय धर्मशास्त्र के भाषानुवाद में नवम अध्याय पूरा हुआ ॥

चातुर्वर्ण्येषु सर्वेषु हितांवक्ष्यामिनिष्कृतिम् ।  
 अगम्यागमनेचैव शुद्धौ चान्द्रायणं चरेत् ॥ १ ॥  
 एकैकं ह्रासयेद्ग्रासं कृष्णेशुक्ले च वर्द्धयेत् ।  
 अमावास्यां न भुञ्जीत ह्येष चान्द्रायणे विधिः ॥ २ ॥  
 कुक्कुटाण्डप्रमाणं तु ग्रासं वैपरिकल्पयेत् ।  
 अन्यथा भावदुष्टस्य न धर्मो न च शुद्धयति ॥ ३ ॥  
 प्रायश्चित्ततश्चोर्णे कुर्याद्ब्राह्मणभोजनम् ।  
 गोद्वयं च ख्युगमं च दद्याद्विभेषु दक्षिणाम् ॥ ४ ॥  
 चाण्डालीं वा श्रवपाकीं वा अनुगच्छति यो द्विजः ।  
 त्रिरात्रमुपवासी स्याद् विप्राणामनुशासनात् ॥ ५ ॥  
 सशिखं वपनं कृत्वा प्राजापत्यद्वयं चरेत् ।  
 ब्रह्मकूर्चततः कृत्वा कुर्याद्ब्राह्मणतर्पणम् ॥ ६ ॥

सब ब्राह्मणादि चारों वर्णों के लिये हितकारी प्रायश्चित्त इस अगले दशवें अध्याय में हम कहेंगे । अगम्या स्त्री के साथ गमन करने पर शुद्धि के लिये चान्द्रायण व्रत करे ॥ १ ॥ जिस मास में चान्द्रायण करे तब पौर्णमासी को १५ ग्रास खाकर कृष्ण प्रतिपदा से एक २ ग्रास घटाया जाय फिर अमावस्या को कुछ न खावे निराहार रहे फिर शुक्ल प्रतिपदा को एक द्वितीया को दो ग्रास खावे ऐसे ही प्रति दिन एक २ बंधों के पौर्णमासी को फिर १५ ग्रास खावे यही चान्द्रायण का विधान है ॥ २ ॥ मुरगा के अण्डा के बराबर एक ग्रास का परिमाण जानो । जिस का मन छल कपटादि से दूषित हो वह धर्म करने योग्य नहीं और न उस की प्रायश्चित्तों से शुद्धि होती है ॥ ३ ॥ प्रायश्चित्त पूरा होने पर ब्राह्मणों को भोजन करावे । तथा दो गौ और दो बछ्म ब्राह्मणों को दक्षिणा में देवे ॥ ४ ॥ चाण्डालीं वा डौमिनी स्त्री से जो ब्राह्मण समागम करे वह ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर प्रथम तीन दिन रात उपवास करे ॥ ५ ॥ फिर शिखा सहित शिर के बाल मुंडा के दो प्राजापत्य व्रत करे । तदनन्तर ब्रह्मकूर्च व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ ६ ॥ नित्य गायत्री का जप किया करे । दो गौ दो बछ्म

गायत्रीं च जपेन्नित्यं दद्याद्गोमिथुनद्वयम् ।  
 विप्राय दक्षिणां दद्याच्छुद्धिमाप्नोत्यसंशयम् ॥ ७ ॥  
 क्षत्रियो वाऽथ वैश्यो वा चाण्डालीं गच्छती यदि ।  
 प्राजापत्यद्वयं कुर्याद् दद्याद्गोमिथुनं तथा ॥ ८ ॥  
 श्वपाकी मथ चाण्डालीं शूद्रो वै यदि गच्छति ।  
 प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ्रं चतुर्गोमिथुनं ददेत् ॥ ९ ॥  
 मातरं यदि गच्छेत्तु भगिनीं स्वसुतां तथा ।  
 एतास्तु मोहितो गत्वा त्रीणि कृच्छ्राणि संचरेत् ॥ १० ॥  
 चान्द्रायणत्रयं कुर्याच्छिश्नच्छेदेन शुद्ध्यति ।  
 मातृप्त्रसृगमे चैव आत्ममेढ्रनिकृन्तनम् ॥ ११ ॥  
 अज्ञानेन तु योगच्छेत्कुर्याच्चान्द्रायणद्वयम् ।  
 दशगोमिथुनं दद्याच्छुद्धिं पाराशरोऽब्रवीत् ॥ १२ ॥  
 पितृदारान्समारुह्य मातुराप्तां च भ्रातृजाम् ।  
 गुरुपत्नीस्नुषांचैव भ्रातृभार्यां तथैव च ॥ १३ ॥

ब्राह्मण को दक्षिणा में देवे तो इतने प्रायश्चित्त से निःसन्देह शुद्ध हो जाता है ॥ ७ ॥  
 क्षत्रिय वा वैश्य पुरुष यदि चाण्डाली से गमन करे तो दो प्राजापत्य व्रत करके एक  
 गो एक बल दक्षिणा में देवे और ब्रह्मभोज करावे ॥ ८ ॥ डोमिनी वा चाण्डाली के  
 साथ यदि शूद्र पुरुष गमन करे तो एक प्राजापत्य कृच्छ्र व्रत करे और चार गौ चार  
 बैल दक्षिणा देवे ॥ ९ ॥ माता, भगिनी, तथा अपनी पुत्री से जो पुरुष मोहाधानग्रस्त  
 हो के गमन करे तो तीन कृच्छ्रव्रत करे ॥ १० ॥ फिर तीन चान्द्रायण व्रत तीन मास  
 तक करे तब शिश्न ( लिङ्ग न्द्रिय ) को काट डालने पर शुद्ध होता है । और मातृ-  
 श्रसा ( मौसी ) से गमन करने पर भी अपने इन्द्रिय का छेदन करे काट डाले ॥ ११ ॥  
 और यदि अज्ञान से ऐसा पूर्वोक्त काम करे तो दो मास तक दो चान्द्रायण व्रत करे  
 और दश गौ दश बैल दक्षिणा में देवे । यह शुद्धि महर्षि पाराशर ने कही है ॥ १२ ॥ जो  
 पुरुष पिता की अन्य किसी स्त्री ( जो अपनी उत्पादिका माता न हों ) से गमन करे  
 वा माता की संगी भतीजी से गमन करे वा गुरुपत्नी, पुत्रवधू, भ्रातृ जाय  
 ( भौज—भावज ) से गमन करे ॥ १३ ॥ तथा माता की भावज और अपने गोत्र की

मातुलानींसगोत्रांच प्राजापत्यत्रयंचरेत् ।  
 गोद्वयंदक्षिणांदत्त्वा मुच्यतेनात्रसंशयः ॥ १४ ॥  
 पशुवेश्यादिगमने महिष्युष्ट्रचौकपीतथा ।  
 खरींचशूकरींगत्वा प्राजापत्यंसमाचरेत् ॥ १५ ॥  
 गोगामीचत्रिरात्रेण गामेकांब्राह्मणेददेत् ।  
 महिष्युष्ट्रीखरीगामी त्वहोरात्रेणशुद्धयति ॥ १६ ॥  
 डामरेसमरेवाऽपि दुर्भिक्षेवाजनक्षये ।  
 वन्दिग्राहेभयात्तीर्वा सदास्वर्हीनिरीक्षयेत् ॥ १७ ॥  
 चाण्डालैःसहसंपर्कं यानारीकुरुतेततः ।  
 विप्रान्दशावरान्कृत्वा स्वकंदीपंप्रकाशयेत् ॥ १८ ॥  
 आकण्ठसंमितेकूपे गोमयोदककर्द्धमे ।  
 तत्रस्थित्वानिराहारा त्वहोरात्रेणनिष्क्रमेत् ॥ १९ ॥  
 सशिखंवपनंकृत्वा भुञ्जीयाद्यावकौदनम् ।  
 त्रिरात्रमुपवासित्वा त्वेकरात्रंजलेवसेत् ॥ २० ॥

किसी भी स्त्री से गमन करे तो तीन प्राजापत्य व्रत करे । और दो गौ दक्षिणा में देवे तो निःसन्देह पाप से छूट जाता है ॥ १४ ॥ किसी पशु बकरी आदि के साथ तथा वेश्या के साथ गमन करे वा भैंस उँटिनी, बंदरी, गधी, और सूकरी इन सब के साथ मैथुन करने पर प्राजापत्य व्रत करे ॥ १५ ॥ यदि कोई गऊ से गमन करे तो तीन उपवास करे और एक गौ ब्राह्मण को दान करे । भैंस, उँटिनी, और गधी से गमन करने वाला एक दिन रात व्रत करने पर शुद्ध होता है ॥ १६ ॥ डामर ( महा पीड़ा ) संग्राम, दुर्भिक्ष, मनुष्यों का नाश, जेलखाना, भय से पीड़ा होने पर इन सब अवसरों में सदा अपनी स्त्री की रक्षा का ध्यान रखे विस्मरण न करे ॥ १७ ॥ जो स्त्री चाण्डालों के साथ मैथुन से संसर्ग सहवास कई दिन तक करे तो वह कम से कम दश ब्राह्मणोंसे अपना दोष प्रकाशित करे ॥ १८ ॥ फिर किसी कुएँमें कण्ड, तक गहरा गोबर जल कीचड़ मिलाके भरें, उस कीचड़में एक दिन रात निराहार खड़ी रहने वाद निकले ॥ १९ ॥ फिर शिखा सहित सब बाल मुँडाके कुलथी और भात खावे । फिर तीन दिन



शंखपुष्पीलतामूलं पत्रंवाकुसुमंफलम् ।  
 सुवर्णपञ्चगव्यं च द्वाथयित्वापिवेज्जलम् ॥ २१ ॥  
 एकभक्तं चरेत्पश्चाद्यावत्पुष्पवतीभवेत् ।  
 व्रतं चरति तद्यावत्तावत्संवसतेवहिः ॥ २२ ॥  
 प्रायश्चित्ते ततश्चीर्णे कुर्याद्ब्राह्मणभोजनम् ।  
 गौद्वयंदक्षिणांदद्याच्छुद्धिंपाराशरोऽब्रवीत् ॥ २३ ॥  
 चातुर्वर्ण्यस्यनारीणां कृच्छ्रं चान्द्रायणव्रतम् ।  
 यथाभूमिस्तथानारी तस्मात्तान्तुदूषयेत् ॥ २४ ॥  
 व्रन्दिग्राहेणयाभुक्ता हत्वावद्ध्वावलाद्भुयात् ।  
 कृत्वासांतपनंकृच्छ्रं शुद्धयेत्पाराशरोऽब्रवीत् ॥ २५ ॥  
 सकृद्भुक्तातुयानारी नेच्छन्तीपापीकर्मभिः ।  
 प्राजापत्येनशुद्धयेत् ऋतुप्रस्रवणेनच ॥ २६ ॥

दिन रात उपवास करके एक दिन रात जल के भीतर बसे ॥ २० ॥ फिर शंखाहली  
 घास की जड़, पत्ते, फूल वा फलों को और सुवर्ण तथा पञ्चगव्य इन सब का काढ़ा  
 बनाकर जल पीवे ॥ २१ ॥ फिर जब तक रजखला हो तब तक एकवार भोजन कर  
 भूमि पर सोवे । और जब तक इस व्रत को करे तब तक घर से पृथक् बरके किसी  
 भाग में बसे ॥ २२ ॥ फिर प्रायश्चित्त पूरा होने पर ब्राह्मणों को भोजन करावे और दो  
 गौ दक्षिणा में देवे यह शुद्धि महर्षि पराशर ने कही है ॥ २३ ॥ चारो वर्ण की स्त्रियों  
 के लिये दोष लगने पर कृच्छ्रचान्द्रायणव्रत प्रायश्चित्त है क्योंकि स्त्री भूमि के समान है  
 इस से वह सर्वथा त्याज्य नहीं होती है ॥ २४ ॥ यदि किसी पुत्र्य ने मारपीट कर वा  
 बांधकेंर वा मारडालने का भय दिखाकर वा जबरदस्ती से हाथ पांव बांध कर स्त्री से  
 दुराचार किया होता वह स्त्री सान्तपन कृच्छ्र व्रत करके शुद्ध होती है यह पाराशर  
 जी ने कहा है ॥ २५ ॥ पापकर्मी व्यभिचारियों ने जिस इच्छा न रखती हुई शुद्ध स्त्री  
 से एकवार दुराचार किया हो वह प्रजापत्य व्रत करने और रजखला होने से शुद्ध  
 होती है ॥ २६ ॥ जिस द्विज की स्त्री मद्य पीती है उसका भाधा अङ्ग पतित हो जाता

पतत्यर्द्धशरीरस्य यस्यभार्यासुरांपिबेत् ।  
 पतितार्द्धशरीरस्य निष्कृतिर्नविधीयते ॥ २७ ॥  
 गायत्रीं जपमानस्तु कृच्छ्रं सांतपनंचरेत् ॥ २८ ॥  
 गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधिसर्पिकुशोदकम् ।  
 एकरात्रोपवासश्च कृच्छ्रं सांतपनं स्मृतम् ॥ २९ ॥  
 जारेण जनयेद्गर्भं मृतेत्यंक्ते गते पतौ ।  
 तांत्यजेदपरेराष्ट्रे पतितां पापकारिणीम् ॥ ३० ॥  
 ब्राह्मणीं तु यदा गच्छेत्परपुंसासमन्विता ।  
 सा तु नष्टा विनिर्दिष्टा न तस्यागमनं पुनः ॥ ३१ ॥  
 क्रामान्मोहाञ्ज्यागच्छेत्स्यक्त्वा बन्धून्सुतान्पतिम् ।  
 साऽपि नष्टा परेलोके मानुषेषु विशेषतः ॥ ३२ ॥  
 मदमोहगतानारी क्रोधाद्दृण्ढादिताडिता ।  
 अद्वितीयंगता चैव पुनरागमनं भवेत् ॥ ३३ ॥

है । और जिस का आधा शरीर पतित हो गया उसका यद्यपि कोई प्रायश्चित्त नहीं है ॥ २७ ॥ तथापि गायत्री को जपता हुआ कृच्छ्र सांतपन व्रत करे ॥ २८ ॥ गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, और कुश पीसकर निकाला जल इन सब को मिला कर एकदिन खावे और एकदिन उपवास करे तो यह कृच्छ्र सांतपन व्रत कहाता है ॥ २९ ॥ जो स्त्री अपने पति के त्याग देने पर, पति के कहीं चले जाने पर, वा पतिके मरजाने पर, अन्य जार पुरुष से व्यभिचार द्वारा सन्तान पैदा कर लेवे उस पतित हुई पापिनी स्त्री को राजा स्वदेश से निकालदे अन्य किसी राज्य में भेज देवे ॥ ३० ॥ यदि कोई ब्राह्मणी अन्य पुरुष के साथ मेल करके अपने घर से भाग जावे तो उस को नष्ट भ्रष्ट जानो । वह फिर प्रायश्चित्त द्वारा भी ग्राह्य नहीं है ॥ ३१ ॥ जो स्त्री किसी पुरुष पर कामासक्त होके वा अज्ञान रूप मोह से, अपने पति, पुत्रों और बन्धुओं को त्याग के किसी अन्य पुरुष के साथ निकल जावे वह भी परलोक से नष्ट होती उसका परलोक बिगड़ जाता और विशेष कर यह लोक तो बिगड़ता ही है ॥ ३२ ॥ मद्यदि नशा पीकर वा अज्ञानाहंकार से बिगड़ती हुई स्त्री को क्रोध के साथ पति आदि ने पीटा हो और घर से निकल जावे परन्तु अन्य पुरुष से संपर्क न होने कापक्का

दशमेतुदिनेप्राप्ते प्रायश्चित्तंनविद्यते ।  
 दशाहंनत्यजेन्नारीं त्यजेन्नष्टप्रतांतथा ॥ ३४ ॥  
 भर्ताचैवचरेत्कृच्छ्रं कृच्छ्राहुंचैववान्धवाः ।  
 तेषांभुक्त्वाचपीन्वाच अहोरात्रेणशुद्ध्यति ॥३५॥  
 ब्राह्मणीतुयदागच्छेत्परपुंसाविवर्जिता ।  
 गत्वापुंसांशतंयाति त्यजेयुस्तांतुगोत्रिणः ॥ ३६ ॥  
 पुंसोयदिगृहंगच्छेत्तदशुद्दुगृहंभवेत् ।  
 पितृमातृगृहंयच्च जारस्यैवतुतद्गृहम् ॥ ३७ ॥  
 उल्लिख्यतद्गृहंपश्चात्पञ्चगव्येनसेचयेत् ।  
 त्यजेच्चमृन्मयंपात्रं वस्त्रंकाष्ठंचशोधयेत् ॥ ३८ ॥  
 संभाराञ्छोधयेत्सर्वान्गोकेशैश्चफलोद्भवान् ।  
 ताम्राणिपञ्चगव्येन कांस्यानिदशभस्मभिः ॥ ३९ ॥

प्रमाण मिले तो उसे फिर अपने घर में रख लेना चाहिये ॥ ३३ ॥ यदि स्त्री को घरसे निकले दश दिन बीत जायें तो उसका प्रायश्चित्त नहीं होसकता । अर्थात् दश दिन तक न त्यागे और दश दिन के भीतर भी स्वधर्म से नष्ट हुई सुनले तो अन्नश्य त्याग देवे ॥ ३४ ॥ जिस की स्त्री बाहर निकल गई हो वह पति-कृच्छ्रमत करे और स्त्री के भाई आदि आधा-कृच्छ्रमत करें । तब उन के घर अन्य विरादरी के लोग खा पीकर एक दिन रात में शुद्ध करें ॥ ३५ ॥ यदि कोई ब्राह्मणी पति आदि के रोकने पर भी अन्य पुरुष के साथ कहीं चली जावे और जाकर सैकड़ों पुरुषों से मेल मिलाप करे वह फिर भी लौट आना चाहे तो कुटुम्बी लोग उस का त्याग ही कर देवें ॥ ३६ ॥ यदि वह ब्राह्मणी-पति के घर में आवे तो वह घर अशुद्ध हो जायगा । और यदि अपने मा बाप के घरमें जाके रहे तो वह भी व्यभिचारी जार का घर कहावेगा ॥३७॥ उस घर को ऊपर २ से छील कर फिर से लेपन करके उस में पञ्चगव्य का सेचनकरे उस घर में जितने मट्टी के पात्र हों सब निकाल के फेंक देवे तथा वस्त्रों और काष्ठ के पात्रों की शुद्धि करे ॥ ३८ ॥ फिर घर के सब सामान की शुद्धि करे तथा फल सम्बन्धी तैलादि की शुद्धि गौके बालों से करे । तामे के पात्रों की पञ्चगव्य के मर्दन से और कांसे के पात्रों की दशवार भस्मों से शुद्धि करे ॥ ३९ ॥ फिर वह ब्राह्मण

प्रायश्चित्तंचरेद्विप्रो ब्राह्मणैरुपपादितम् ।  
 गोद्वयंदक्षिणांदद्यात्प्राजापत्यद्वयंचरेत् ॥ ४० ॥  
 इतरेषामहोरात्रं पञ्चगव्येनशोधनम् ।  
 सपुत्रःसहभृत्यश्च कुर्याद्ब्राह्मणभोजनम् ॥ ४१ ॥  
 उपवासैर्व्रतैःपुण्यैः स्नानसंध्याचर्चनादिभिः ।  
 जपहोमदयादानैः शुद्ध्यन्तेब्राह्मणादयः ॥ ४२ ॥  
 आकाशंवायुरग्निश्च मेध्यंभूमिगतंजलम् ।  
 नदुष्यन्तिचदर्भाश्च यज्ञेषुचमसायथा ॥ ४३ ॥  
 इति पाराशरीये धर्मशास्त्रे दशमोऽध्यायः ॥१०॥

अमेध्यरेतोगोमांसं चाण्डालान्नमथापिवा ।  
 यदिभुक्तंतुविप्रेण कृच्छ्रं चान्द्रायणंचरेत् ॥ १ ॥  
 तथैवक्षत्रियोवैश्य-स्तदद्वंतुसमाचरेत् ।  
 शूद्रोऽप्येवंयदाभुक्ते प्राजापत्यंसमाचरेत् ॥ २ ॥

विद्वान् ब्राह्मणों की आभानुसार प्रायश्चित्त करे । अर्थात् दो प्राजापत्य व्रत करे और दो गौ दक्षिणा में देवे ॥ ४० ॥ उस घर के अन्य लोग एक दिन रात पञ्चगव्य पीके उपवास द्वारा शुद्ध करें । फिर पुत्र और भृत्यादि सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ ४१ सामान्य कर उपवास, व्रत, पुण्य, तीर्थादि में स्नान, देवपूजा, जप, होम, दया, दान, इत्यादि कामों के द्वारा ब्राह्मणादि शुद्ध होते हैं ॥ ४२ ॥ आकाश, वायु, अग्नि, शुद्धभूमि में भरा वा नदी में बहता हुआ जल, और दाम ये पदार्थ नीच के स्पर्शादि से दूषित नहीं होते कि जैसे यज्ञों में सोमरस के चमस उच्छिष्ट नहीं होते ॥ ४३ ॥

यह पाराशरीय धर्मशास्त्र के भाषानुवाद में दशवां अध्याय पूरा हुआ ॥

लहसुत आदि अशुद्ध, वीर्य, गोमांस, चाण्डालका अन्न, यदि ब्राह्मण इन पदार्थों को खा लेवे तो कृच्छ्र चान्द्रायण व्रत करे ॥ १ ॥ वैसे ही क्षत्रिय वा वैश्य उक्त पदार्थों को खावें तो उससे आधा व्रत करें । तथा शूद्र भी उक्त पदार्थों को खावे तो एक प्राजापत्य व्रत करे ॥ २ ॥ फिर शूद्र पञ्चगव्य पीवे और द्विज ब्रह्म कूर्च पीवे । एक

पञ्चगव्यंपिवेच्छूद्रो ब्रह्मकूर्चंपिवेद्द्विजः ।  
 एकद्वित्रिचतुर्गावो दद्याद्विप्राद्यनुक्रमात् ॥ ३ ॥  
 शूद्रान्नसूतकस्यान्न-मभोज्यस्यान्नमेव च ।  
 शङ्कितंप्रतिपिद्धान्नं, पूर्वोच्छिष्टंतथैव च ॥ ४ ॥  
 यदिभुक्तंतुविभ्रेण अज्ञानादापदापि वा ।  
 ज्ञात्वासमाचरेत्कृच्छ्रं ब्रह्मकूर्चंतुपावनम् ॥ ५ ॥  
 व्यालैर्नकुलमार्जारैरन्नमुच्छिष्टितंत्यदा ।  
 तिलदध्नादकैः प्रोक्ष्य शुद्ध्यतेनात्रसंशयः ॥ ६ ॥  
 शूद्रोऽप्यभोज्यंभुक्त्वान्नं पञ्चगव्येनशुद्ध्यति ।  
 क्षत्रियोवापिवैश्यश्च प्राजापत्येनशुद्ध्यति ॥ ७ ॥  
 एकपङ्क्तयुपविष्टानां विप्राणांसहभोजने ।  
 यद्येकोऽपित्यजेत्पात्रं शेषमन्नंनभोजयेत् ॥ ८ ॥  
 मोहाद्भुञ्जीतयस्तत्र पंक्तावुच्छिष्टभोजने ।  
 प्रायश्चित्तंचरेद्विप्रः कृच्छ्रंसांतपनंतथा ॥ ९ ॥

दो, तीन, तथा चार गौओं का दान चारों वर्ण क्रमसे करें ॥३॥ शूद्र का, सूतक वाले  
 का, जिस २ के अन्न का नियेध किया है उसका, जिसमें अपवित्र होने की शंका हो  
 गई हो, जिस (वासी आदि) का खाना मना किया हो, और जो पहिले भोजन करने  
 से बचा हो ॥ ४ ॥ ऐसा पूर्वोक्त शूद्रादि का अन्न ब्राह्मण ने अज्ञान से वा आपत्काल,में  
 यदि खाया हो तो जानलेने पर कृच्छ्रव्रत करे और ब्रह्मकूर्च भी पवित्र करने वाला है  
 ॥ ५ ॥ जिस अन्नमें से सांप, न्योला और विलाव ने कुछ खाके उच्छिष्ट कर दिया  
 उस में का उच्छिष्टांश निकाल कर तिल और दध्न मिलाये जल से मार्जन करने से  
 निःसन्देह शुद्ध हो जाता है शूद्र भी अभोज्य अन्न को खाले तो पञ्चगव्य से शुद्ध  
 होता है । तथा क्षत्रिय और वैश्य भी अशुद्ध वा वर्जित अन्नको खावें तो प्राजापत्य  
 व्रत करने से शुद्ध होते हैं ॥ ७ ॥ एक पांति में बैठ कर एक साथ भोजन करते हुए  
 ब्राह्मणों में से यदि एक मनुष्य भी पत्तल को त्याग देवे तो पङ्क्ति वाले सभी शेष  
 अन्न को उच्छिष्ट समझ कर न खावें ॥ ८ ॥ यदि कोई ब्राह्मण अज्ञान से उस पांतिमें  
 उच्छिष्ट अन्न को खावे तो ब्राह्मण कृच्छ्र सांतपन व्रत प्रायश्चित्त करे ॥ ९ ॥ गिजरी,

पीयूषंश्वेतलशुनं वृन्ताकफलगृज्जने ।  
 पलाण्डुवृक्षनिर्यासान्देवस्वकवकानिच ॥ १० ॥  
 उष्ट्रीक्षीरमवीक्षीर-मज्ञानाद्भक्षयेद्द्विजः ।  
 त्रिरात्रमुपवासेन पञ्चगव्येनशुद्ध्यति ॥ ११ ॥  
 मण्डूकंभक्षयित्वातु मूषिकामांसमेवच ।  
 ज्ञात्वाविप्रस्त्वहोरात्रं यावकान्नेनशुद्ध्यति ॥ १२ ॥  
 क्षत्रियश्चापिवैश्यश्च क्रियावन्तौशुचित्रतौ ।  
 तद्गृहेषुद्विजैर्भोज्यं हव्यकव्येषुनित्यशः ॥ १३ ॥  
 घृतंक्षीरं तथातैलं गुडं तैलेनपाचितम् ।  
 गत्वानदीतटेविप्रो भुञ्जीयाच्छूद्रभाजने ॥ १४ ॥  
 मद्यमांसरतंनित्यं नीचकर्मप्रवर्तकम् ।  
 तंशूद्रंवर्जयेद्विप्रः श्वपाकमिवदूरतः ॥ १५ ॥  
 द्विजशुश्रूषणरता-न्मद्यमांसविवर्जितान् ।  
 स्वकर्मनिरतान्नित्यं ताञ्छूद्रान्नित्यजेद्द्विजः ॥ १६ ॥

( दशदिन के भीतर का गोदुग्ध ) सफेद लहसुन, वेंगन, गाजर, प्याज, वृक्षों का गोंद, देवताका धन, कठफूल ॥ १० ॥ उं टिनी का दूध, भेड़का दूध इन सब को जो ब्राह्मण अज्ञानसे खावे वह तीन उपवास करके पञ्चगव्य से शुद्ध होता है ॥ ११ ॥ मेंडक, चूहा इन का मांस ब्राह्मण जान कर खालेवे तो एक दिन रात कुलत्थी अन्न खाने से शुद्ध होता है ॥ १२ ॥ जो क्षत्रिय और वैश्य चाहरी भीतरी सब प्रकार की शुद्धि नियम से रखते हुए सन्ध्या तर्पण पञ्चमहायज्ञादि कर्म यथावत् करते हों उनके घरों में देव पितर सम्बन्धी कामों के समय ब्राह्मणों को सदा भोजन करना चाहिये ॥ १३ ॥ घी, दूध, तैल, गुड़, और तैल से पकाया कोई पदार्थ हो शूद्र के घर के इन सब को नदी किनारे जाकर शूद्र के पात्र में भी ब्राह्मण खा सकता है ॥ १४ ॥ जो मद्य मांस खाने पीने में तत्पर तथा नीच कर्मों का प्रवर्तक हो ऐसे शूद्र को चापड़ा के तुल्य नीच समझ कर ब्राह्मण दूर से त्याग देवे ॥ १५ ॥ मद्य मांस जिन ने त्याग दिया हो ब्राह्मणों की सेवा शूद्रपामें जो तत्पर हों ऐसे स्वकर्मनिष्ठ शूद्रों का त्याग

अज्ञानाद्भुञ्जतेविप्रः सूतकेमृतकेऽपिवा ।  
 प्रायश्चित्तं कथंतेषां वर्णवर्णविनिर्दिशेत् ॥ १७ ॥  
 गायत्र्यष्टसहस्रेण शुद्धिः स्याच्छूद्रसूतके ।  
 वैश्यैपञ्चसहस्रेण त्रिसहस्रेण क्षत्रिये ॥ १८ ॥  
 ब्राह्मणस्य यदाभुङ्क्ते प्राणायामेन शुद्ध्यति ।  
 अथवा वामदेव्येन साम्ना चैकेन शुद्ध्यति ॥ १९ ॥  
 शुष्कान्नं गोरसस्नेहं शूद्रवेश्मन आगतम् ।  
 पक्वविप्रगृहेभुङ्क्ते भोज्यं तं मनुरब्रवीत् ॥ २० ॥  
 आपत्काले तु विप्रेण भुक्तं शूद्रगृहे यदि ।  
 मनस्तापेन शुद्ध्येत द्रुपदां च शतं जपेत् ॥ २१ ॥  
 दासनापितगोपाल-कुलमित्राद्दुसीरिणः ।  
 एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत् ॥ २२ ॥

ब्राह्मण न करे ॥ १६ ॥ जो ब्राह्मण लोग अज्ञान से जन्म सूतक में वा मृतक अशुद्धि में किसी के यहां भोजन करते हैं उन का वर्ण २ में प्रायश्चित्त कैसे हो ? ॥ १७ ॥ शूद्रके सूतक में किये भोजन पर आठ हजार गायत्री जपने से शुद्धि होती, वैश्य के घर में भोजन करने से पांच हजार गायत्री का और क्षत्रिय के घर में सूतक के समय भोजन करे तो तीन हजार गायत्री का जप करने से शुद्धि होती है ॥ १८ ॥ और ब्राह्मण के घर में सूतक के समय खावे तो प्राणायाम करने से ही शुद्ध हो जाता है । अथवा एक बार वामदेव्य साम का गान करने से शुद्ध हो जाता है ॥ १९ ॥ सूखा अन्न, गोरस, घी, तैल, इन को शूद्र के घर से लेकर ब्राह्मण के घर में पकाने पर भोजन करने योग्य पवित्र हो जाता है यह मनुजी ने कहा है ॥ २० ॥ यदि आपत्काल में ब्राह्मणने शूद्रके घरमें भोजन कर लिया हो तो मन में पश्चात्ताप करने से शुद्ध हो जाता है और (द्रुपदादिव०) मन्त्र को एक सौ जप लेवे ॥ २१ ॥ दास नाम कहार, नाई, आभीर (अहीर) अपने कुल का मित्र, (कुल मित्र शब्द का अपभ्रंश कुमी हुआ हो यह भी सम्भव है) खेती में आधा सांभो, ये सब शूद्रों में भोजन करने योग्य हैं अर्थात् इनका तथा शरणागत शूद्र का सूखा अन्न आटा दाल आदि भोजनार्थ लेने में ब्राह्मण को दोष नहीं लगता है ॥ २२ ॥ ब्राह्मण से शूद्र को कन्या में जो संन्तात पैदा हो उस का संस्कार यदि

शूद्रकन्यासमुत्पन्नो ब्राह्मणेनतुसंस्कृतः ।  
 संस्कृतस्तुभवेद्दासो ह्यसंस्कारैस्तुनापितः ॥ २३ ॥  
 क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां समुत्पन्नस्तुयःसुतः ।  
 सगोपालइतिख्यातो भोज्योविप्रैर्नसंशयः ॥ २४ ॥  
 वैश्यकन्यासमुद्भूतो ब्रह्मणेनतुसंस्कृतः ।  
 सह्याद्विकइतिज्ञेयो भोज्योविप्रैर्नसंशयः ॥ २५ ॥  
 भाण्डस्थितमभोज्येषु जलं दधिघृतंपयः ।  
 अकामतस्तुयोभुङ्क्वते प्रायश्चित्तकथंभवेत् ॥ २६ ॥  
 ब्राह्मणःक्षत्रियोवैश्यः शूद्रोवाप्युपसर्पति ।  
 ब्रह्मकूर्चोपवासेन यथावर्णस्यनिष्कृतिः ॥ २७ ॥  
 शूद्राणांनोपवासःस्याच्छूद्रोदानेनशुद्ध्यति ।  
 ब्रह्मकूर्चमहोरात्रं श्रपाकमपिशोधयेत् ॥ २८ ॥

ब्राह्मण ने कराया हो तो वह दास ( कहार ) माना जावे और यदि संस्कार न हो तो वह नाई होगा । ( यहां संस्कार पद से ब्राह्मण द्वारा पालन पोषण अर्थ लेना चाहिये )  
 ॥ २३ ॥ क्षत्रिय पुरुष से शूद्र की कन्या में जो सन्तान पैदा हो उसको गोपाल कहते हैं । ब्राह्मण लोग उस गोपाल का अन्न खा सकते हैं इस में सन्देह नहीं ॥ २४ ॥  
 क्षत्रिय से वैश्य की कन्या में जो सन्तान पैदा हो और ब्राह्मण उसका संस्कार करे तो वह आर्द्रिक कहाता है और ब्राह्मण लोग उस का अन्न निःसन्देह खावें ॥ २५ ॥  
 जिन का अन्न खाना वर्जित है उनके पात्र में रक्खा जल, दही, घी, वा दूध इन को जो कामना के बिना खाता है उस का प्रायश्चित्त कैसे हो ? ॥ २६ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र यदि उक्त अपराध का प्रायश्चित्त धर्म सभा से चाहें तो ब्रह्मकूर्च रूप उपवास से यथा योग्य भिन्न २ प्रकार वर्णों का प्रायश्चित्त जानो ॥ २७ ॥ शूद्रों के लिये ब्रह्मकूर्चादि का पान वा उपवास करना निषिद्ध है किन्तु शूद्रदान करने से शुद्ध हो जाता है । ब्राह्मणादि द्विज पुरुष एक दिन रात ब्रह्मकूर्च उपवास करे तो चाण्डाल के तुल्य लगे दोष को भी यह धत शुद्ध कर देता है ॥ २८ ॥ ( अब तक पूर्व में कई



गोमूत्रंगोमयक्षीरं दधिसर्पिकुशोदकम् ।  
 निर्दिष्टपञ्चगव्यंच पवित्रंपापशोधनम् ॥ २९ ॥  
 गोमूत्रंकृष्णवर्णायाः श्वेतायाश्चैवगोमयम् ।  
 पयश्चतौमवर्णाया रक्तायागृह्यतेदधि ॥ ३० ॥  
 कपिलायाघृतंग्राह्यं सर्वकपिलमेववा ।  
 मूत्रमेकपलंदद्यादङ्गुष्ठाद्द्वैतुगोमयम् ॥ ३१ ॥  
 क्षीरंसप्तपलंदद्यादृधित्रिपलमुच्यते ।  
 घृतमेकपलंदद्यात्पलमेकंकुशोदकम् ॥ ३२ ॥  
 गायत्र्यादायगोमूत्रं गन्धद्वारेतिगोमयम् ।  
 आप्यायस्वेतिचक्षीरं दधिक्रावणस्तथादधि ॥ ३३ ॥  
 तेजोसिशुक्रमित्याज्यं देवस्यत्वाकुशोदकम् ।  
 पञ्चगव्यमृचापूतं स्थापयेदग्निसन्निधौ ॥ ३४ ॥

चार ब्रह्मकूर्च उपवास का प्रसंग आ चुका है सो अब यहांसे ४० श्लोक तक ब्रह्मकूर्च का विधान कहते हैं सो जहां २-ब्रह्मकूर्च कहा है वहां २-इसी विधान को जान लेना) गोमूत्र, गोत्रर, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, और कुशों को पीस कर निचोड़ा जल इस प्रकार कुशोदक और पञ्चगव्य का निम्न रीति से सेवन करना परम पवित्र होने से पापों का शोधन करने वाला है ॥२९॥ काली गौ का गोमूत्र लेवे, श्वेत गौ का गोघर लेवे, ताम्र वर्ण गौ का दूध लेवे, लाल गौ का दही ॥ ३० ॥ कपिला गौ का घी लेना चाहिये । अथवा गोमूत्रादि सभी कपिला गौ का लेवे । एक पल ( चार तोला ) गोमूत्र; अपने आँधे अंगूठे भर गोघर ॥३१॥ सात पल (अष्टाईश तोला) गौ का दूध लेवे, तीन पल ( १२ तोला ) दही, एक पल (४ तोला) घी और एक पल कुशोदकलेवे ॥३२॥ (तत्सवितुः) गायत्रीसे गोमूत्र, (गन्धद्वारा) लक्ष्मीसूक्त के मन्त्रसे गोघर, (आप्यायस्व समेतु० यजु० अ० २।११२) मन्त्रसे दूध, (दधि क्रावणोयका० यजु० अ० २३।३२) मन्त्रसे दही (तेजोऽसिशुक्रमस्य० यजु० १।३१) मन्त्र से घी, (देवस्यत्वा० हस्ताभ्यां गृहामि यजु० अ० १।१०) मन्त्रसे कुशोदक लेवे । इस प्रकार ऋचाओंसे पवित्र किये पञ्चगव्य तथा कुशोदक को लेकर अग्निकुण्ड के समीप स्थापित करे ॥३३ ॥ ३४॥ फिर (आपो-

आपोहिष्टेतिचालोडय मानस्तीकेतिमन्त्रयेत् ।  
 सप्तावरास्तुयेदर्भा अच्छिन्नाग्राःशुकत्विषः ॥३५॥  
 एतैरुद्धृत्यहीतव्यं पञ्चगव्यंयथाविधि ।  
 इरावतीइदंविष्णुर्मानस्तीकेचशंवती ॥ ३६ ॥  
 एताभिश्चैवहीतव्यं हुतशेषंपिवेद्द्विजः ॥ ३७ ॥  
 आलोडयप्रणवेनैव निर्मथ्यप्रणवेनतु ।  
 उद्धृत्यप्रणवेनैव पिवेच्चप्रणवेनतु ॥ ३८ ॥  
 यत्त्वगस्थिगतंपापं देहेतिष्ठतिदेहिनाम् ।  
 ब्रह्मकूर्चोदहेत्सर्वं यथैवाग्निरिवेन्धनम् ॥ ३९ ॥  
 पवित्रंत्रिपुलकेषु देवताभिरधिष्ठितम् ।  
 वरुणश्चैवगोमूत्रे गोमयेहव्यवाहनः ।  
 दध्निवायुःसमुद्दिष्टः सोमःक्षीरेघृतेरविः ॥ ४० ॥

हिष्ठा० यजु० अ० ११।५०) इत्यादि तीन मन्त्रों से गोमूत्रादि सब को मिला के (आलोडन करके) (मानस्तीके० यजु० अ० १६।१६) मन्त्र से अभिमन्त्रण करे अर्थात् मन्त्र पढ़ता हुआ गोमूत्रादि को देखे । फिर जिनका अग्रभाग न टूटा हो ऐसे ठीक २ हरे कम से कम सात दार्भों से ॥ ३५ ॥ कुशोदक सहित पञ्चगव्य को ले २ कर निम्न मन्त्रों से यथाविधि होम करे । (इरावती धेनुमती० यजु० अ० ५।१६) (इदं विष्णुवि० यजु० अ० ५।१५) (मानस्तीकेतनये० यजु० अ० १६।१६) और यजु० अ० ३६ के (शानो मित्रः०) इत्यादि श शब्द वाले मन्त्रों से ॥ ३६ ॥ होम करे फिर होम से शेष बचे भागको निम्न प्रकार पीवे ॥ ३७ ॥ ओंकार से आलोडन कर ओंकार से मन्थन कर ओंकार से ही उठाकर तथा ओंकार पढ़ के ही पीवे ॥ ३८ ॥ जो पाप मनुष्यों के शरीर की त्वचा तथा हड्डियों में भी पैठ गया हो उस सब को यह ब्रह्मकूर्च देखे ही भस्म कर देता है जैसे कि ईंधन को अग्नि जलावे ॥ ३९ ॥ यह ब्रह्मकूर्च अनेक देवताओं से अधिष्ठित होने से तीनों लोक में अति पवित्र है । गोमूत्र में वरुण देवता, गोवर में अग्नि, दही में वायु, दूध में सोम, और घी में सूर्य नारायण विराजते हैं ॥ ४० ॥ जल पीते समय मुख से निकल के जलपात्र में जूठा

पिवतःपतितंतोयं भाजनेमुखनिःसृतम् ।

अपेयंतद्विजानीयाद् भुक्त्वाचान्द्रायणंचरेत् ॥ ४१ ॥

कूपेचपतितंदृष्ट्वा श्वशृगालौचमर्कटम् ।

अस्थिचर्मादिपतिताः पीत्वामेध्याअपोद्विजः ॥४२॥

नारंतुकुणपंकाकं विडूवराहंखरोष्ट्रकम् ।

गावयंसीप्रतीकंच मायूरंखाड्गकंतया ॥ ४३ ॥

वैयाघ्रमाक्षंसैहंवा कूपेयदिनिमज्जति ॥ ४४ ॥

तडागस्याऽपिटुष्टस्य पीतंस्यादुदकंयदि ।

प्रायश्चित्तंभवेत्पुंसः क्रमेणैतेनसर्वशः ॥ ४५ ॥

विप्रःशुद्धध्येत्त्रिरात्रेण क्षत्रियस्तुदिनद्वयात् ।

एकाहेनतुवैश्यश्च शूद्रोऽनक्तेनशुद्ध्यति ॥ ४६ ॥

परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्यच ।

अपचस्यचभुक्त्वान्नं द्विजश्चान्द्रायणंचरेत् ॥४७॥

अपचस्यतुयदानंदातुरस्यकुतःफलम् ।

दाताप्रतिग्रहीताच द्वीतौनिरयंगामिनौ ॥ ४८ ॥

जल गिरजाय तो ब्रह्म पात्र का जल पीने योग्य नहीं है। यदि उसको पीलेवे तो चान्द्रायण व्रत करे ॥ ४१ ॥ यदि कूप में कुत्ता, गीदड़, चन्दर, हाड़, चाम आदि गिरे हुए देखकर भी द्विज पुरुष उस अशुद्ध जल को पी लेवे ॥ ४२ ॥ मनुष्य का सुर्दा देह, कौवा, विष्टा खाने वाला सुअर, गधा, ऊँट, गवय, ( नीलगाय ) हाथी, मीर, गंडा, ॥ ४३ ॥ चात्र, रीछ, सिंह, ये यदि कूप में डूब जाय ॥४४॥ और तालाब का विगड़ा हुआ खराब दुर्गंध युक्त जल भी यदि पीया जाय तो पुरुषों का क्रमसे यह निम्न प्रायश्चित्त है कि ॥ ४५ ॥ ब्राह्मण तीन दिन रात, क्षत्रिय दो दिन रातके उपवाससे, वैश्य एक दिन रात के उपवास से और शूद्र रातभर के उपवास से शुद्ध होता है ॥ ४६ ॥ जो पुरुष परपाक से निवृत्त हो और जो परपाक रत हो इन दोनों का और १५ श्लोक में कहे अपच का अन्न खाकर ब्राह्मण चान्द्रायण व्रत करे ॥ ४७ ॥ अपच पुरुष को जो दान देवे उस का दाता को फल कहां ? दान का दाता और लेने वाला ये दोनों नरक

गृहीत्वाग्निं समारोप्य पञ्चयज्ञान्निर्वपेत् ।  
 परपाकनिवृत्तोऽसौ मुनिभिः परिकीर्तितः ॥ ४९ ॥  
 पञ्चयज्ञान्स्वयंकृत्वा परान्नेनोपजीवति ।  
 सततं प्रातरुत्थाय परपाकरतस्तुतः ॥ ५० ॥  
 गृहस्थधर्मैर्यो विप्रो ददाति परिवर्जितः ।  
 ऋषिभिर्धर्मतत्त्वज्ञैरपचः परिकीर्तितः ॥ ५१ ॥  
 युगे युगे तु ये धर्मास्तेषु ते पुचये द्विजाः ।  
 तेषां निन्दानं कर्तव्या युगरूपाहिते द्विजाः ॥ ५२ ॥  
 हुंकारं ब्राह्मणसंघोक्त्वा त्वंकारं च गरीयसः ।  
 स्नात्वा तिष्ठन् हः शेषमभिवाद्य प्रसादयेत् ॥ ५३ ॥  
 ताडयित्वा तृणेनापि कण्ठे बध्वा पिवाससा ।  
 विवादेनापि निर्जित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत् ॥ ५४ ॥

में जाते हैं ॥ ४८ ॥ जो पुरुष अग्नि को स्थापन करके अरणी में समारोप करके पञ्च-  
 महायज्ञ न करे। मुनियों ने उसको "परपाक निवृत्त" कहा है ॥ ४९ ॥ और जो  
 नित्य प्रातःकाल उठकर आप ही पञ्चमहायज्ञ करके अन्य के पकाये अन्न को खाता  
 हो वह "परपाकरत" कहा जाता है ॥ ५० ॥ अर्थात् ये दीनों ही बुरे निन्दित हैं। परं  
 शामं वैश्वं देवार्थं अन्न पकाना चाहिये उसी का शेष खाने अमृतभोजन हैं। और  
 पर नामे अन्य के पकाये में खाने की रुचि न रखे। गृहस्थों के धर्म में तत्पर जो  
 ब्राह्मण हो और दान धर्म से वर्जित हो ( दान कुल्ल न देता हो अर्थात् पञ्चमहायज्ञों  
 द्वारा देवतादि को भी कुल्ल न देता हो ) धर्म तत्त्व के ज्ञाता ऋषियों ने उसे "अपच"  
 कहा है ॥ ५१ ॥ युगों २ में जो भिन्न २ धर्म हैं उन २ धर्मों में तत्पर जो ब्राह्मण उन  
 ब्राह्मणों को निन्दा नहीं करना चाहिये क्योंकि वे ब्राह्मण युग के अनुरूप हैं सद्युगी,  
 त्रेतायुगी द्वापरयुगी, और कलियुगी ब्राह्मण भिन्न रहेंगे। कलिमें अन्य युगों जैसे  
 ब्राह्मण ही ही नहीं सकते ॥ ५२ ॥ बड़े विद्वान् धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को हुंकार और  
 किसी मान्य पुरुष से त्वंकार ( हुं वा तू ) जिस समय कहे उस समय जितना दिन  
 शेष हो उतने काल तक स्नान करके खड़ा रहे फिर अभिवादन करके प्रसन्न (राजी)  
 करे ॥ ५३ ॥ तृण से भी ब्राह्मण को ताड़ना करके और ब्राह्मण के कण्ठ में वल्ल भी  
 बांधकर अथवा ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में जीतकर नमस्कार करके प्रसन्न करे ॥ ५४ ॥

अवगूर्यत्वहोरात्रं त्रिरात्रंक्षितिपातने ।  
 अतिकृच्छ्रं चरुधिरे कृच्छ्रमन्तरशोणिते ॥ ५५ ॥  
 नवाहमतिकृच्छ्रीस्यात्पाणिपूरान्नभोजनम् ।  
 त्रिरात्रमुपवासःस्यादतिकृच्छ्रःसउच्यते ॥ ५६ ॥  
 सर्वेषामेवपापानां संकरेसमुपस्थिते ।  
 शतंसाहस्रमभ्यस्ता गायत्रीशोधनंपरम् ॥ ५७ ॥  
 इति पाराशरीये धर्मशास्त्रे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

दुःस्वप्नंयदिपश्येत्तु वान्तेवाक्षुरकर्मणि ।  
 मैथुनेप्रेतेधूमेषु स्नानमेवविधीयते ॥ १ ॥  
 अज्ञानात्प्राश्यविण्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेवच ।  
 पुनःसंस्कारमर्हन्ति त्रयोवर्णाद्विजातयः ॥ २ ॥  
 अजिनंमेखलादण्डो भैक्षचर्याव्रतानिच ।  
 निवर्त्तन्तेद्विजातीनां पुनःसंस्कारकर्मणि ॥ ३ ॥

ब्राह्मण की ओर गुर्गा कर वा एंड दिक्षा के एक दिन रात और पृथिवी पर पटक देकर तीन दिन रात उपवास करे । ब्राह्मण के रुधिर निकालने पर अतिकृच्छ्र ब्रत करे और रुधिर न निकले किन्तु दूधी चोट लगे तो कृच्छ्रब्रत करे ॥ ५५ ॥ जो नौ-६ दिन तक पकाया हुआ अंजलि भर अन्न खावे और अन्त में तीन दिन रात उपवास करे उसे अतिकृच्छ्र कहते हैं ॥ ५६ ॥ यदि सब पापों का संकर होजाय अर्थात् अनेक प्रकार के अनेक पाप जिस ने किये हों वह सौहजार ( एक लाख ) वा सवा लाख गायत्री का अभ्यास जप करे यह अनुष्ठान परम शुद्धि करने वाला है ॥ ५७ ॥  
 यह पाराशरीय धर्मशास्त्र के भाषानुवाद में व्याख्यान अध्याय पूरा हुआ ॥

चमन, क्षौर कर्म, मैथुन, प्रेत का धूम, इन विषयों में वा इन का खोटा स्पर्श देखे तो तत्काल स्नान करना कहा है ॥ १ ॥ अज्ञान से विद्या, मूत्र, और जिस में मदिरा मिली हो उस को खाकर ब्राह्मणादि तीनों द्विजाति फिर से यज्ञोपवीत संस्कार के योग्य होते हैं ॥ २ ॥ द्विजातियों के फिर (द्वारा) उपनयन संस्कार कर्म में मृग छाला, मौंजी मेखला, पलाशादि का दंड, भिक्षा भांगने के नियम, ये सब निवृत्त हो जाते हैं ॥ ३ ॥ पुनः संस्कार हो जाने पर भक्षण किये विद्या मूत्र की शुद्धि के लिये

विष्णुमूत्रस्य च शुद्ध्यर्थं प्राजापत्यं समाचरेत् ।

पञ्चगव्यं च कुर्वीत स्नात्वा पीत्वा शुचिर्भवेत् ॥ ४ ॥

जलाग्निपतने चैव प्रत्रज्यानाशकेषु च ।

प्रत्यवसितवर्णानां कथं शुद्धिर्विधीयते ॥ ५ ॥

प्राजापत्यद्वयेनैव तीर्थाभिगमनेन च ।

वृषैकादशदानेन वर्णाः शुद्ध्यन्ति ते त्रयः ॥ ६ ॥

ब्राह्मणस्य प्रवक्ष्यामि वनंगत्वाच्चतुष्पथे ।

सशिखं वपनं कृत्वा प्राजापत्यद्वयं चरेत् ॥ ७ ॥

गौद्वयं दक्षिणां दद्याच्छुद्धिं पाराशरोऽब्रवीत् ।

मुच्यते तेन पापेन ब्राह्मणत्वं च गच्छति ॥ ८ ॥

स्नानानि पञ्चपुण्यानि कीर्त्तितानि मनीषिभिः ।

आग्नेयं वारुणं ब्राह्मं वायव्यं दिव्यमेव च ॥ ९ ॥

आग्नेयं भस्मना स्नानमवगाह्य तु वारुणम् ।

आपो हिष्टेति च ब्राह्मं वायव्यं गोरजः स्मृतम् ॥ १० ॥

प्राजापत्य व्रत करे और पंचगव्य घनावे तब स्नान (करके पंचगव्य को पीकर शुद्ध होते हैं ॥ ४ ॥ स्नान का नियम विगड़ने, वा स्थापित अग्नि के बुत जाने पर और संन्यास धर्म को विगाड़ने वाला कोई काम बन पड़े तो हीन हुए तीनों वर्णों की कैसे शुद्धि हो सों कहते हैं ॥ ५ ॥ दो प्राजापत्य व्रतों से, तीर्थों की यात्रा से, ग्यारह बौलों का दान करने से, वे तीनों वर्ण क्रम से शुद्ध होते हैं ॥ ६ ॥ उन में ब्राह्मण का प्रायश्चित्त प्रथम कहते हैं । वह ब्राह्मण वन में जाकर चौराहे पर शिखा सहित सब बालों का मुंडन कराके दो प्राजापत्य व्रत करे ॥ ७ ॥ फिर दो गौ दक्षिणा में देवे यह शुद्धि पाराशर ने कही है । फिर ब्राह्मण उस पाप से छूट जाता है और ब्राह्मणपन को प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥ मुनि लोगों ने पांच स्नान पवित्र कहे हैं १ अग्नेय, २ वारुण, ३ ब्राह्म, ४ वायव्य, ५ दिव्य, ॥ ९ ॥ भस्म से किया स्नान आग्नेय, जल से किये को वारुण, ( आपो हिष्टा० ) इन तीन आदि मंत्रों से किये स्नान को ब्राह्म, गौओं के पगों से उड़ी धूलि से किये को वायव्य स्नान, कहते हैं ॥ १० ॥ और जो वर्षा के समय धूप भी निकल रही हो उस समय मेघ की वृद्धों से जो स्नान करे उसे

यत्सुनातपवर्षेण स्नानंतद्विव्यमुच्यते ।

तत्रस्नात्वातुगंगायां स्नातोभवतिमानवः ॥ ११ ॥

स्नातुंयान्तंद्विजंसर्वे देवाःपितृगणैःसह ।

वायुभूतास्तुगच्छन्ति तृषार्त्ताःसलिलार्थिनः ॥ १२ ॥

निराशास्तोनिवर्तन्ते वस्त्रनिष्पीडनेकृते ।

तस्मान्नपीडयेद्वस्त्रमकृत्वापितृतर्पणम् ॥ १३ ॥

रोमकूपेष्ववस्थाप्य यस्तिष्ठैस्तर्पयेत्पितॄन् ।

तर्पितास्तेनतेसर्वे रुधिरणमलेनच ॥ १४ ॥

अवधूनोतियःकेशान् स्नात्वाप्रस्रवतोद्विजः ।

आचामेद्वाजलस्योपि ब्राह्मःसपितृदैवतैः ॥ १५ ॥

शिरःप्रावृत्यकण्ठवा मुक्तकच्छशिखोपिवा ।

विनायज्ञोप्रवीतेन आचान्तोप्यशुचिर्भवेत् ॥ १६ ॥

जलेस्थलस्योनाचामेज्जलस्थश्चवहिस्थले ।

उभेस्पृष्ट्वासमाचामेदुमयत्रशुचिर्भवेत् ॥ १७ ॥

दिव्य स्नान कहते हैं क्योंकि उस वर्षा में स्नान करके मनुष्य को गंगा के स्नान का फल होता है ॥ ११ ॥ जिस समय ब्राह्मण स्नान करने को जाता है उस समय सब देवता, पितरों के सहित तृषा से पीडित हुए जल के लिये वायु का रूप धारण करके ब्राह्मण के पीछे २ चलते हैं ॥ १२ ॥ यदि वह ब्राह्मण तर्पण करने से पहिले वस्त्र (धोती) निचोड़ ले तो वे निराश होकर लौट जाते हैं । तिससे देव, ऋषि, पितरों का तर्पण किये बिना वस्त्र को न निचोड़े ॥ १३ ॥ रोमों को पीछे कर जो मनुष्य तिलों द्वारा पितरों का तर्पण करता है उसने अपने रुधिर और मल से उन सब पितरों को तृप्त किया जानो ॥ १४ ॥ जो द्विज ब्राह्मण स्नान करके टपकते हुए केशों को झाड़ता है और जल के भीतर खड़ा या बैठा आचमन करता है वह मनुष्य पितर और देवताओं से वाह्य (देव कर्म पितृ कर्मके अयोग्य) है ॥ १५ ॥ शिर वा कंठको बांध कर कान्छ खोलके वा शिखाको खोलकर, अथवा जनेऊके बिना जो आचमन करता है वह आचमन करके भी अशुद्ध ही रहता है ॥ १६ ॥ स्थल में बैठा मनुष्य जल में और जल में बैठा स्थल में आचमन न करे किन्तु स्थल में बैठा हो तो स्थल में ही आचमन करे और जल में बैठा हो तो जल में ही आचमन करे तो शुद्ध होता है ॥ १७ ॥ आचमन किये पीछे

स्नात्वापीत्वाक्षुतेसुप्ते भुक्त्वारथ्योपसर्पणे ।  
 आचान्तःपुनराचामेद्रासोविपरिधाय च ॥ १८ ॥  
 क्षुतेनिष्ठीवनेचैव दन्तोच्छिष्टेतथाऽनृते ।  
 पतितानांचसंभाषे दक्षिणंश्रवणंस्पृशेत् ॥ १९ ॥  
 ब्रह्माविष्णुश्चरुद्रश्च सोमःसूर्याऽनिलस्तथा ।  
 तेसर्वेह्यपितिष्ठन्ति कर्णविप्रस्यदक्षिणे ॥ २० ॥  
 भास्करस्यकरैःपूतं दिवास्नानं प्रशस्यते ।  
 अप्रशस्तंनिशिस्नानं राहोरन्यत्रदर्शनात् ॥ २१ ॥  
 मरुतोवसबोरुद्रा आदित्याश्चाथदेवताः ।  
 सर्वेसोमेष्रलीयन्ते तस्मात्स्नानंतुतद्ग्रहे ॥ २२ ॥  
 खलयज्ञेविवाहेच संक्रान्तीग्रहणे तथा ।  
 शर्वथ्यादानमस्त्येव नाऽन्यत्रतुबिधीयते ॥ २३ ॥  
 पुत्रजन्मनियज्ञेच तथाचात्ययकर्मणि ।  
 राहोश्चदर्शनेदानं प्रशस्तंनान्यदानिनिशि ॥ २४ ॥

यदि स्नान करे, जल पीवे, छौंक आवे, सोवे, खावे, अथवा मार्ग में चले, बल्ल पहने,  
 ( कपडा बदले ) तो फिर से आन्नमन करे ॥ १८ ॥ छौंकना, थूकना, दातों में उच्छिष्ट  
 ( कूडन ) निकलना, अथवा कूठ बोलना, वा पतितों के संग संभाषण करना, इन के  
 होने पर ब्राह्मण अपने दहिने कान का स्पर्श करे ॥ १९ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सोम,  
 सूर्य, वायु, ये सब देवता ब्राह्मण के दहिने कान में रहते हैं ॥ २० ॥ सूर्य की किरणों  
 से पवित्र हुआ जो दिन में स्नान करना है वह उत्तम है और राहु के द्वारा हुए चन्द्र  
 ग्रहण को छोड़ कर रात्रि का स्नान अधम कहा है ॥ २१ ॥ उश्वांश कस्त, भाठ वसु,  
 ग्यारह रुद्र, और बारह आदित्य, ये सब देवता चन्द्रग्रहण के समय चन्द्रमा में लीन होते  
 ( छिप जाते हैं ) तिससे चन्द्रग्रहण का मोक्ष होने पर स्नान अवश्य करे ॥ २२ ॥  
 खलियान में होने वाले खलयज्ञ, विवाह, संक्रान्ति, और चन्द्र ग्रहण इनमें रात्रि में भी  
 दान कहा ही है अन्यत्र नहीं ॥ २३ ॥ पुत्रका जन्म होने पर, यज्ञ में मृतक के कर्म में,  
 राहु के दर्शन ( ग्रहण ) में; इन ही अवसरों पर रात्रि में दान करना उत्तम कहा है



महानिशातुविज्ञेया मध्यस्थं प्रहरद्वयम् ।  
 प्रदोषपश्चिमौयामौ दिनवत्स्नानमाचरेत् ॥ २५ ॥  
 चैत्यवृक्षश्रितस्थश्च चाण्डालःसोमविक्रयी ।  
 एतांस्तुब्राह्मणःस्पृष्ट्वा सवासाजलमाविशेत् ॥ २६ ॥  
 अस्थिसंचयनात्पूर्वं रुदित्वास्नानमाचरेत् ।  
 अन्तर्दशाहेविप्रस्य ह्यूर्ध्वमाचमनंस्मृतम् ॥ २७ ॥  
 सर्वगंगासमंतायं राहुग्रस्तदिवाकरे ।  
 सोमग्रहेतथैवोक्तं स्नानदानादिकर्मसु ॥ २८ ॥  
 कुशैःपूतंभवेत्स्नानं कुशेनोपस्पृशेद्द्विजः ।  
 कुशेनत्रेदधृतंतायं सोमपानसमंभवेत् ॥ २९ ॥  
 अग्निकार्यात्परिभ्रष्टा संध्योपासनवर्जिताः ।  
 वेदंचैवानधीयानाः सर्वैतेवृषलाःस्मृताः ॥ ३० ॥  
 तस्माद्वृषलभीतेन ब्राह्मणेनविशेषतः ।  
 अध्यतव्याप्येकदेशो यदिसर्वनशक्यते ॥ ३१ ॥

अन्यत्र नहीं ॥ २४ ॥ रात्रि के बीच के दो पहरो को महानिशा कहते हैं । इस से सायंकाल तथा प्रातःकाल को रात के दो प्रहरों में दिन के समान स्नान दानादि करै ॥ २५ ॥ चैत्य का वृक्ष जो मरघट पर उगाहो, चिता, चांडाल, यह में सोम लता का बंचने वाला, इन का स्पर्श करके ब्राह्मण संचैल स्नान करै ॥ २६ ॥ अस्थि संचयन ( मरे के फूल इकट्ठे करने ) से पहिले रोवे तो स्नान करै । ब्राह्मणों को दशदिन के भीतर रोने पर स्नान करना और दशदिन वीते पर आचमन करना कहा है ॥ २७ ॥ जित्त समय राहु, सूर्य वा चन्द्रमा को ग्रसे उस समय स्नान दान आदि कर्मों में सब जल गंगा जल के समान कहे है ॥ २८ ॥ कुशों से मार्जन पूर्वक स्नान करना पवित्र कारक होता है और कुशों से ही ब्राह्मणादि द्विज आचमन करै क्योंकि कुशों से उठाया जल सोम के पीने तुल्य पवित्र होता है ॥ २९ ॥ जो ब्राह्मण अग्नि होत्र से भ्रष्ट और संध्योपासन से वर्जित हैं और विधिपूर्वक वेद को भी नहीं पढ़ते वे सब शूद्र के तुल्य कहे हैं ॥ ३० ॥ इस कारण शूद्र हो जाने के भय से विशेष कर ब्राह्मण को चाहिये कि यदि सब वेद को न पढ़ सकें तो वेद का कोई एक भाग ही

शूद्रान्नरसपुष्टस्याप्यधीयानस्यनित्यशः ।  
 जपतो जुहुतो वापि गतिरूर्ध्वानविद्यते ॥ ३२ ॥  
 शूद्रान्नं शूद्रसंपर्कः शूद्रेण तु सहासनम् ।  
 शूद्राञ्जानागमश्चापि ज्वलन्तमपि पातयेत् ॥ ३३ ॥  
 यः शूद्रया पाचयेन्नित्यं शूद्रीचगृहमेधिनी ।  
 वर्जितः पितृदेवेभ्यो रौरव्यात्तिसद्विजः ॥ ३४ ॥  
 मृतसूतकपुष्टाङ्गं द्विजं शूद्रान्नभोजिनम् ।  
 अहंतन्नविजानामि कांकांयोनिंगमिष्यति ॥ ३५ ॥  
 गृध्रोद्वादशजन्मानि दशजन्मानिसूकरः ।  
 श्वयोनीसप्तजन्मानि इत्येवंमनुरब्रवीत् ॥ ३६ ॥  
 दक्षिणार्थं तु यो विप्रः शूद्रस्य जुहुयाद्भुविः ।  
 ब्राह्मणस्तु भवेच्छूद्रः शूद्रस्तु ब्राह्मणो भवेत् ॥ ३७ ॥  
 मौनव्रतं समाश्रित्य आसीनानवदेद्द्विजः ।  
 भुञ्जानो हि वदेद्यस्तु तदन्नं परिवर्जयेत् ॥ ३८ ॥

पढ़े ॥ ३१ ॥ जो ब्राह्मण शूद्र के दिये अन्न को खाके पुष्ट हुआ हो वह प्रतिदिन वेदका अध्ययन, जप, तथा होम करता हुआ भी स्वर्ग को प्राप्त नहीं होता ॥ ३२ ॥ शूद्र का अन्न शूद्र का संपर्क, (मेल) शूद्र के संग एक जगह निवास होना, शूद्र से शिक्षा लेना, ये काम प्रतापी तेजस्वी ब्राह्मण को भी पतित ब्रह्मतेज से हीन कर देते हैं ॥ ३३ ॥ जो द्विज शूद्री स्त्री से भोजन वनवाता हो और जिस के घर में शूद्री ही स्त्री हो वह द्विज पितृ और देवताओं से वर्जित हुआ रौरव नरक को प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ मरण तथा जन्म के सूतक का अन्न खा २ के जिस का शरीर पुष्ट हुआ हो, और जो शूद्र के अन्न को खाता हो हम नहीं जानते कि वह ब्राह्मण-किस २ योनि में जायगा ॥ ३५ ॥ परन्तु मनुजी ने ऐसा कहा है कि चारह जन्म तक गीध पक्षी, दश जन्म तक सूकर और सात जन्म तक कुत्ते की योनि में जन्म लेता है ॥ ३६ ॥ जो ब्राह्मण दक्षिणा के लिये शूद्र के हविष्य का होम करे वह ब्राह्मण तो जन्मान्तर में शूद्र होता और वह शूद्र ब्राह्मण कुल में जन्मता है ॥ ३७ ॥ मौनव्रत को धारण करके जो ब्राह्मण बैठा हुआ न बोले और वह भोजन करता हुआ बोले उसके अन्न को त्याग देना चाहिये ॥ ३८ ॥

अर्द्धभुक्तुयोविप्रस्तस्मिन्पात्रेजलंपिवेत ।  
 हतदैवंचपित्र्यंच आत्मानंचोपघातयेत् ॥ ३६ ॥  
 भुञ्जानेषुत्रिषु योऽग्नेपात्रंविमुञ्चति ।  
 समूढःसचपापिष्ठो ब्रह्मघ्नःसखलूच्यते ॥ ४० ॥  
 भाजनेषुचतिष्ठत्सु स्वस्तिकुर्वन्तिषेद्विजाः ।  
 नदेवास्त्पिमायान्ति निराशाःपितरस्तथा ॥ ४१ ॥  
 अस्नात्वावैनभुञ्जीत द्विजश्राग्निमपूज्यच ।  
 नपर्णपृष्ठेभुञ्जीत रात्रौदीपविनातथा ॥ ४२ ॥  
 गृहस्थस्तुदयायुक्तो धर्ममेवानुचिन्तयेत् ।  
 पोष्यवर्गार्थसिद्ध्यर्थं न्यायवतींस्बुद्धिमान् ॥ ४३ ॥  
 न्यायोपार्जितवित्तेन कर्तव्यं ह्यात्मरक्षणम् ।  
 अन्यायेनतुयोजीवे-त्सर्वकर्मवहिष्कृतः ॥ ४४ ॥

आधा भोजन किये पीछे जो ब्राह्मण उसी भोजन के पात्र में जल पीवे उसके देवताओं और पितरों का कर्म नष्ट होता और यह अपने को भी नष्ट करता है ॥ ३६ ॥ पांतिमें ब्राह्मणों के भोजन करते हुए जो पहिले पात्र को छोड़ देता है वह मूढ़ बड़ी पापी और ब्रह्महत्यारा कहाता है ॥ ४० ॥ भोजन पात्रों ( पत्तलों ) के उठानेसे पहिले जो ब्राह्मण स्वस्ति ( कल्याण हो ) कहते हैं उस ब्रह्मभोज पर देवता तप्त नहीं होते और पितर भी निराश हो के लौट जाते हैं ॥ ४१ ॥ विशेष कर ब्राह्मण को चाहिये कि स्नान किये बिना और अग्नि को पूजे बिना भोजन न करे पत्तों की पीठ ( उलटी पत्तल ) पर और रात्रि में दीपक के जलाये बिना अंधरे में भोजन न करे ॥ ४२ ॥ दया युक्त हुआ गृहस्थ पुरुष धर्म की ही चिन्ता करे । अपने पोष्यवर्ग ( पुत्र वा भृत्य आदि ) के निर्वाह की सिद्धि के लिये बुद्धिमान् सदैव न्याय से अन्न घनादि का संवय करे ॥ ४३ ॥ न्याय के साथ धर्मानुकूल संवय किये धन से अपनी रक्षा करे । क्योंकि जो पुरुष अधर्म अन्याय से जीविका करता है वह सब कर्म धर्म से बाहर ( अनधि-कारी ) हो जाता है ॥ ४४ ॥ चयन ग्रह करने वाला, कपिला गौ, सत्रयज्ञ करनेवाला,

अग्निचित्कपिलासत्री राजाभिक्षुर्महोदधिः ।  
दृष्टमात्राःपुनन्त्येते तस्मात्पश्येत्तुनित्यशः ॥ ४५ ॥  
अरणिकृष्णमार्जारं चन्दनसुमणिंघृतम् ।  
तिलान्कृष्णाजिनं छागंगृहेचैतानिरक्षयेत् ॥ ४६ ॥  
गवांशतंसैकवृषं यत्रतिष्ठत्ययन्त्रितम् ।  
तत्क्षेत्रंदशगुणितं गोचर्मपरिकीर्तितम् ॥ ४७ ॥  
ब्रह्महत्यादिभिर्मर्त्यो मनोवाक्कायकर्मभिः ।  
एतद्गोचर्मदानेन मुच्यतेसर्वकिल्बिषैः ॥ ४८ ॥  
कुटुम्बिनेदरिद्राय श्रोतियायविशेषतः ।  
यद्दानंदीयतेतस्मै तद्दानंशुभकारकम् ॥ ४९ ॥  
वापीकूपतडागाद्यैर्वाजपेयशतैर्मखैः ।  
गवांकोटिप्रदानेन भूमिहर्तानशुद्ध्यति ॥ ५० ॥  
आषोडशदिनादर्वाकू स्नानभेवरजस्वला ।  
अतज्जर्ध्वंत्रिरात्रंस्यादुशानामुनिरब्रवीत् ॥ ५१ ॥

राजा, भिक्षु, ( संन्यासी ) समुद्र, ये सब दर्शन से ही दर्शन कर्त्ता को पवित्र कर देते हैं । तिससे इन का नित्य दर्शन करे ॥ ४५ ॥ अरणि, काला बिलाव, चन्दन, उत्तम मणि, घी, तिल, काला मृगचर्म, वकरा, इन को घर में रक्खा करे ॥ ४६ ॥ जितनी जगह में सौ गौ और एक बैल बिना बांधे खड़े हो सकें उससे दशगुणी जगह भूमि को गोचर्म कहते हैं ॥ ४७ ॥ इस गोचर्ममात्र भूमिके दान से मनुष्य मन, वाणी, और शरीर से किये ब्रह्महत्या आदि पापों से छूट जाता है ॥ ४८ ॥ जो ब्राह्मणकुटुम्ब वाला हो, दरिद्रहो, और विरोप कर वेदपाठी हो, उसको जो दान दिया जाता है वही दान उस दाता के लिये शुभ करने वाला होता है ॥ ४९ ॥ दी हुई भूमि को हर लेने वाला मनुष्य बावड़ी, कूप, तालाव आदि के धर्मार्थ बनवाने से, सौ १०० वाजपेय यज्ञोंके करने से, और कोटि गौओंका दान देनेसे भी शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ५० ॥ यदि रजोदर्शन से सोलह दिन के बीच कोई स्त्री फिर से रजस्वला हो तो स्नान ही से शुद्ध हो जाती हैं । सोलहवें दिन के बाद रजोधर्म हो तो तीन दिन में शुद्धि होगी यह उशाना मुनि ने कहा है ॥ ५१ ॥ जानकर चाण्डाल को छूनेपरं

युगंयुगद्वयंचैव त्रियुगंचचतुर्युगम् ।  
 चाण्डालसूतिकोदंक्र्या पतितानामधःक्रमात् ॥ ५२ ॥  
 ततःसन्निधिमात्रेण सचैलंस्नानमाचरेत् ।  
 स्नात्वावलोकयेत्सूर्यमज्ञानात्स्पृशतेयदि ॥ ५३ ॥  
 वापीकूपतडागेषु ब्राह्मणेज्ञानदुर्वलः ।  
 तोयंपिबतिवक्त्रेण श्वयोनीजायतेध्रुवम् ॥ ५४ ॥  
 यस्तुक्रुद्धःपुमान्भार्यां प्रतिज्ञाप्याप्यगम्यताम् ।  
 पुनरिच्छतितांगन्तुं विप्रमध्येतुश्रावयेत् ॥ ५५ ॥  
 श्रान्तःक्रुद्धस्तमोऽन्धोवा ह्युत्पिपासाभयार्दितः ।  
 दानपुण्यमकृत्वावा प्रायश्चित्तंदिनत्रयम् ॥ ५६ ॥  
 उपस्पृशेत्त्रिषवणं महानद्युपसंगमे ।  
 चीर्णान्तेचैवगांदद्याद् ब्राह्मणान्भोजयेद्दश ॥ ५७ ॥  
 दुराचारस्यविप्रस्य निषिद्धाचरणस्यचः  
 अन्नंभुक्त्वाद्विजःकुर््याद्दिनमेकमभोजनम् ॥ ५८ ॥

दो दिन में, सूतिका स्त्री के छूने पर चार दिनमें, रजस्वला के छूने पर छः दिन में, और पतित स्त्रीके छूने पर आठ दिनमें शुद्ध होताहै ॥५२॥ चाण्डालादि के समीप बैठे तो सचैल स्नान करे । यदि अज्ञान से चाण्डालादि को छू लेवे तो स्नान करके सूर्य नारायण का दर्शन करे ॥ ५३ ॥ हाथों के विद्यमान रहते भी जो अज्ञानी ब्राह्मण वावड़ी कुआ वा तालाव में मुख लगाकर जल पीता है वह निश्चय करके जन्मान्तर में कुत्ता होता है ॥ ५४ ॥ जो मनुष्य क्रुद्ध होके अपनी स्त्री से प्रतिज्ञा करे कि तू दूषित होने से गमन करने योग्य नहीं है और फिर उस स्त्री का संग करना चाहे तो इस बात को ब्राह्मणों की मण्डली वा सभा में सुना देवे ॥ ५५ ॥ जो थका हो, क्रोध करे, मादकद्रव्य खाने आदि से उन्मत्त, वेहोश मूर्छित हुआ हो, क्षुधा, प्यास वा भय से पीडित हो गया हो, यथा समय दान पुण्य न करे तो वह ब्राह्मण तीन दिन प्रायश्चित्त करे ॥ ५६ ॥ और गंगा आदि बड़ी नदियों के संगम में सायं, प्रातः, और मध्याह्न में तीन बार स्नान और आचमन करे । प्रायश्चित्त किये पीछे एक गोदान करे और दश ब्राह्मण जिमावे ॥ ५७ ॥ दुराचारी और निषिद्ध आचरण करने वाले ब्राह्मण का अन्न खा कर द्विज पुरुष एक दिन भोजन न करे ॥ ५८ ॥ उत्तम सदा-

सदाचारस्यविप्रस्य तथावेदान्तवेदिनः ।  
 भुक्त्वान्नमुच्यतेपापा-दहोरात्रंतुवैनरः ॥ ५९ ॥  
 ऊर्ध्वोच्छिष्टमधोच्छिष्टमन्तरिक्षमृतीतथा ।  
 कृच्छ्रत्रयंप्रकुर्वीत अशौचमरणेतथा ॥ ६० ॥  
 कृच्छ्रे दैव्ययुतंचैव प्राणायामशतद्वयम् ।  
 पुण्यतीर्थैर्ह्यार्द्रशिराः स्नानंद्वादशसंख्यया ।  
 द्वियोजनंतीर्थयात्रा कृच्छ्रमेकंप्रकल्पितम् ॥ ६१ ॥  
 गृहस्थःकामतःकुर्याद्रितसःसेचनंभुवि ।  
 सहस्रंतुजपेद्वैव्याः प्राणायामैस्त्रिभिःसह ॥ ६२ ॥  
 चातुर्वैद्योपपन्नस्तु विधिवद्ब्रह्मघातके ।  
 समुद्रसेतुगमनं प्रायश्चित्तंसमादिशेत् ॥ ६३ ॥  
 सेतुबन्धपथेभिक्षां चातुर्वर्ण्यात्समाचरेत् ।  
 वर्जयित्वाविकर्मस्थान् छत्रोपानद्विवर्जितः ॥ ६४ ॥

चारी और वेदान्त को जानने वाले ब्राह्मणका अन्न खाकर मनुष्य एक दिन रात में अनेक पापों से छूट जाता है ॥ ५९ ॥ नामि से ऊपर उच्छिष्ट होने वा नामि से नीचे के भाग में अशुद्ध होने की दशा में कोई मरे, वा खटिया पर मरे, अथवा जो सूतक में मरे, उस के लिये पुत्रादि दायी लोग शुद्धि के वाद तीन कृच्छ्र व्रत करें ॥ ६० ॥ दश हजार गायत्री का जप, दोसौ २०० प्राणायाम, और पवित्र तीर्थ में चारह बार शिर भिगो २ कर स्नान करे ये सब एक कृच्छ्र का फल देते हैं । इस कारण कृच्छ्र व्रत करने में असमर्थ हो तो उक्त गायत्री जपादि को तिरुंगुणा करे । और दो योजन तक तीर्थयात्रा को भी एक कृच्छ्र माना है ॥ ६१ ॥ यदि गृहस्थ पुरुष जानकर अपने धीर्य को भूमि पर गिरावे तो वह तीन प्राणायाम के साथ एक हजार गायत्री का जप करे ॥ ६२ ॥ विधिपूर्वक जिसने चारों वेद पढ़े जाने हों वह यदि ब्रह्महत्या करे तो सेतुबंध रामेश्वर पर जाना प्रायश्चित्त बतावे ॥ ६३ ॥ और वह प्रायश्चित्ती जूता और छाता का धारण न करके सेतुबन्ध के मार्ग में हिंसा चोरी न्यभिचारादि दुष्कर्मियों को छोड़ के शेष चारों वर्णों से भिक्षा मागता खाता जावे ॥ ६४ ॥ वह भिक्षा मांगते

अहंदुष्कृतकर्मवै महापातककारकः ।  
 गृहद्वारेषुतिष्ठामि भिक्षार्थीब्रह्मघातकः ॥ ६५ ॥  
 गोकुलेषुवसेच्चैव ग्रामेषुनगरेषुच ।  
 तपोवनेषुतीर्थेषु नदीप्रसन्नत्रणेषुच ॥ ६६ ॥  
 एतेषुखंघ्रापयन्नेनः पुण्यंगत्वातुसागरम् ।  
 दशयोजनविस्तीर्णं शतयोजनमायतम् ॥ ६७ ॥  
 रामचन्द्रसमादिष्टं नलसंचयसंचितम् ।  
 सेतुंदृष्ट्वासमुद्रस्य ब्रह्महत्यांव्यपीहति ।  
 सेतुंदृष्ट्वाविशुद्धात्मा त्ववगाहेतसागरम् ॥ ६८ ॥  
 यजेतवाश्वमेधेन राजातुपृथिवीपतिः ।  
 पुनःप्रत्यागतीवेश्म वासार्थमुपसंपति ॥ ६९ ॥  
 सपुत्रःसहभृत्यश्च कुर्याद्ब्राह्मणभोजनम् ।  
 गाश्रुवैकशतं दद्याच्चत्वारिंशदक्षिणाम् ॥ ७० ॥

समय ऐसे कहा करे कि "मैं खोटा कर्म करने वाला और महापातक करने वाला हूँ । मुझे ब्रह्महत्या लगी है भिक्षा के लिये आपके द्वारे पर खड़ा हूँ" ॥ ६५ ॥ ग्राम वा नगरों की गोशालां धर्मशालादि में रात को बसे । तपो वनों में, तीर्थों के नदी के सोताओं पर ॥ ६६ ॥ इन सब स्थानों में अपने पाप को प्रकट करना हुआ दश योजन चौड़े और सौ योजन लम्बे पवित्र समुद्र पर जाके ॥ ६७ ॥ महाराजा भगवान् रामचन्द्र जी की आज्ञा से नलवानर के वनाये हुए समुद्र के सेतु को देखकर ब्रह्महत्या को दूर करता है । सेतुके दर्शन करके विशुद्ध मन हुआ सागरमें स्नान करै ॥ ६८ ॥ और पृथ्वी का पति राजा ब्रह्महत्या करै तो अश्वमेध यज्ञ करै । फिर तीर्थ यात्री लौट कर घर में बसने के लिये आवे ॥ ६९ ॥ तब पुत्र और भृत्यों सहित ब्राह्मणों को जिमावे और चारों वेदों को पढ़ने जानने वाले ब्राह्मणों को सौ १०० गौ दक्षिणा में देवे ॥ ७० ॥ तब ब्राह्मणों को प्रसन्न सन्तुष्ट करने से ब्रह्महत्या से छूट जाता है ।

ब्राह्मणानां प्रसादेन ब्रह्महातुविमुच्यते ।  
 विन्ध्यादुत्तरतो यस्य संवासः परिकीर्तितः ॥ ७१ ॥  
 पराशरमतंतस्य सेतुबन्धस्य दर्शनात् ।  
 सवनस्थां स्त्रियं हत्वा ब्रह्महत्याव्रतं चरेत् ॥ ७२ ॥  
 सुरापश्चद्विजः कुर्यान्नदीं गत्वासमुद्रगाम् ।  
 चान्द्रायणेततश्चीर्णं कुर्याद्ब्राह्मणभोजनम् ॥ ७३ ॥  
 अनहुत्सहितांगां च दद्याद्विप्रेषु दक्षिणाम् ॥ ७४ ॥  
 सुरापानं सकृत्कृत्वा अग्निवर्णां सुरां पिबेत् ।  
 स पावयेदिहात्मानमिहलोकैः परत्र च ॥ ७५ ॥  
 अपहृत्य सुवर्णं तु ब्राह्मणस्य ततः स्वयम् ।  
 गच्छेन्मुशलमादाय राजानं स्ववधाय तु ॥ ७६ ॥  
 हतः शुद्धिमवाप्नोति राज्ञाऽसौ मक्तएव च ।  
 कामतस्तुकृतं यत्स्यान्नान्यथा वधमर्हति ॥ ७७ ॥

विन्ध्याचल पर्वतसे उत्तर जो बसता है ॥ ७१ ॥ उस के लिये पाराशर ऋषि ने सेतु-  
 बन्धु का दर्शन कहा है । जिस के शीघ्र संस्तान होने वाला हो ऐसी स्त्री को मार  
 डाले तो ब्रह्महत्या का व्रत करे ॥ ७२ ॥ मदिरा पीने वाला ब्राह्मण समुद्र तक जाने  
 वाली नदी पर जाके चान्द्रायण व्रत करे फिर व्रत के पूरे होने पर ब्राह्मणों को भोजन  
 करावे ॥ ७३ ॥ एक बैल सहित एक गौ ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे ॥ ७४ ॥ अथवा जो  
 शुद्ध ब्राह्मण एक बार भी मदिरा को पीवे वह अग्निवर्ण (अत्यन्त उष्ण) मदिरा  
 पीकर प्राण त्याग करे तो इस लोक और परलोक में अपने को पवित्र कर लेता है  
 ॥ ७५ ॥ ब्राह्मण के सुवर्ण को चुराकर आप ही मूसल को हाथ में लेके अपने वध  
 के लिये राजा के समीप जाय ॥ ७६ ॥ तब यदि राजा मरवा, डाले वा उचित समझ  
 के छोड़ देवे तो भी दोनों हालत में पाप से छूट जाता है । यदि जान कर बोरो की  
 हो तो मारने के योग्य है अन्यथा वध करने योग्य नहीं है ॥ ७७ ॥ एक जगह बैठने,  
 लेटने, एक सवारी में बैठ कर चलने, पास २-बैठ कर वात्सलाप करने और साथ २



आसनाच्छयनाद्यानात्संभाषात्सहभोजनात् ।  
 संक्रामन्तीहपापानि तैलविन्दुरिवाम्भसि ॥ ७८ ॥  
 चान्द्रायणंयावकंच तुलापुरुषएवच ।  
 गवांचैवानुगमनं सर्वपापप्रणाशनम् ॥ ७९ ॥  
 एतत्पाराशरंशास्त्रं श्लोकानांशतपञ्चकम् ।  
 द्विनवत्यासमायुक्तं धर्मशास्त्रस्यसंग्रहः ॥ ८० ॥  
 यथाध्ययनकर्माणि धर्मशास्त्रमिदंतथा ।  
 अध्येतव्यंप्रयत्नेन नियतंस्वर्गकामिना ॥ ८१ ॥


इति श्रीपाराशरीये धर्मशास्त्रे सकलप्रायश्चित्त  
 निर्णयो नाम द्वादशोऽध्यायः समाप्तः  
 समाप्ता च पाराशरसंहिता ॥

बैठ कर भोजन करने से पापियों के पाप अच्छे लोगों को लगते हैं कि जैसे जल में तेल का बिन्दु फैलजाता है ॥ ७८ ॥ चान्द्रायण, यावक ( जी को ही खाना, ) और तुला पुरुष-तुलादान करना, गौओं के पीछे गमन करना, अर्थात् तन मन धन से गोरक्षा में तत्पर होना ये काम सब पापों को नाश करने वाले हैं ॥ ७९ ॥ यह पाराशर ऋषिका कहा धर्म शास्त्र जिसमें पांचसौ वानवे ५६२ श्लोक हैं । सो यह धर्म शास्त्रका संक्षेप से संग्रह किया है ॥ ८० ॥ जैसे वेदके अध्ययन सम्बन्धी कर्म पुण्योत्पादक हैं वैसे ही यह धर्मशास्त्र है इस लिये स्वर्ग की इच्छा रखने वाले पुरुष को यह धर्म शास्त्र यत्न से पढ़ना चाहिये ॥ ८१ ॥  
 यह पाराशरीय धर्मशास्त्रके ब्राह्मणसर्वस्व सम्पादक पं भीमसेन शर्माकृत भाषानुवाद में समाप्त प्रायश्चित्त निर्णय नामक चारहवां १२ अध्याय पूरा हुआ ॥

॥ समाप्त ॥



## पुस्तकों का सूचीपत्र ।



ब्राह्मणसर्वस्व मासिकपत्र पिछले भाग, ( तीसरे भाग से १२ वें भाग तक के सेट मौजूद हैं ) प्रति भाग का १॥) एक साथ सब भाग लेने पर १०) अष्टादश स्मृति हिन्दी भाषा टीका सहित ३) भगवद्गीता भा० टी० २॥) याज्ञवल्क्यस्मृति सटीक १) अष्टाध्यायीपाणिनीय सटीक सोदाहरण २) ईशोपनिषद् सभाष्य ३) केनोपनिषद् सभाष्य ४) प्रश्नोपनिषद् सभाष्य ॥) उपनिषदों का उपदेश ( प्रथम खण्ड ) १।) द्वितीय खण्ड १) सतीधर्म संग्रह १।) पतिव्रता माहात्म्य ३॥) भर्तृहरि नीतिशतक भा० टी० ३॥) भर्तृहरि वैराग्यशतक ३॥) भर्तृहरि शृङ्गारशतक ३॥) दर्श-पौर्णमासपद्धति १) इष्टिसंग्रह ॥) मानवगृहसूत्र ॥) आपस्तम्बगृहसूत्र १) यज्ञ-परिभाषासूत्रसंग्रह ॥) पञ्चमहायज्ञविधि ३) भोजन विधि ॥) सन्ध्योपासनविधि ॥) कातीयतर्पणप्रयोग ॥) नित्यहवनविधि ॥) घेदसार शिवस्तोत्र ॥) दयानन्दमत-विद्राघण १) आर्यमतनिराकरणप्रश्नावली १) आश्वमेधिकमन्त्रमीमांसा ३) सत्यार्थ प्रकाशसमीक्षा ३) पञ्चकन्याचरित्र २) विधवाविवाहमीमांसा १३) मूर्त्तिपूजा-मण्डन ३) ठनठनवावू ३) दयानन्द की विद्वता ॥) नमस्ते मीमांसा ॥) सनातन-धर्मप्रश्नोत्तरावली ॥) प्रेमरत्न २) गोरत्न २) भजन विनोद ॥) रूभाशुकसम्वाद सचित्र ३) पुराणकर्त्तृमीमांसा ॥) जैनास्तिकत्वविचार ॥) दुनियां की रीति ॥) गीतासंग्रह १३) योगसार १) कर्त्तामण्डन ॥) विधवावैवाहिनियेध ॥) सुमनवाटि-का ३) रामगीता ३) रामहृदय ३) आदर्शरमणी ३) छन्दोवद्ध अंगरेजी हिन्दी वल्लभ कोष ॥) अंगरेजी हिन्दी व्यापारिक कोष १॥) हनुमानचालीसा ॥) राम चालीसा ॥) उपदेशरत्नमाला ॥) धर्मरक्षा और भारत विनय ॥) साङ्गीत गोरक्षा ॥) भजनरत्नावली २) त्रैभाषिक व्याकरण शब्दावली १) शिवाजी और मराठाजाति ३) गुरुगोविन्दसिंह १३) अभिमन्युवध ३) यूनान की कहानियां ३) आर्षकृषिवि-ज्ञान १) भारतीय आख्यान १) हिन्दुओं का सामाजिक आदर्श २) मूर्त्तिपूजा ( प० अश्विनादत्त व्यासकृत ) ॥) अवतारमीमांसा १) अक्षरविज्ञान १) अपूर्व-नौका ३) कविता विनोद ३) रामायण रहस्य १३) उपदेश मञ्जरी ३) स्त्री जाति का महत्त्व ३)

मिलने का पता:—

मैनेजर ब्रह्मप्रेस—इटावा ।

